रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092020-221735
CG-DL-E-15092020-221735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942
No. 244] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

विषय : माननीय सेस्टेट द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2020 के अंतिम आदेश सं. 50231/2020 के माध्यम से, प्रति प्रेषित (रिमांड) की गई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सउदी अरब और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नॉन वूवन फैब्रिक्स (बिना बुने फैब्रिक्स) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 14/23/2015- डीजीएडी : समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में भी कहा गया है) तथा तत्संबंधी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे नियमावली के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :-

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

1. सं. 14/23/2015- डीजीएडी – जबकि मै० ग्लोबल नानवूवन्स लि० (इसके बाद इसे 'याचिकाकर्ता' अथवा "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में कहा गया है) और तत्संबंधी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे पाटनरोधी नियमावली के रूप में भी कहा गया है, के अनुसार मलेशिया, इंडोनेशिया,

थाईलैंड, सउदी अरब और चीन जन. गण. (इसके बाद इसे 'संबद्ध देश' के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बिना बुने फैब्रिक" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन (इसे "याचिका" भी कहा गया है) दाखिल किया।

2. जबकि प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर और घरेलू उद्योग को क्षति होने के लिए जिम्मेदार पाटन की मौजूदगी के संबंध में प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होने पर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सउदी अरब और चीन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और संबद्ध वस्तुओं के पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई दिनांक 15 जून, 2016 की एक अधिसूचना सं. 14/23/2015- डीजीएडी जारी की।

3. विस्तृत जांच और परीक्षण करने के बाद, प्राधिकारी ने अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2017 के अंतिम जांच परिणामों के तहत जांच को समाप्त करने की सिफारिश की थी।

4. उपरोक्त संदर्भित अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी की सिफारिश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस जांच में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 13 सितम्बर, 2017 को रिट याचिका दाखिल की। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के निर्णय के तहत यह उल्लेख करते हुए रिट याचिका का निपटान कर दिया कि दि अपीलकर्ता के पास दिनांक 2 सितम्बर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम को चुनौती देने के लिए माननीय सेस्टेट के समक्ष एक न्यायोचित और प्रभावी उपाय का विकल्प है।

5. याचिकाकर्ता ने उसके बाद दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम को चुनौती देते हुए माननीय सेस्टेट के समक्ष एक अपील दाखिल की। दिनांक 12 फरवरी, 2020 को माननीय सेस्टेट ने अंतिम आदेश जारी किया। माननीय सेस्टेट ने अंतिम जांच परिणामों को रद्द किया और अपने अंतिम आदेश के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्देश देते हुए मामला प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया :-

क. पूर्ण विवरण/ डाटा/ सूचना/ कार्य पद्धति के साथ एक नया प्रकटीकरण जारी करना, जिसमें कि "विचाराधीन आवश्यक तथ्य" शामिल है।

ख. अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करना ।

ग. प्रकटीकरण विवरणों और टिप्पणियां, यदि कोई हों, का विश्लेषण करने के बाद पुन: अंतिम जांच परिणाम जारी करना; और

घ. निर्दिष्ट प्राधिकारी को मलेशियाई निर्यातक उसके प्रतिवेदन की वास्तविकता की स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को छूट भी दी गई है।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

6. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया :-

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपरोक्त नियमावली के तहत घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सउदी अरब और चीन जन. गण. से "25 जी एस एम अथवा उससे कम के पोलिप्रोपाइलेन से निर्मित बिना बुने फैब्रिक" के पाटन का आरोप लगाया गया है।

ii. आवेदन की प्रारंभिक जांच में कतिपय कमियां पाई गई, जिन्हें बाद में आवेदकों द्वारा ठीक कर दिया गया था। अत: आवेदन को उपयुक्त रूप से दस्तावेजों सहित माना गया है।

iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उपरोक्त नियमावली के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया गया था।

iv. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के संबंधित आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 15 जून, 2016 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की ।

v. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और घरेलू उद्योग को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें यह अनुरोध किया कि वे जांच शुरू करने की अधिसूचना जारी होने के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं। भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें।

vi प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उनके अनुरोध पर उपलब्ध कराई गई ।

vii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना प्रकट करने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं :-

क. फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया

ख. सी एन सी इंटरनेशनल, थाईलैंड

ग. पीटी मल्टी स्पुनिंडों जाया, इंडोनेशिया

घ. पीटी टोरे पोलिटेक जाकार्ता, इंडोनेशिया

ड. पीटी हासिल दमाई टेक्सटाइल, इंडोनेशिया

च. हुइझोऊ जिन्हाओचेंग नॉन वूवेन फैब्रिक कंपनी, लि० चीन

छ. डांगजियांग केमिकल लाइट इंडस्ट्रीयल टेक्सटाइल कंपनी, लि० चीन

ज. डांगुआन जिन्चेन नॉन वूवेन कंपनी, लि० चीन जन. गण.

झ. गांगझोऊ जिन्लांग नॉन वूवेन कंपनी, लि० चीन जन. गण.

ञ. सनशाइन नॉन वूवेन फैब्रिक कंपनी, लि० चीन जन. गण.

ट. शेनझेन लाइफेंग जेंड टेक्नोलॉनी कंपनी, लि० चीन जन. गण.

ठ. एडवांस्ड फैब्रिक्स (एस ए ए एफ), साउदी अरब

ड. माडा नॉन वूवेन कंपनी लि०, साउदी अरब

ढ. साउदी जर्मन कंपनी फार नॉन वूवेन प्रोडक्ट्स साउदी अरब

viii. संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित फार्मेट में निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए:-

क. फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया

ख. साउदी जर्मन कंपनी फार नॉन वूवेन प्रोडक्ट्स साउदी अरब

ग. टोर पोलिटेक (नानटोंग) कंपनी लि०, चीन जन. गण.

घ. टोरे पालिटेक जाकार्ता, इंडोनेशिया

ड. असाही कसेई स्पनबांड (थाईलैंड) कंपनी, लि०

च. इटोचू थाईलैंड लि०

छ. इटोचू इंडिया लि०

ज. हुबेई गोल्ड ड्रैगन ना नॉन वूवेन फैफ्रिक्स कंपनी, लि०

ix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार, आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपयोक्ताओं/ संघों को प्रश्नावलियां भेजी गईं थीं :-

क. प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इंडिया

ख. जॉनसन एंड जॉनसन लि०

ग. किमबर्ली क्लार्क लीवर प्रा० लि०

घ. एस सी ए हाइजीन प्रोडक्ट्स इंडिया प्रा०लि०

ड. अनइन्चार्म इंडिया प्रा० लि०

च. नोबल हाइजीन प्रा० लि०

x. निम्नलिखित द्वारा आयातक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए गए हैं :-

- यूनीचार्म इंडिया प्रा० लि०

xi. विदेश व्यापार महानिदेशालय – इंडोनेशिया ने भी विभिन्न ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा किए अनुरोधों के अलावा, अपने अनुरोध दाखिल किए थे।

xii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (7) के तहत, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

xiii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) तथा साथ ही डी जी सिस्टम को जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी डाटा के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अत: प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातकों द्वारा गणना के लिए और अपेक्षित विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किए गए डी जी सी आई एंड एस डाटा और विस्तृत सूचना पर भरोसा किया है।

xiv. सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बेचने के लिए लागत और ईष्टतम उत्पादन की लागत की गणना की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यदि पाटनरोधी शुल्क, जो पाटन मार्जिन से कम है, वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार एन आई पी का निर्धारण किया गया है।

xv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया था और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया था तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना को पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

xvi. आवेदक घरेलू उद्योगों द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया गया था । केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर यथा लागू आवश्यक सुधार करने के बाद केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर ही वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए भरोसा किया गया है।

xvii. वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच की अवधि 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2016 (9 माह) की है, जिसमें यह विचार किया गया है कि याचिकाकर्ता ने फरवरी, 2015 में केवल ट्रायल उत्पादन और जुलाई, 2015 में वाणिज्यिक उत्पादन ही शुरू किया था। तथापि, वास्तविक निष्पादन और अनुमानित आकलन/ लक्ष्यों की तिमाही से तिमाही आधार पर तुलना की गई थी। इसके अलावा, अप्रैल, 2012 से

मार्च, 2013, अप्रैली, 2013 से मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015, अप्रैली, 2015 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए आयात और मांग के संबंध में आंकड़ों पर भी क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया था।

xviii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के उपरांत – रिमांड की कार्यवाही के संबंध में, यहां उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:-

xix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 17 जुलाई, 2020 को हुई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किया । ऐसे पक्षकार, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, उन्हें 24 जुलाई, 2020 तक मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों को लिखित में अनुरोध दाखिल करने और उसके बाद 31 जुलाई, 2020 तक प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर) दाखिल करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में डीजीटीआर की वेबसाइट पर एक सूचना भी सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूचना के लिए डाली गई थी।

xx. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 17 जुलाई, 2020 को वीडियो कांफ्रेस के जरिए सुनवाई आयोजित की गई थी।

xxi. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 17 जुलाई, 2020 को ई-मेल के तहत अनुरोध किया कि कोविड-19 की अप्रत्याशित स्थिति के कारण, किसी भी हितबद्ध पक्षकार को निदेशालय में रखी सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं है और इसीलिए, नियमावली के नियम 6 (7) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए अनुरोधों के अगोपनीय पाठ की प्रतियां सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के उनके निरीक्षण के लिए भेजे। मौखिक सुनवाई के अनुसरण में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध दाखिल किए :-

क. जिन्दल पोलि फिल्म्स लि० (डिवीजन ग्लोबल नॉन-ओवेन्स)

ख. फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया

ग. असाही कसेई स्पुनबांड (थाईलैंड) कंपनी, लि०

घ. इटोचू थाईलैंड लि०

ड. इटोचू इंडिया लि०

च. हुबेई गोल्ड ड्रैगन नॉन-ओवेन फैब्रिक्स कंपनी, लि०

छ. विदेश व्यापर महानिदेशालय, व्यापार मंत्रालय, इंडोनेशिया सरकार

xxii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय पाठ को प्रदान करने का निदेश दिया गया था।

xxiii. उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्यों को दिनांक 17 जुलाई, 2020 के प्रकटीकरण विवरण के तहत ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था, सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय प्रदान किया गया था ताकि वे प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां दे सकें।

xxiv. प्रकटन विवरण के अनुपालन में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित की मांग करते हुए माननीय सेस्टेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है :

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी को दिनांक 12 फरवरी, 2020 के अंतिम आदेश सं. 50231/2020 का अक्षरश: पालन करने और पुन: प्रकटन विवरण जारी करने का निर्देश देना ।

ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी को दिनांक 17 अगस्त, 2020 के प्रकटन विवरण के अनुपालन में आगे कार्रवाई करने से रोकना ।

ग. ऐसे अन्य आदेश या आदेशों को, जो उपयुक्त समझे जाएं तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को उचित ढंग से पारित करना ।

xxv. यह आवेदन दिनांक 17 अगस्त, 2020 के प्रकटन पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी द्वारा दिए गए तीन कार्य दिवसों के समय के विरूद्ध दायर किया गया है । इसके अनुपालन में प्राधिकारी ने प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए घरेलू उद्योग की समय सीमा को 28 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

xxvi. उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत पाए जाने पर इन अंतिम जांच परिणामों में इन्हें शामिल किया गया है। प्रकटीकरण उपरांत के अनुरोधों की, जहां तक ये संगत पाए गए, इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।

xxvii. मूल जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी संगत अनुरोध, जिसके कारण दिनांक 2 सितम्बर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम आए, दिनांक 12 फरवरी, 2020 के माननीय सेस्टेट के आदेश के अनुसरण में वर्तमान रिमांड की कार्यवाही और माननीय सेस्टेट द्वारा की गई टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में शामिल किया गया है।

xxviii. वर्तमान जांच के दौरान किसी हितबद्ध पक्षकार ने जहां कहीं सूचना प्राप्त कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच को पर्याप्त रूप से छिपाया है, तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को सहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणामों को दर्ज किया है।

xxix. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना को दर्शाता है।

xxx. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर जांच की अवधि के लिए 1 अमेरिकी डॉलर = 66.58 रूपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

7. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. याचिका में विचाराधीन उत्पाद "अधिकतम 25 जी एस एम भार वाले पोलिप्रोपाइलेन के निर्मित बिना बुने फैब्रिक" है।

ख. बिना बुने फैब्रिक को मोटे तौर पर यांत्रिक, तापीय अथवा रासायनिक रूप से फिलामेंट को फांसकर बनी शीट अथवा वेब स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित किया गया है। ये सपाट पोरस शीट होती है जो सीधे मेल्टन प्लास्टिक से बनाई गई है। उन्हें बुनाई से या गुथाई से नहीं बनाया गया है और उनमें फाइबर को यार्न में बदलने की जरूरत नहीं है।

ग. विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न प्रकार की किस्मों में उत्पादित किया जाता है, जो आवश्यक रूप से जी एस एम में अथवा ऐसे ढंग से जिसमें फैब्रिक बना है, फैब्रिक की मोटाई में भिन्नता है। उत्पादन की प्रक्रिया में गर्म सिलेण्डरों के जरिए मेल्टन पोलिप्रोपाइलेन को गुजारना शामिल है, जो बांडिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यह स्पन बांड तकनीक अथवा मेल्ट ब्लोन तकनीक हो सकती है।

8. वर्तमान जांच में सभी प्रकार के बिना बुने फैब्रिक संबद्ध वस्तुएं नहीं हैं। केवल प्रारंभिक रूप से पोलिप्रोपाइलेन से उत्पादित बिना बुने फैब्रिक ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि केवल ऐसे बिना बुने फैब्रिक, जिनमें निम्नलिखित अनिवार्य गुण हों, जो आयातित उत्पाद में मौजूद हैं :-

क. पोलिप्रोपाइलेन का उपयोग करके बने उत्पाद; और

ख. अधिकतम 25 जी एस एम के भार वाले; और

ग. स्पन बांड अथवा स्पन मेल्ट प्रौद्योगिकी/ उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित; और

घ. हाइजीन उत्पादों में हाइजीन अनुप्रयोग वाले; और

ड. उत्पादन प्रौद्योगिकी, संयंत्र और उपकरण, निर्माण सुविधाओं का उपयोग करने वाले उत्पादन, जिनमें निम्नलिखित की अनुमति हैं :-

i. विनिर्देशन में एकरूपता और निरंतरता पाने के लिए आवश्यक क्लोज लूप नियंत्रित वातावरण में उत्पादन ।

ii. बाह्य कणों, डस्ट कणों के रूप में शून्य स्तर का संदूषण ।

iii. निर्धारित स्तर के सरफेस दोष, जैसे पैच, होल, लम्प इत्यादि ।

iv. अधिक दाब की स्थितियों में उत्पादन ।

v. अपेक्षित विनिर्देशनों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल यंत्रों का प्रयोग ।

च. उत्पाद में निम्नलिखित तकनीकी गुण होने चाहिए :-

i. स्पन बांड (एस / एसएस / एसएसएस) – केवल स्पन बांड तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। फैब्रिक मजबूत होता है, जिससे हवा पार हो सके।

ii. स्पन मेल्ट (एस एम एस / एस एम एम एस / एस एस एम एम एस) – स्पन बांड और मेल्ट ब्लोन तकनीक का प्रयोग किया जाता है और अलग-अलग परतों पर दबाव डाला जाता है ताकि सॉफ्ट और मल्टी – यूटिलिटी फैब्रिक बने । फैब्रिक में अनेक गुण है।

iii. हाइड्रोफोबिक – रासायनिक प्रकृति जल को दूर रखने और अवरोधों को बढ़ाने के गुणों वाला विचाराधीन उत्पाद हाइड्रोफोबिक है, इसलिए इसके लिए किसी अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता नहीं है।

iv. हाइड्रोफोबिक – पानी को आकर्षित करता है और अवशोषण में वृद्धि करता है। यह गुण कलेन्डरिंग के बाद फिलामेंट शीट में उपयुक्त रसायन शामिल करके आता है। स्पन बांड और स्पन मेल्ट, दोनों फैब्रिक को हाइड्रोफिलिक गुण के लिए उपचारित किया जा सकता है।

छ. याचिकाकर्ता मशीनरी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है जैसे रीइफेनहोजर- जर्मनी द्वारा आपूर्ति की गई रीकोफिल मशीन जिसका प्रयोग उत्पादों का निर्यात करके किया जाता है, इस प्रकार याचिकाकर्ता जैसे उत्पाद उत्पादित कर रहा है, जैसे क्लोज्ड लूप नियंत्रित पर्यावरण, शून्य स्तर के संदूषण (बाह्य कणों, डस्ट कणों के रूप में), अधिक दाब में उत्पादित, प्रोसेस कन्ट्रोल यंत्र के उत्पादन के कारण एक समान और निरंतर मोटाई के उत्पादों का उत्पादन कर रहा है, जिससे अपेक्षित विनिर्देशनों की अनुपालना सुनिश्चित होगी।

ज. इस प्रकार ऐसी अनिवार्य विशेषताओं के चलते याचिकाकर्ता का उत्पाद अन्य देशों से निर्यात करने वाले उत्पादकों द्वारा निर्मित पाटित आयातों के समान भारत में अन्य उत्पादों के समान उत्पादों से भिन्न है।

झ. विचाराधीन उत्पाद के विशिष्ट कार्य हैं जैसे सोखना, लिक्विड को मिलने न देना, स्ट्रेप, साफ्ट होना, मजबूत होना, घर्षणरोधक होना, रोएंदार होना और जीवाणुरहित होना । फैब्रिक की ये विशिष्टताएं प्राय: कपड़े का जीवनोपयोगी उत्पाद और लागत के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छे प्रयोगों के लिए अनुकूल वस्त्र बनाने के लिए होती है।

ञ. विचाराधीन उत्पाद प्राय: स्वास्थ्यकर (हाइजीन) अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह फैब्रिक सफेद होता है लेकिन कभी भी इसे मास्टर बेंच मिलाकर रंगीन भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा, ये फैब्रिक मुलायम, अति मुलायम और सेक्सन कोटेड भी हो सकते हैं।

ट. इसके साथ ही, अनेक तकनीकी गुण जैसे स्पन बांड, स्पन मेल्ट, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक इसे भारत में उत्पादित नया उत्पाद भी बनाते हैं।

ठ. भारत में किसी भी उत्पादक ने यहां उल्लिखित सुविधाएं शामिल नहीं की हैं, इस प्रकार वे भारत में ग्राहकों को जरूरत के अनुसार ऐसे अपेक्षित उत्पाद का उत्पादन करने में समर्थ नहीं हैं।

ड. अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुएं बिल्कुल भिन्न हैं। केवल याचिकाकर्ता के उत्पाद को समान उत्पाद माना जा सकता है, क्योंकि यह भारत में आयात किया जा रहा है। लगाई गई निर्माण सुविधाएं और याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध निर्माण सुविधाएं अन्य घरेलू उत्पादकों से काफी उन्नत हैं।

ढ. यह तथ्य इस तथ्य से और भी प्रमाणित हो जाता है कि याचिकाकर्ता 135-170 रूपए प्रति कि. ग्रा. की रेंज में उत्पाद की बिक्री कर रहा है और अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित अन्य बिना बुने फैब्रिक काफी कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं। दोनों उत्पादों की समानता का निर्धारण करने में एक उत्पाद की कीमत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह तथ्य कि दो उत्पादों की कीमत अलग-अलग है, उन्हें अलग बनाती है।

ण. जिस किस्म के उत्पाद को बाहर करने की मांग की जा रही है, उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मिलकर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिमाण के तात्पर्य से विचाराधीन उत्पाद है। विचाराधीन उत्पाद का दायरा परिभाषित नहीं किया गया था, क्योंकि बिना बुने फैब्रिक केवल 100 प्रतिशत पोलिप्रोपाइलेन से बने हैं। विचाराधीन उत्पाद को "पोलिप्रोपाइलेन से निर्मित बिना बुने फैब्रिक" के रूप में परिभाषित किया गया था और जहां तक फैब्रिक को प्रथमत: पोलिप्रोपाइलेन का उपयोग करके बनाने का संबंध है, यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में है।

त. दायरे से बाहर करने के दावे वाले उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा बनाए जा रहे हैं "बिना बने फैब्रिक एसएस, एचओ (सॉफ्ट)" स्पन बांड, हाइड्रोफोबिक सॉफ्ट मैटेरियल है और "बिना बुने लॉफ्ट" से तुलनीय है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एन डब्ल्यू एफ से निर्मित प्रिन्टिड एन डब्ल्यू एफ भी बाजार में बेचा गया था। कंपनी द्वारा प्रिटिंग्स नहीं की गई थी और उसे याचिकाकर्ता कंपनी की सहायक कंपनी को दिया गया था।

थ. निर्यातक ने उसी समय इन किस्मों के लिए एक पी सी एन की पहचान नहीं की थी, जब प्राधिकारी ने पी सी एन के बाद हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों की मांग की थी, और न ही इसके संबंध में कोई दावे किए गए थे। यह नहीं कहा गया था कि ये किस्में जांच की अवधि के दौरान फाइबर टेक्स द्वारा भारत को निर्यात की गई थी। यदि ये उत्पाद भारत को निर्यात नहीं किए गए थे, तो उन्हें बाहर करने की मांग पूरी तरह से आधारहीन है।

द. उत्पाद को बाहर करने/ बाहर निकालने के लिए प्रारंभिक मामले को उठाने में अब काफी देरी हो गई है। प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को अनुरोध करने के लिए पहले ही पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। तथापि, फाइबरटैक्स ने भी अनुरोध किए थे, लेकिन ये नए तथ्य उनके द्वारा अब रिकार्ड में रखना गलत उद्देश्य के साथ किया जा रहा है, और पूरी जांच की प्रक्रिया को अब भ्रमित किया जा रहा है। इन अनुरोधों को केवल इस आधार पर ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

ग. 2 <u>उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

9 उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. याचिकाकर्ता और प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं किया है।

ख. याचिकाकर्ता 8 जी एस एम से कम के बिना बुने फैब्रिक का निर्माण नहीं करता है और इस बात को उन्होंने याचिका में और सार्वजनिक सुनवाई में भी स्वीकार किया है। इसी कारण से 8 जी एस एम से कम के बिना बुने फैब्रिक को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाए।

ग. सीमा शुल्क वर्गीकरण को स्पष्ट करते समय, याचिकाकर्ता ने गलती से 25 ग्राम प्रति वर्ग मी. से अधिक लेकिन अधिकतम 70 ग्रा. प्रति वर्ग मी. भार के शीर्ष 56031200 को शामिल किया है। विचाराधीन उत्पाद को 56031100 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

घ. विचाराधीन उत्पाद को "8 जी एस एम से अधिक और 25 जी एस एम से कम मोटाई वाले पोलिप्रोपाइलेन से निर्मित बिना बुने फैब्रिक जिसे शीर्ष 56031100 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।

ड. विचाराधीन उत्पाद की कीमत कच्ची सामग्री की कीमत से प्रभावित होती है न कि आयातों से प्रभावित होती है। कीमत को बाजार तय करता है, क्योंकि संबद्ध वस्तु का उपभोक्ता बाजार एक "क्रेता का बाजार" है।

च. याचिकाकर्ता पोलिप्रोपाइलेन की कन्वर्सन लागत अथवा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को रिकार्ड में लाने में विफल रहा है। जांच की अवधि के दौरान प्रचलित पोलिप्रोपाइलेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत देना अपेक्षित है। पोलिप्रोपाइलेन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में समग्र गिरावट पाटन के कारण नहीं हो सकती।

छ. याचिकाकर्ताओं ने समुचित रूप से अलग किए डाटा प्रदान नहीं किए हैं, जिससे कि आयातों की वास्तविक स्थिति और घरेलू खपत तथा आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति की जानकारी मिल सके।

ज. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद से काफी भिन्न है, क्योंकि वे अन्य उत्पादकों से काफी अधिक कीमत पर उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि दोनों ही उत्पाद समान उत्पाद नहीं हैं। समान उत्पाद का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी को वाणिज्यिक स्थिरता की जांच करनी होती है न कि अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों के बीच कीमत भिन्नता की जांच करनी है। याचिकाकर्ता और अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समान उत्पाद हैं।

झ. चूंकि विचाराधीन उत्पाद का एक क्रेता बाजार था और विचाराधीन उत्पाद चूंकि एक हाइजीन उत्पाद है, याचिकाकर्ता द्वारा बाजार में स्थापित उत्पादकों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

ञ. मलेशिया से निर्यातक ने यह दावा किया था कि निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को बुनकी तकनीकी श्रेष्ठता, कीमत बैंड और उपयोग घटकों के आधार पर वर्तमान जांच के तहत विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।

(i) **बिना बुने लॉफ्ट :** इनका निर्माण दो कच्ची सामग्रियों, पोलिप्रोपाइलेन और को-पालिमर का उपयोग करके किया जाता है, केवल पोलिप्रोपाइलेन का उपयोग करके निर्मित सामान्य बिना बुने फैब्रिक की तरह नहीं ।

(ii) **बिना बुने डुअल :** इसका निर्माण दो कच्ची सामग्रियों, पोलिप्रोपाइलेन और पोलि इथाइलेन का उपयोग करके किया जाता है, सामान्य तौर पर बिना बुने फैब्रिक की तरह नहीं ।

(iii) **प्रिंटेड बिना बुने :** बिना बुने उत्पादों पर सीधे प्रिंट करने के लिए अलग अलग प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। फाइबरटेक्स द्वारा 8 जी एस एम से 100 जी एस एम तक की रेंज के उत्पाद पर प्रिंट करने के लिए फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाया जाता है।

इसके अलावा, यह कहना है कि घरेलू उद्योग इन उत्पादों का उत्पादन नहीं करता। इसीलिए बिना बुने लॉफ्ट, बिना बुने डुअल और प्रिंटेड बिना बुने को जांच के तहत विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

10. घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान उत्पाद के संबंध में माननीय सेस्टेट के निदेशों के अनुसार दिनांक 17 जुलाई, 2020 को हुई एक नई सार्वजनिक सुनवाई के बाद कोई नया अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, रिमांड की कार्रवाई से पहले किए गए अनुरोध की निम्नानुसार जांच की गई है :-

11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के अनुसार "जी एस एम 25 अथवा उससे कम के पोलिप्रोपाइलेन से निर्मित बिना बुने फैब्रिक" हैं। विचाराधीन उत्पाद में एक समर्पित कोड 5603 1100 था, तथापि, आयात संबंधी डाटा से यह देखा गया था कि आयात भी अन्य एच एस कोड 5603 1200 अवधि के तहत किए जा रहे हैं। इसलिए उत्पाद का विवरण इस जांच के लिए एक निर्धारण का कारक है और एच एस कोड केवल सांकेतिक है।

12. याचिकाकर्ता हाइजीन अनुप्रयोग के लिए विचाराधीन उत्पाद की भिन्नता के लिए अनुरोध करता है जबकि अन्य अनुप्रयोग पर विचार किया गया था लेकिन प्राधिकारी इस भिन्नता के लिए सहमत नहीं है। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए संबद्ध वस्तुएं और तत्संबंधी समान वस्तुएं विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आती हैं।

13. निर्यातक के कतिपय प्रकार के उत्पाद जैसे "बिना बुने लॉफ्ट," "बिना बुने डुअल" अथवा "प्रिंटेड बिना बुने" उत्पादों को बाहर करने के अनुरोध पर विचार किया गया था लेकिन प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस मामले पर जांच की इस विलंबित अवस्था में यह मामला उठाया जा रहा है।, साक्ष्य के साथ समुचित रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। निर्यातक द्वारा किए गए विवरण वैज्ञानिक विवरण अथवा तकनीकी विनिर्देशन नहीं हैं। निर्यातक एक उत्पाद विशेष को बिना बुना लॉफ्ट कह रहा होगा और अन्य उत्पादकों के लिए कुछ अन्य विवरण की जानकारी हो सकती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी बिना पर्याप्त विवरण और विनिर्देशन के उसे बाहर करने पर विचार नहीं कर सकते।

14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी पाटनरोधी जांच में पहला कदम विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्धारण करना होता है। विचाराधीन उत्पाद पर निर्णय लिए जाने के बाद घरेलू उद्योग को पहले विचाराधीन उत्पाद के लिए समान वस्तु की पहचान करनी अपेक्षित होती है और उसके बाद घरेलू उद्योग के दायरे को स्थापित करना होता है। घरेलू उद्योग का दायरा केवल समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के तय, किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने उनके उपयोगों अथवा अनुप्रयोग के आधार पर संबद्ध वस्तुओं को अलग न करने का निर्णय लिया था, क्योंकि ऐसी भिन्नता का कार्यान्वयन कठिन होगा और यह जांच के परिणाम को जटिल बना देगा। प्राधिकारी ने उत्पाद विनिर्देशन अथवा संबद्ध वस्तुओं की किस्मों के लिए निर्णय लिया था जो पहले ही प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरूआती अवस्था में सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्पष्ट कर दी गई थी। विचाराधीन उत्पाद की पहचान जी एस एम, शोधित /अशोधित (हाइड्रोफोबिक/ हाइड्रोफिलिक) और स्पन बांड/ मेल्ट ब्लोन निर्यात प्रौद्योगिकी के संदर्भ में की जानी है।

15. प्राधिकारी द्वारा पोलि प्रोपाइलेन से बने विभिन्न बिना बुने फैब्रिक के जी एस एम, पोलर विशिष्टताओं और रसायन उपचार जैसे मापदंडों को ध्यान में रखकर पी सी एन का निर्णय लिया गया था।

16. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तुएं समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित बिना बुने फैब्रिक और संबद्ध देशों से आयात किए गए बिना बुने फैब्रिक अनिवार्य उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक और रसायन विशिष्टताएं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्दिशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित की गई संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। उपभोक्ता दोनों का उपयोग कर सकते हैं और एक दूसरे के स्थान पर इनका उपयोग कर रहे हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती है तथा इसीलिए इन्हें नियमावली के तहत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित की गई संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

17. प्राधिकारी वने अनुरोध पर विचार किया है कि न तो याचिकाकर्ता और न ही विदेशी उत्पादक वर्तमान में 8 जी एस एम से कम के बिना बुने फैब्रिक का उत्पादन करते हैं और न ही इसे भारत में आयात किया जा रहा था। चूंकि उत्पाद का याचिकाकर्ता द्वारा अथवा विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है और नहीं उत्पाद को भारत में आयात किया गया है, इसलिए 8 जी एस एम से कम के उत्पाद को बाहर करना उपयुक्त होगा। तथापि, यदि अवधि में इस उत्पाद का विदेशी उत्पादकों द्वारा विकास किया जाता है और भारत को निर्यात करना शुरू किया जाता है और घरेलू उद्योग भी ऐसा करते हैं तो हितबद्ध पक्षकार इस अवस्था में समीक्षा की मांग करने के लिए पात्र होगा। अत: विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संशोधन ऐसी उत्पाद किस्म को बाहर करने के लिए अपेक्षित है।

18. माननीय सेस्टेट ने अपने दिनांक 12 फरवरी, 2020 के आदेश में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में वर्तमान रिमांड कार्यवाही में कोई नया मामला नहीं उठाया है।

19. अत: उपरोक्त तथ्य के आलोक में, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपनी जांच की पुष्टि करते हैं और "8 से 25 जी एस एम तक के पोलिप्रोपाइलेन से निर्मित बिना बुने फैब्रिक" के रूप में विचाराधीन उत्पाद पर विचार करना जारी रखते हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

घ.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

20. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :-

क. यह याचिका मै० ग्लोबल नान वूवन लि० द्वारा दाखिल की गई है, जो भारत में घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पादन सुविधाओं के साथ भारत में अन्य कोई उत्पादक नहीं है।

ख. याचिकाकर्ता ने 2015 में नाशिक, महाराष्ट्र में वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया है और निर्यात करके पाटन कर रहा है। उत्पादक नई निगमित कंपनी के विकास को रोक रहा है। याचिकाकर्ता इसकी मौजूदगी की अवधि के दौरान बाजार में इसके उत्पाद और बिक्री के लिए पर्याप्त क्षति का सामना कर रहा है।

ग. याचिकाकर्ता के उत्पाद की समानता और तकनीकी भिन्नताएं पहले से स्थापित उत्पादकों के उत्पादों से इसे अलग करती हैं। इस प्रकार से भारत में सैनिटरी के प्रयोजनों के लिए बिना बुने फैब्रिक के उद्योग पहले से स्थापित नहीं किए गए थे और याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक रहे हैं और इसीलिए मैटेरियल रिटार्डेशन प्रयुक्त होता है।

घ. मै० एलस्ट्रोम फाइबर कम्पोजिट्स इंडिया प्रा० लि० नामक एक और भी उत्पादक है, जिसे उनका समर्थन पत्र दिया गया था। यह कंपनी विशेष आर्थिक जोन (सेज) में स्थित है, इसलिए यह पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए निर्माण करता है और घरेलू बाजार के लिए बहुत ही कम मात्रा में आपूर्ति करता है। भारतीय बाजार में सेज की यूनिट की अनुमानित बिक्रियों पर विचार करते हुए और भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता का अभी भी भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन का बड़ा हिस्सा शामिल है।

ड. भारत में विभिन्न अन्य कंपनियां भी है, जो संबद्ध वस्तुओं के निर्माता होने का दावा कर सकती है, लेकिन यह दावा सही नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित बिना बुना फैब्रिक और संबद्ध देशों से आयात किया गया बिना बुना फैब्रिक एक समान है, लेकिन इन अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित बिना बुने फैब्रिक से पर्याप्त रूप से भिन्न है और इसे इस तथ्य से सत्यापित किया जा सकता है कि संबद्ध वस्तुएं इन अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा बेचे गए बिना बुने फैब्रिक की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा अधिक कीमतों पर बेची जाती हैं।

च. सेज यूनिट डी टी ए को बहुत ही कम मात्रा में बिक्री करती है। कोई सेज डी टी ए में अपनी बिक्री की सीमा तक ही घरेलू उद्योग की स्थिति का दावा कर सकता है। यह तथ्य कि सेज में एक उत्पादन डी टी ए बिक्री कर सकता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने उस प्रयोजन के लिए इसकी स्थापना की है। मै० एलस्टोर्म ऐसी वस्तुओं की बिक्री स्वास्थ्य अनुप्रयोगों के लिए करता है और याचिकाकर्ता स्वास्थ्य एवं सफाई अनुप्रयोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिससे उत्पाद भिन्न हैं। इसके अलावा, एलस्टोर्म ग्रुप वेट लेड टेक्नोलॉजी और स्मन लेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, जिनका अनुप्रयोग हाइजीन के क्षेत्र में नहीं होता और स्पन मेल्ट का कुल आउटपुट, कुल आउटपुट का 12 प्रतिशत से कम है। इसलिए, मै० एलस्टोर्म को समान वस्तुओं का एक उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए।

छ. मै० अल्फा फोम को समान वस्तुओं के उत्पादक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके उत्पादकों में भिन्नता है। याचिकाकर्ता विभिन्न तकनीकी और अल्फा फोम से भिन्न सामग्री भिन्नताओं वाली उत्पाद का उत्पादन करता है। साथ ही, अल्फा फोम एक पुराना उत्पादक होने के बावजूद, भारत में संबद्ध वस्तुओं का बड़ा उपभोक्ता होने के कारण बिक्री नहीं करता। जबकि याचिकाकर्ता बहुत ही कम समय में भारत और विदेशों में संबद्ध वस्तुओं के कई बड़े उपभोक्ताओं को बिक्री करता है।

ज. याचिकाकर्ता को इन अनेक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें प्रदान की गई थी और इसी के आधार पर यह स्थापित किया गया था। इन कंपनियों के वास्तव में निर्माण सुविधाएं तक नहीं हैं और याचिका में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के निर्माण में नहीं लगी है। ऐसे उत्पादकों, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का दावा करते हैं, के संबंध में प्रदान किए जा रहे वास्तविक डाटा यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें वर्तमान विचाराधीन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में शामिल क्यों नहीं किया जाए।

झ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करता है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम (ख) के तहत निर्धारित किया गया है, और यह घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है।

घ.2 <u>उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

21. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार है :-

क. याचिकाकर्ता मै० ग्लोबल नान वूमन, जो विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक होने का दावा करता है, उसके पास वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आधार का अभाव है लेकिन जांच को मिथ्या कथन के बाद शुरू किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग सबसे महत्वपूर्ण घटक "बड़ा हिस्सा" और "घरेलू उत्पादक समग्र रूप से" के संबंध में गहन जांच की जानी चाहिए। बड़ा हिस्सा होने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि हिस्सा बहुत ही कम हो। इसी समय घरेलू उत्पादक समग्र रूप से होने का तात्पर्य संबद्ध वस्तुओं के सभी घरेलू उत्पादकों से है, जिसे घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए और इसे यूरोपीय समुदाय – चीन जन. गण. से कतिपय लौह और इस्पात फास्टनर्स के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी उपायों के मामले में अपील निकाय द्वारा पाया गया था।

ग. याचिकाकर्ता में ऐसे सभी घरेलू उत्पादकों को शामिल नहीं किया गया था जिनमें समग्र उत्पादक शामिल हैं और यह पर्याप्त आधार है कि जांच को समाप्त किया जाना चाहिए अथवा घरेलू उद्योग का दायरा बदला जाना चाहिए तथा इसमें सभी अन्य घरेलू उत्पादक शामिल होने चाहिए।

घ. याचिकाकर्ता का डी टी ए में एकमात्र उत्पादक होने का दावा बिल्कुल गलत है। अन्य घरेलू उत्पादक विगत कई वर्षों से समान उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। घरेलू मांग की पूर्ति मै० फाइबर वेब इंडिया, मै० अल्फा फोम, मै० सूर्या टेक्सटेक जैसे घरेलू उत्पादकों द्वारा आयातों के साथ की गई थी। अन्य घरेलू उत्पादकों के डाटा मांगे जाने चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए। इन कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बिल्कुल वहीं है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पाद हैं।

ड. जहां कोई स्थापित उद्योग मौजूद है, वहां प्रत्येक नए उद्योग के लिए मैटेरियल रिटार्डेशन का दावा खुला नहीं है। याचिकाकर्ता इस नव अवस्था में और विकास की अवस्था में, अन्य भारतीय उत्पादक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के 10-15 वर्षों के बाद स्वयं दावा नहीं कर सकता। यह सेज में एक उत्पादक की

पहले से मौजूदगी के चलते एक मैटेरियल रिटार्डेशन का मामला नहीं हो सकता। एक सेज यूनिट को घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए। प्राधिकारी ने विगत में ऐसे मामलों में ऐसा किया था। सेज यूनिट में अन्य उत्पादक हैं, जिनके पास डी टी ए की मंजूरी है और डी टी ए की मंजूरी वाली यूनिट को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के प्रयोजन के लिए घरेलू उत्पादक के रूप में माना जाना चाहिए।

च. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित आधार की अपेक्षा को पूरा नहीं करता। याचिकाकर्ता के उत्पादन का हिस्सा, हितबद्ध पक्षकारों की गणना के अनुसार केवल 20.39 प्रतिशत है, जो कि एक रूढिवादी धारणा के आधार पर है कि सभी अन्य घरेलू उत्पादक अपनी समेकित क्षमताओं का केवल 30 प्रतिशत प्रचालन कर रहे हैं।

छ. घरेलू उद्योग के कुल आउटपुट में घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा शामिल है अर्थात 51 प्रतिशत से अधिक तक है । याचिकाकर्ता अपनी याचिका में उल्लिखित 29 उत्पादकों के कुल उत्पादक को शामिल करने में विफल रहा है, जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने का दावा किया है। याचिका में शामिल उन 29 उत्पादकों में से एक उत्पादक मै० अल्फा फोम सुनवाई में मौजूद था। अल्फा फोम ने अपनी क्षमता प्रति वर्ष 3000 टन से बढ़ाकर 6000 टन प्रति वर्ष की है। साथ ही, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके पास विचाराधीन के उत्पादन की क्षमता है, जो 10 जी एस एम से 150 जी एस एम तक की है। आयातकों मै० यूनिचार्म ने यह दावा किया है कि उन्होंने भारत में 25 जी एस एम से कम के बिना बुने फैब्रिक की खरीद की है और यह कि उनके द्वारा इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद अन्य उत्पादकों द्वारा भी उत्पादित किए जा रहे हैं।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

22. आवेदन मै० ग्लोबल नान वूवन्स लिमिटेड द्वारा दायर किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास विचाराधीन और भारत में घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में उत्पादित समान उत्पाद का 100 प्रतिशत उत्पादन शामिल है। याचिकाकर्ता ने अन्य उत्पादकों के संबंध में याचिका में सूचना प्रदान की है लेकिन यह भी उल्लेख किया है कि ये उत्पादक बिना बुने फैब्रिक लेकिन उत्पाद जी एस एम से भिन्न का उत्पादन कर रहे हैं, जिसका उपयोग हाइजीन और स्वास्थ्य अनुप्रयोगों के लिए नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने अपने दावे का पुन: उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद, बाजार में अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पादन से भिन्न है और उत्पाद के गुणों में और घरेलू उद्योग तथा अन्य उत्पादकों द्वारा बेचे गए उत्पाद की परिणामी कीमतें भिन्न हैं।

23. जांच की शुरूआत की अवस्था में तथा रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भारत में केवल याचिकाकर्ता द्वारा किया जा रहा है, जहां तक डी टी ए में उत्पादन का संबंध है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एलस्ट्रोम फाइबर कंपोजिट्स द्वारा किया जाता है, जो सेज में उपलब्ध है और जिसने बाद में याचिका का समर्थन किया। अत: जांच की शुरूआत मै० ग्लोबल नान-वूवन्स लिमिटेड द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दाखिल की गई एक याचिका के आधार पर किया गया था।

24. जांच शुरू होने के बाद और सुनवाई के दौरान अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का कोई आधार नहीं है और ऐसे अनेक उत्पादक है जिन्होंने देश में उत्पाद का उत्पादन किया है। यह भी तर्क दिया गया था कि चूंकि उत्पाद का उत्पादन देश में अनेक अन्य उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है। मामले की जांच इस आधार पर नहीं शुरू की जा सकती कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए मैटेरियल रिटार्डेशन हो रहा है। जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी ने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को लिखा, जिसमें बिना बुने वस्त्र के ज्ञात उत्पादकों के ब्यौरों की मांग की गई हे। तथापि, ऐसे कोई ब्यौरे प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

25. इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता ने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और नहीं विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों से वे संबद्ध हैं। किसी भी उत्पादक ने जांच शुरू करने की अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है, जिसे 15 जून, 2016 का सार्वजनिक डोमेन में अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा

सूचीबद्ध विभिन्न उत्पादकों में से मै० अल्फा फोम ने अनुरोध दाखिल किया था और साथ ही पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए भी याचिका का समर्थन किया है।

26. प्राधिकारी द्वारा भारत में विभिन्न आयातकों और उपभोक्ताओं को भी पत्र भेजे गए थे। तथापि, केवल मै० यूनिचार्म ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया है। मौखिक सुनवाई के दौरान, मै० यूनिचार्म ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक हैं और वे इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। तथापि, उन्होंने अनुरोध दाखिल किया है लेकिन उन्होंने जांच की अवधि अथवा विगत वर्ष के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन/ खरीद के बारे में किसी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अपने दावे के लिए बिना प्रमाण के यह दर्शाता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक नहीं हो सकते, जो याचिका का विरोध या समर्थन करना चाहे।

27. जहां तक घरेलू उद्योग के दायरे में एसईजैड इकाई को शामिल करने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसईजैड यूनिटों की स्थापना विशिष्ट प्रयोजनों के साथ की जाती हैं और घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय ऐसी यूनिटों पर ध्यान केंद्रित करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग की पूर्ति की जाती है।

28. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की परिभाषा के आधार पर यह देखा गया है कि केवल याचिकाकर्ता और मै० अल्फा फोम समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में पात्रता को पूरा करते हैं। मै० अल्फा फोम ने अपने उत्पादन के बारे में सूचना प्रस्तुत की है और याचिका का भी समर्थन किया है। अत: प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन की गणना के लिए उनके उत्पादन पर विचार किया है और इसे शामिल करने के बाद, याचिकाकर्ता के पास अभी भी भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन का बड़ा हिस्सा शामिल है।

29. चूंकि याचिकाकर्ता के उत्पादन में भारत में डी टी ए में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में "एक बड़ा हिस्सा" शामिल है, इसलिए याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के तात्पर्य से घरेलू उद्योग के आधार को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है।

30. माननीय सेस्टेट ने घरेलू उद्योग और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अपने दिनांक 12 फरवरी, 2020 के आदेश में कोई विशिष्ट टिप्पणियां नहीं की हैं। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दायरे और वर्तमान रिमांड कार्यवाही में आधार के संबंध में कोई नया मामला नहीं उठाया है।

ड. <u>गोपनीयता:</u>

माननीय सेस्टेट ने अपने दिनांक 12 फरवरी, 2020 के आदेश में सूचना की गोपनीयता के मामले के संबंध में कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं की है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिमांड के बाद की अवधि सहित जांच के दौरान अनुरोध किए गए हैं।

ड.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

31. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. निर्यातकों/ आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली उत्तरों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ख. अधिकांश सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है और उनमें से कुछ ने खाली फार्मेट दाखिल किए हैं।

ग. उनके द्वारा दाखिल किए गए अनुरोध समझ से परे हैं और याचिकाकर्ता ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह उन पर कोई टिप्पणी दे सके।

घ. नियम 7 के तहत सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं और जब याचिकाकर्ता ने कोई आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं, इसलिए किसी उदाहरण से ध्यान नहीं दिलाया गया है।

ड. दावा की गई गोपनीयता निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमत प्रक्रिया के अनुसार है। लागत संबंधी सूचना में गोपनीयता की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता की अत्यधिक कारोबारी प्रोपरायटरी सूचना शामिल है।

च. हितबद्ध पक्षकारों और निर्यातकों ने स्वयं ही अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और यह तर्क उस तथ्य से बचने के लिए उपयोग किया गया है।

छ. निर्यातकों द्वारा ऐसी मांग का मुख्य उद्देश्य भारत में विचाराधीन उत्पाद की लागत के संबंध में संवेदनशील और गोपनीय कारोबारी सूचना प्राप्त करना है, चूंकि निर्यातक भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन को स्थापित करना चाहते हैं। निर्यातक यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि वे भारत में वस्तुओं का पाटन नहीं करते तो याचिकाकर्ता स्वयं को स्थापित करेगा और घरेलू बाजार पर कब्जा करेगा।

ड.1.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए रिमांड के बाद के अनुरोध</u>

क. घरेलू उद्योग ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना जांच में भाग ले रहा है जो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच में भरोसा करना / अपनाना चाहता है।

ख. प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के बारे में सूचित करना चाहिए, जिसके लिए कोई अगोपनीय पाठ प्रदान नहीं किया गया है।

ग. उत्पादक/ निर्यातक की सत्यापन रिपोर्ट, प्राधिकारी से पत्र, हितबद्ध पक्षकार द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों की प्रति, एन आई पी का ब्यौरा, सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण, वास्तविक पाटन मार्जिन और क्षति विश्लेषण के लिए अपनाए गए वास्तविक डाटा घरेलू उद्योग को प्रदान किए जाएं ताकि घरेलू उद्योग अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सके।

ड.2 <u>नियार्तकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

32. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

क. याचिकाकर्ता द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, इसलिए विभिन्न मापदंडों पर क्षति को समझना असंभव है।

ख. फार्मेट-ख, ग-I, और ग-II, छ और ड. में विनिर्दिष्ट मापदंडों के लिए पूरी गोपनीयता का दावा किया गया है।

ग. प्रोफार्मा IV क और और IV ख या तो प्रदान नहीं किया गया है अथवा पूरी तरह से गोपनीयता का दावा किया गया है। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और साउदी अरब के लिए औसत बिक्री कीमत शामिल है।

घ. याचिका में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के नियम 7 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

ड. किसी सूचना को केवल इस कारण से गोपनीय नहीं रखा जा सकता कि पक्षकार ने इसे गोपनीय होने का दावा किया है जैसा कि स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्रा० लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2003 (158) ई एल टी 673 मामले में निर्णय लिया गया था।

ड.2.1 <u>नियार्तकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए रिमांड के बाद के अनुरोध</u>

च. घरेलू उद्योग को मूल जांच के दौरान दाखिल किए गए हितबद्ध पक्षकारों के सभी अगोपनीय अनुरोध सुलभ है, क्योंकि प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए मूल जांच के समय सार्वजनिक फाइल रखी थी।

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए अनुरोधों के अगोपनीय पाठ प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किए जाने चाहिए। प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार उत्पादक/निर्यातक को जारी की गई सत्यापन रिपोर्ट घरेलू उद्योग को और विलोमत: प्रकट नहीं की गई है।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

33. माननीय सेस्टेट ने प्राधिकारी द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2017 को अंतिम जांच परिणामों में सूचना की गोपनीयता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत यह प्रावधान है :-

(1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय पाठ को प्रदान करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने मूल जांच के दौरान दाखिल की गई सार्वजनिक फाइल के रूप में और रिमांड की कार्यवाही के दौरान ई-मेल पत्रकार के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया ।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

35. **<u>घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए</u>**

क. यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया गया है कि याचिका का कौन सा भाग पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करता ।

ख. याचिकाकर्ता का उत्पाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है और यदि ऐसे उपभोक्ताओं की सभी मांगों को मिलाया जाए तो याचिकाकर्ता 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त कर पाएगा, जो वर्तमान में पाटित आयातों के कारण घरेलू बाजार में स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ है।

ग. एन एस ई को प्रस्तुत की गई प्रस्तुती में अनुमान इस आधार पर थे कि भारत सरकार ऐसे पाटित आयातों पर अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाएगी। अनुमानों के प्रतिकूल याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016-17 में वास्तविक और महत्वपूर्ण हानियों का सामना किया है।

घ. सभी संगत सूचना याचिका में प्रदान की गई थी और प्राधिकारी ने केवल पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के बाद जांच शुरू की है।

ड. जिंदल पोलिफिल्म्स लि० के साथ विलय होने से याचिकाकर्ता की कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा जिससे वर्तमान जांच पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि याचिकाकर्ता, जो पहले 61 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, उस ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी बनई। इसके अलावा, एक पाटनरोधी जांच से कानूनी स्थिति संगत नहीं है, जैसा कि आवेदन के प्रोफार्मा से स्पष्ट देखा जा सकता है।

च.1.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा रिमांड के बाद किए गए अनुरोध</u>

क. निर्यात मूल्य और कीमत के संबंध में उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा किए गए दावे सीमा शुल्क डाटा से संतुष्ट नहीं हैं। प्राधिकारी को डी जी सिस्टम डाटा के साथ निर्यातकों/आयातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना की पुष्टि करनी चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि के बाद की अवधि में क्षति का सामना किया है।

च.2 उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. वर्तमान याचिका दिनांक 12 मई, 2004 की व्यापार सूचना 2/2004 का उल्लंघन है। सूचना में 3 माह अर्थात अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक का अंतराल है। यह गैर-कानूनी है और इस डाटा के आधार पर जांच नहीं की जा सकती।

ख. अद्यतन याचिका के विश्लेषण के समर्थन में एक अद्यतन याचिका दाखिल नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने याचिका में केवल अद्यतन अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और अद्यतन याचिका नहीं है। याचिका अधूरी है और याचिका के भाग VI के रूप में सूचना याचिका के साथ दाखिल नहीं की गई थी।

ग. याचिका को समर्थन में साक्ष्यों के अभाव में समाप्त किया जाना चाहिए। याचिका में सामान्य मूल्य निर्यात कीमत क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में सूचना शामिल नहीं है।

घ. याचिका में तथ्य का अपर्याप्त विश्लेषण है। लागत की सूचना नहीं दी गई है और दाखिल की गई अन्य सूचना में काफी कमियां हैं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए डाटा त्रुटियों और असंगतताओं की भरमार है। ये आकड़े भ्रामक और अविश्वसनीय है तथा इनमें कोई पर्याप्तता अथवा सटीकता दिखाई नहीं देती। ये आकड़े भ्रामक और असंबद्ध हैं।

ड. याचिका में वार्षिक आंकड़े जैसी त्रुटियां हैं। सही वार्षिक आंकड़ों और याचिका के आंकड़ों में भारी तुलनात्मक कमियां हैं। वार्षिक आंकड़े भी याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा परिकलित प्रतिशतता भी सही नहीं है।

च. याचिकाकर्ता ने नकारात्मक आर ओ आई का दावा किया है। जबकि लाभ निरंतर सकारात्मक रहा है। ऐसी विरोधीभासी आंकड़े साथ-साथ नहीं चल सकते।

छ. जिंदल पोलिफिल्म की प्रस्तुती एन एस ई को प्रस्तुत की गई और यह स्पष्ट किया कि कंपनी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है।

ज. आवेदक ने जिंदल पोलिफिल्म लि० के साथ विलय को प्रकट नहीं किया है और उसके कारण याचिकाकर्ता की कानूनी स्थिति में बदलाव हुआ है। क्षति का निर्धारण करते समय इस पर विचार किया गया है।

च.2.1 निर्यातकों / आयातकों /प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिमांड के बाद किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग में मूल जांच के समय मै० ग्लोबल नान वूवस लिमिटेड शामिल है। अंतिम जांच परिणाम जारी करने के बाद, के टेक्स नान वूवन्स एंड टोरे इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा० लि० ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है। घरेलू आपूर्ति में वृद्धि होने के कारण विगत तीन वित्तीय वर्षों में मलेशिया से आयातों में करीब-करीब 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। अत: घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए मैटेरियल रिटार्डेशन के बार में घरेलू उद्योग का दावा स्थापित नहीं है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच

38. जहां तक प्रतिवादी पक्षकारों के तर्क का संबंध है कि याचिका में कमियां हैं और इसीलिए जांच को समाप्त किए जाने की जरूरत है। इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जाचं विधिवत दस्तावेजी याचिका के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध को दर्शाने वाले पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य शामिल हैं। अधिनियम और नियमावली के अनुसार जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे। प्राधिकारी ने, जहां कहीं भी अपेक्षित है, अतिरिक्त सूचना की भी मांग की है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की पुष्टि की है।

39. यह सुनिश्चित स्थिति है कि एक जांच की शुरूआत पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पर आधारित है और याचिका में ऐसी सभी सूचना और साक्ष्य शामिल करने की जरूरत नहीं है, जो एक अंतिम जांच परिणाम में अपेक्षित है। एक जांच ऐसी प्रक्रिया है, जो साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा में जांच की प्रगति के साथ सुधार होता जाता है। अंतिम जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त जांच और सत्यापन करने के बाद घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध

पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अपेक्षित है। जांच की शुरूआत की अवस्था में, प्राधिकारी केवल याचिका में प्रदान की गई सूचना पर भरोसा करते हैं और याचिकाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उसके पास तर्कसंगत ढंग से उपलब्ध सूचना से अलग सूचना प्रदान करे। जांच की शुरूआत के समय प्रयुक्त सामान्य मूल्य के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पृष्ठ भूमि में मंद पड़ गई और इसका मामले के दाखिल से कोई संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तरों के आधार पर वर्तमान निर्धारण किया है।

40. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2016 (9 माह) की है, इस बात पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने मार्च, 2015 में उत्पादन का ट्रायल शुरू किया है और वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2015 में शुरू किया है। तथापि, वास्तविक निष्पादन और अनुमानित आकलन/ लक्ष्यों की तिमाही तुलना करने के लिए तिमाही आधार पर क्षति विश्लेषण किया गया है।

41. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिका अधूरी है और याचिकाक के भाग VI जैसी सूचना याचिका के साथ दाखिल नहीं की गई थी, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिका में संगत लागत सूचना शामिल है। चूंकि सूचना में याचिकाकर्ता की गोपनीय कारोबारी सूचना शामिल है, इसलिए याचिकाकर्ता ने उस पर गोपनीयता का दावा किया है।

42. जहां तक लागत संबंधी सूचना के प्रकटीकरण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लागत संबंधी सूचना गोपनीय कारोबारी प्रोपरायटरी प्रकृति की सूचना है और इसका सारांशीकरण नहीं किया जा सकता तथा उसके लिए गोपनीय सूचना के रूप में निरंतर अनुमति दी गई है। वास्तव में, घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादक, दोनों ने लागत की सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने लागत संबंध सूचना पर गोपनीयता के दावा को स्वीकार किया है।

43. याचिकाकर्ता की परियोजना रिपोर्ट स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के कारोबारी कार्यों के संबंध में एक गोपनीय कारोबारी संवेदनशील सूचना है और इसीलिए अगोपनीय पाठ में प्रकट नहीं की जा सकी है। जहां तक उत्पादों के सैम्पल का संबंध है, याचिकाकर्ता ने इस पर कोई गोपनीयता का दावा नहीं किया है और ये सैम्पल सार्वजनिक फाइल में रखे गए हैं। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने अपने सैम्पल देश में अनेक उपभोक्ताओं को भेजे हैं और यह बिना किसी आधार के है कि सैम्पल पर याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीयता का दावा किया गया है।

ड.3.1 प्राधिकारी द्वारा रिमांड के बाद की गई जांच

44. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को और डी जी सिस्टम को यह अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे प्रदान करे। निर्यातक के डाटा की प्राधिकारी द्वारा आयोजित स्थान सत्यापन के दौरान संगतता के अनुसार पुष्टि की गई थी। अत: प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के डाटा पर भरोसा किया है और गणना करने तथा अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत सूचना पर भरोसा किया है।

45. याचिकाकर्ता के अल्प इतिहास को देखते हुए घरेलू उद्योग के निष्पादन पर भी जांच की अवधि के बाद की अवधि में विचार किया गया है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति होने और मैटेरियल रिटार्डेशन की आशंका वाले मामलों तथा नए मामलों में जांच की अवधि के बाद के निष्पादन पर विचार कर रहे हैं । इस प्रकार अप्रैल से दिसम्बर 2016 तक की अवधि के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन की भी जांच की गई है और यह निर्धारित करने के लिए विचार किया गया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है ।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

46. धारा 9 (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(*क*) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(*ख*) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

47. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी है, जिसमें उन्हें निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया है। निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं :-

क्र.सं.	**देश**	**कंपनी**	**स्थिति**
1	चीन जन. गण.	टोरे पोलिटेक (नानटोंग) कंपनी लि०,	उत्पादक
2	चीन जन. गण.	हुबेई गोल्ड ड्रैगन नॉन वुवेन फैब्रिक्स कंपनी, लि०,	उत्पादक
3	इडोनेशिया	टोरे पोलिटेक जाकर्ता,	उत्पादक
4	मलेशिया	फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन बीएचडी,	उत्पादक
5	सउदी अरब	सउदी जर्मन कंपनी फार नॉन वुवन प्रोडक्ट्स	उत्पादक
6	थाईलैंड	असाही कसेई स्पन बांड (थाईलैंड) कंपनी, लि०,	उत्पादक
7	थाईलैंड/ इंडिया	इटोचु थाईलैंड लि० एवं इटोचु इंडिया लि०	निर्यातक/ आयातक

48. माननीय सेस्टेट ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित प्राधिकारी के निर्धारण के बारे में किसी संबद्ध देश के लिए विशेष तौर पर कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं की है। तथापि, माननीय सेस्टेट ने सामान्यत: यह पाया है कि प्रकटीकरण विवरण में सकारात्मक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था लेकिन अंतिम जांच परिणाम प्रकटीकरण विवरण के विपरीत थे।

49. माननीय सेस्टेट ने यह पाया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणामों में यह दर्ज किया है कि कुछ मामलों में पाटन मार्जिन की गणना के संबंध में प्रकटीकरण विवरण में एक चूक थी, उसे ठीक कर दिया गया था लेकिन इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह चूक क्या थी और उसे कैसे ठीक किया गया था।

50. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में वर्तमान रिमांड जांच के दौरान विशिष्ट दावे किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :-

छ.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. उत्पाद में एक कीमत फार्मूला है अपनाया गया है, जहां गुणवत्ता जांच करने के लिए एक उचित कीमत व्यवस्था अपनाई गई है और केवल अपेक्षित अनुमोदन मिलने के बाद ही, वस्तुओं का वाणिज्यिक सौदा किया जाता है। यह उत्पाद प्राथमिक रूप से कीमत संबंधी फार्मूला के आधार पर बेचा जाता है।

ख. मलेशिया और इंडोनेशिया को छोड़कर अधिकांश उत्पादन तिमाही कीमत के आधार पर उत्पाद की बिक्री करते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया भारत में उपभोक्ताओं के साथ 6 माह के करार के बाद संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं और तदनुसार, 6 माह के कीमत संबंधी फार्मूला के आधार पर कीमतें निर्धारित की जाती हैं।

ग. थाईलैंड, चीन और साउदी अरब से उत्पादक 3 माह की कीमत संबंधी व्यवस्था को अपनाकर भारतीय ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं और इसके बाद निदांक 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की गई आपूर्तियों के लिए दिनांक 1 जनवरी से 30 जून तक की इनपुट कीमतों पर विचार करके ओर 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, तक की गई आपूर्तियों के लिए 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक की इनपुट कीमतों पर विचार करके कीमतों का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में चीन जन. गण. के अलावा संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय इन कारकों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

घ. चीन 11 दिसम्बर, 2016 के बाद भी एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है। चीन को यूरोपीय संघ तथा यू एस ए जैसे उन देशों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में व्यवहार नहीं किया जा रहा, जो डब्ल्यू टी ओ के सदस्य हैं। चीन के अभी भी एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के तहत माना जा रहा है।

ड. भारत में भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को दिनांक 31 मई, 2002 के संशोधन के बाद चीन के खिलाफ शुरू की गई सभी जांचों में व्यावहारिक रूप से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है। पाटनरोधी नियमावली में कतिपय शर्तें निर्धारित की गई है, जो बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे को स्थापित करने की दृष्टि से पूरी है। यह उल्लेखनीय है कि इच्छुक निर्यातक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे के लिए प्रत्येक और हर शर्त पूरी की जानी चाहिए।

च. ऐसी स्थिति में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता, जहां प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य के स्वामित्व/ नियंत्रण वाली एक संस्था है।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी चीन के निर्यातक यह स्थापित न करें कि प्रमुख इनपुट की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार के मूल्यों को दर्शाती हों और उनके खातों की अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की जाती है। दोनों ही मापदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए।

ज. यह प्राधिकारी पर निर्भर नहीं करता कि वह यह प्रमाणित करे कि प्रतिवादी कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण के तहत प्रचलित की जाती हैं और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पात्र है लेकिन यह प्रतिवादी चीन के निर्यातकों पर निर्भर करता है कि वे यह प्रमाणित करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत संचालित हो रहे हैं।

झ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसकी समूह कंपनी समग्र रूप से दावा न करे। यदि एक या अधिक कंपनी ने जो ग्रुप का हिस्सा है, उत्तर दाखिल नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा अस्वीकार किया जाना चाहिए।

ञ. ऐसी स्थिति में जब वर्तमान शेयर धारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, लेकिन इन्हें किसी अन्य पक्षकार से प्राप्त किया है, तो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक कि रूपान्तरण की प्रक्रिया दस्तावेजी साक्ष्यों सहित पूरी तरह से स्थापित न हो गई हो।

ट. वर्तमान मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर इस कारण से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

ठ. मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और साउदी अरब के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत की सूचना/ साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और साउदी अरब

में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की कीमत सूची अथवा कोटेशन प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए गए थे।

ड. चूंकि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कुछ ही उत्पादकों द्वारा किया जाता है और कुछ ही ग्राहकों को बिक्री की जाती है, इसलिए मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और साउदी अरब के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत की सूचना/ साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

ढ. याचिकाकर्ता ने निर्मित मूल्य की अवधारणा पर विचार करके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

ण. याचिकाकर्ता स्टार्ट अप्स के नुकसानों को अलग करने के लिए समायोजनों पर सहमत है, लेकिन केवल सामान्य मूल्य का निर्धारण करने तक है न कि क्षति मार्जिन और एन आई पी का निर्धारण करने तक है ।

त. विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित किए गए फैब्रिक की लागत और कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है।

छ.1.2 घरेलू उद्योग द्वारा रिमांड के बाद किए गए अनुरोध

52. **घरेलू उद्योग द्वारा रिमांड के बाद किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं**

क. अंतिम जांच परिणामों में न्यूनतम क्षति मार्जिन के संबंध में प्राधिकारी का निर्धारण माननीय सेस्टेट द्वारा वापस लौटा दिया गया है। माननीय सेस्टेट ने यह पाया है कि प्रकटीकरण विवरण में निर्धारित किया गया सकारात्मक पाटन मार्जिन सही है।

ख. प्राधिकारी ने माननीय सेस्टेट के इस विशिष्ट निष्कर्ष की पूरी तरह से उपेक्षा की है कि केवल सहयोगी निर्यातकों के लिए पीसीएन वार विश्लेषण लागू होगा और न कि असहयोगी/अवशिष्ट श्रेणी के लिए ।

ग. असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाए जाने चाहिए क्योंकि उन्होंने सूचना को रोक कर रखा है। असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण सार्वजनिक सामान्य मूल्य और न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर, पी सी एन से पी सी एन तुलना करने की प्रणाली को अपनाकर निर्धारण किया जाना चाहिए। पाटनरोधी विगत जांचों, प्राधिकारी ने सर्वाधिक सामान्य मूल्य की न्यूनतम निर्यात कीमत के साथ तुलना करके सबसे अधिक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। प्राधिकारी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा बिक्री किए गए पी सी एन के संबंध में रिकार्ड में सूचना नहीं लेते और इसलिए प्राधिकारी पी सी एन से पी सी एन तुलना के आधार पर पाटन का मार्जिन निर्धारित नहीं कर सकते ।

घ. मलेशिया से उत्पादक/ निर्यातक, मै० फाइबर टेक्स पर्सनल केयर एसडीएन बीएचडी. के प्रश्नावली उत्तर प्राधिकारी द्वारा अविश्वसनीय मानकर अस्वीकार किए गए हैं। प्राधिकारी के जांच परिणामों को अपील में निर्यातक द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और इसीलिए उन्होंने अंतिम स्थिति प्राप्त कर ली है। किसी भी स्थिति में उत्पादक/ निर्यातक ने समय पर सूचना प्रदान नहीं की है और सूचना को छिपाया है। अत: उनके उत्तर स्वीकार नहीं किए जा सकते ।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

53. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

क. याचिकाकर्ता उपयुक्त सामान्य मूल्य की गणना करने में विफल रहा है। सामान्य मूल्य को पूरी तरह से संशोधित किया गया है और गोपनीयता का दावा किया गया है।

ख. डाटा को पढ़ना असंभव है और इनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता ।

ग. बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों जैसे थाईलैंड, साउदी अरब, इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य निर्मित नहीं किया जा सकता । ये देश बाजार अर्थव्यवस्था हैं जिनके लिए याचिकाकर्ता की मानक खपत मापदंडों, परिवर्तन लागत, घरेलू उद्योग की बिक्री की व्यय और प्रशासनिक व्यय के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया भी साउदी अरब के लिए निर्मित सामान्य मूल्य अस्वीकार किया जाना चाहिए।

घ. टोरे पोलिटेक नानटोंग (टी पी एन), चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था माना जाए। 100 से अधिक डब्ल्यू टी ओ देशों ने चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया है और विगत 30 वर्षों के दौरान चीन जन. गण. ने पूरा बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है। टोरे पोलिटेक नानटोंग, चीन जन. गण. (टी पी एन) ने एम ई टी प्रश्नावली का उत्तर दिया है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की है। टी पी एन बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंडों को पूरा करता है जो कि कानून में विनिर्दिष्ट है। वर्तमान मामले में टी पी एन साख के स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है और कंपनी के प्रचालन का बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार सख्ती से अनुसरण किया जा रहा है, सभी निर्णय टी पी एन द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए हैं। तदनुसार, टी पी एन को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और प्राधिकारी ने विगत में विभिन्न मामलों में ऐसा किया है, जैसे चीन और हांगकांग से 2002 में सी एफ एल, चीन, चीनी ताइपेई, हांगकांग, समग्र कोरिया, सिंगापुर, फिलिपीन्स और थाईलैंड से 2003 में कॉपर क्लेड लेमिनेट, 2003 में चीन से बोरेक्स डिकाहाइड्रेट इत्यादि है।

ड. वैकल्पिक रूप से उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इंडोनेशिया को टोरे पोलिटेक नानटोंग के लिए सेरोगेट देश के रूप में विचार किया जाए। टी पी जे और टी पी एन, दोनों ही टोरे ग्रुप का भाग है और दोनों ही इस जांच में सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक हैं। दोनों ही संगत संस्थाएं हैं, जो क्रमश: इंडोनेशिया और चीन नाम विभिन्न देशों में स्थित है।

च. याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई अद्यतन सूचना में, प्रत्येक आंकड़े संशोधित किए गए हैं और याचिका में न केवल कुल योग भी सूचित किया गया है। साथ ही, निर्मित सामान्य मूल्य संशोधित किया गया है और इन्हें एक रेंज के रूप में भी प्रदान किया गया है।

छ. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए स्टार्ट अप्स द्वारा अलग से नुकसान और उपयुक्त समायोजन किया जाए।

ज. लागत को अपनाने के लिए आधार का याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया था और यह डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी अधिनियम के तहत साक्ष्य संबंधी अपेक्षा का एक स्पष्ट उल्लंघन है।

छ.2.1 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिमांड के बाद किए गए अनुरोध

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. घरेलू उद्योग द्वारा अपील में माननीय सेस्टेट के समक्ष पाटन मार्जिन के सही होने के संबंध में सभी दावे किए गए हैं। तथापि, परस्पर पाटन मार्जिन के सही होने के बारे में माननीय सेस्टेट के समक्ष अपील में घरेलू उद्योग के तर्क स्वीकार नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण माननीय सेस्टेट द्वारा सही नहीं पाया गया है।

ख. माननीय सेस्टेट ने केवल यह पाया है कि अंतिम जांच परिणामों में प्रकटीकरण विवरण में प्रकट किए गए पाटन मार्जिन में पाई गई चूक के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण शामिल नहीं थे। प्राधिकारी के प्रकटीकरण विवरण में और अंतिम जांच परिणामों में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए न्यूनतम पाटन मार्जिन का स्पष्ट रूप से निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त कार्यप्रणाली को प्रकट करना चाहिए।

ग. यदि माननीय सेस्टेट ने प्राधिकारी को पाटन की मौजूदगी का निर्धारण करने की अपेक्षा बताई है तो यह स्पष्ट रूप से पाया जाएगा कि पाटन के निर्धारण के लिए अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी का आकलन गलत है। विगत के कई निर्णयों में माननीय सेस्टेट ने स्पष्ट रूप से यह पाया है कि जांच के विशेष पहलू के संबंध में प्राधिकारी का आकलन गलत है और इसे संशोधित किए जाने की जरूरत है।

घ. प्राधिकारी ने इस पाटनरोधी जांच में पी सी एन प्रणाली को अपनाया है। अत: पी सी एन से पी सी एन तुलना की प्रणाली सभी उत्पादकों/ निर्यातकों और सहयोगी उत्पादों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाएगी। यह जब पी सी एन प्रणाली अपनाई जाती है तो पी सी एन से पी सी एन तुलना के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी की संगत प्रथा के

अनुसार है। पी सी एन से पी सी एन तुलना के आधार पर पाटन मार्जिन अपेक्षित है ताकि पाटनरोधी नियमावली और डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के तहत सामान्य मूल और निर्यात कीमत के बीच "पारदर्शी तुलना" की कानूनी अपेक्षा की पूर्ति हो सके।

ड. मलेशिया से उत्पादक/ निर्यातक मै० फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन. बीएचडी. ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है और पूरी सूचना प्रदान की है। अत: प्राधिकारी को मै० फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन. बीएचडी. को असहायोगी उत्पादक/ निर्यातक मानना चाहिए। माननीय सेस्टेट ने भी प्राधिकारी को मै० फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन बीएचडी की स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्राधिकारी को विशेष रूप से छूट प्रदान की है।

च. घरेलू उत्पादक द्वारा दाखिल की गई याचिका में स्वयं ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य प्रदान करके पी सी एन वार सूचना प्रदान की है। यदि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करते समय पी सी एन से पी सी एन तुलना अपेक्षित नहीं थी, तो घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न पी सी एन के आधार पर सामान्य मूल्य के बारे में याचिका में सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए कोई अपेक्षा नहीं है।

छ. यहां तक कि पी सी एन प्रणाली अपनाई नहीं जाती है तो यदि संबद्ध देश से कोई सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक नहीं है तो प्राधिकारी सबसे अधिक सामान्य मूल्य और सबसे कम निर्यात कीमत का उपयोग नहीं करते। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा करने के लिए सभी पाटनरोधी जांच पर भरोसा किया गया कि प्राधिकारी सबसे अधिक सामान्य मूल्य और सबसे कम निर्यात कीमत के आधार पर असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करते हैं। जो जांचों के ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें कि संबद्ध देश से कम से कम एक उत्पादक/ निर्यातक भाग ले और सहयोगी निर्यातक तथा अहसयोगी निर्यातक के पाटन मार्जिन में अंतर उत्पन्न करने के लिए एक अपेक्षा थी। यदि मै० फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन बीएचडी. को असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक के रूप में माना जाता है तो मलेशिया से ऐसा कोई सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक नहीं होगा जिसका सबसे अधिक सामान्य मूल्य और सबसे कम निर्यात कीमत अपनाई जा सके। अत: असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए सबसे अधिक सामान्य मूल्य और सबसे कम निर्यात कीमत के उपयोग के बारे में घरेलू उद्योग का दावा इस कारण से भी मलेशिया के लिए लागू नहीं है।

ज. प्राधिकारी द्वारा अंतिम परिणामों में उल्लिखित दो आधारों पर मै० फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन. बीएचडी. के प्रश्नावली उत्तर को अस्वीकार करना गलत था। भारतीय कार्यालय का तथ्य प्रतिवादी द्वारा कमी भी छिपाया नहीं गया था और उसे प्रश्नावली उत्तर में प्रकट कर दिया गया था। प्रश्नावली उत्तर में और सैम्पल इन्वायस में कि.ग्रा. में सूचित की गई बिक्री मात्रा के बीच मेल न होने के संबध में यह नोट किया जाता है कि लेखांकन रिकार्ड का रख रखाव प्राधिकारी द्वारा 'वर्ग मीटर' के आधार पर किया जाता है, क्योंकि उत्पाद एक फैब्रिक है। उत्पाद के लिए इन्वायस और कीमत भी वर्ग मीटर के आधार पर है। किसी भी स्थिति में मै० फाइबरटेक्स ने संशोधित और सही आंकड़े कि. ग्रा. में प्रदान किए तथा साथ ही प्रकटीकरण पर अपनी टिप्पणियां प्रदान की और ये प्राधिकारी को पुन: प्रदान की गई है।

झ. डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.3 के तहत "सहयोग" वास्तव में एक दो मार्गी प्रक्रिया है, जिसमें संयुक्त प्रयास करने होते हैं। डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के अनुलग्नक-II में यह प्रावधान है कि यद्यपि मै० फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन. बीएचडी. द्वारा प्रदान की गई सूचना हर तरह से आदर्श नहीं हो सकती लेकिन प्राधिकारी द्वारा इसे न मानना न्यायोचित नहीं है, बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ने अपने सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य किया है।

ञ. मै० फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन बीएचडी. ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार पूरी सूचना प्रदान करने का कार्य किया है यदि प्राधिकारी को यह विश्वास है कि उत्तर में कोई कमी है अथवा उसमें आगे कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित है, तो प्राधिकारी आगे सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं और कमी के

संबंध में पत्र जारी करके स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। अन्य पाटनरोधी जांचों में, प्राधिकारी ने हिबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने की प्रारंभिक तारीख बीत जाने के बाद आगे सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया है।

ट. माननीय सेस्टेट के निर्णय से असाही कसेई स्पन बांड (थाईलैंड) कंपनी लि०, थाईलैंड इटोचु (थाईलैंड) लि०, थाईलैंड और इटोकु इंडिया प्रा० लि०, इंडिया के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि प्रकटीकरण विवरण में और प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में भी पाटन मार्जिन में कोई बदलाव नहीं था।

ठ. हुबेई गोल्ड ड्रेगन नान वूवन फैब्रिक्स, चीन जन. गण. ही चीन गण. से एकमात्र भाग लेने वाला उत्पाक और निर्यातक था जिसके लिए डी जी टी आर ने नकारात्मक पाटन मार्जिन पाया है और उसकी गणना की है। प्राधिकारी द्वारा हुबेई गोल्ड ड्रेगन नान वूवन फैब्रिक्स, चीन जन. गण. के लिए पाटन मार्जिन के बारे में जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण से अंतिम जांच परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं था।

ड. घरेलू उद्योग के तर्क अवशिष्ट श्रेणी के डी एम और आई एम को ही लक्षित करते हैं और अवशिष्ट श्रेणी के संबंध में प्रतिकूल अनुमान निकाले गए हैं।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

55. मूल जांच की शुरुआत के बाद, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं जिसमें उन्हें निर्धारित रूप में तथा तरीके से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी गई। निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने वर्तमान जांच में निर्यातक की प्रश्नावली (इ क्यू) का उत्तर प्रस्तुत किया।

क्र. सं.	देश	कंपनी	स्थिति
1	चीन जन. गण.	टोरे पोलिटेक (नानटॉग) कंपनी लिमि.	उत्पादक
2	चीन जन. गण.	हुबई गोल्ड ड्रागोन नॉनवूवन फेब्रिक्स कं. लिमि.	उत्पादक
3	इण्डोनेशिया	टोरे पोलिटेक जर्काता	उत्पादक
4	मलेशिया	फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन, बीएचडी	उत्पादक
5	सउदी अरब	सउदी जर्मन कं. फॉर नॉनवूवन प्रॉडेक्ट्स	उत्पादक
6	थाईलैण्ड	असाही कसई स्पूनबाण्ड (थाईलैण्ड) कं., लिमि.	उत्पादक
7	थाईलैण्ड/ इण्डिया	इटोचू थाईलैण्ड लिमि. एंड इटोचू इंडिया लिमि.	निर्यातक/ आयातक

56. जांच की शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए इस अनुमान के साथ आगे की कार्यवाही की। जांच की शुरुआत के बाद, प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों को जांच की शुरुआत संबंधी चुनौती का उत्तर देने की सलाह दी और अपने बाजार की अर्थव्यवस्था की स्थिति के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलबध कराने के लिए कहा। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खण्डन के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को एम ई टी प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए उनके देश के उत्पादकों/ निर्यातकों को सलाह दें।

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टोरे पोलिटेक (नानटॉग) कंपनी लिमि. को छोड़कर, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने गैर बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खण्डन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के परिणामस्वरूप बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि, प्राधिकारी ने उन्हें अनुबंध । के पैरा 8 (3) नियमावली 8 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया है।

58. इस तथ्य को देखते हुए कि कोई भी उत्पादक/ निर्यातक एम ई टी का दर्जा पाने के लिए हकदार नहीं है और इसके अलावा, घरेलू उद्योग सहित किसी भी पक्षकार ने प्राधिकारी को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करने के लिए कोई वास्तविक तथ्य उपलब्ध नहीं कराया है, प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के संबंध में अन्य गोपनीय आधार पर चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

59. उपर्युक्त को देखते हुए भारत में चीन से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार कर और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चे और उचित लाभ मार्जिन के लिए उचित योग के बाद "किसी अन्य आधार" पर नहीं किया है। सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रमुख कच्चे माल की खपत, प्रमुख कच्चे मालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, परिवर्तन लागत, ब्याज, एस जी ए आदि जिसे घरेलू उद्योग के लिए अनुमत्य स्तरों पर मंजूर किया गया था, पर विचार करने के बाद किया गया है। इसके अलावा, बिक्री की लागत का 5 प्रतिशत उचित लाभ में जोड़ा गया है।

60. जहां तक इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड और सउदी अरब के उत्पादकों और निर्यातकों का प्रश्न है, प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विश्वास किया है और उसका सत्यापन संभव सीमा तक किया है।

61. प्राधिकारी ने ऐपल टू ऐपल तुलना सुनिश्चित करने के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु पी सी एन वार विश्लेषण किया है।

62. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद, वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने संबंधित देश, जहां निर्यातकों से सहयोग प्राप्त हुआ है, से आयात किये गये पी सी एन के लिए न्यूनतम निवल निर्यात कीमत पर विचार किया है और उस देश के गैर सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु उसी पी सी एन के इसके सदृश्य समान मूल्य पर विचार किया है। जहां संबद्ध देश से किसी उत्पादक और निर्यातक से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, संरचित सामान्य मूल्य और उस देश का कुल आयात की निवल निर्यात कीमत को डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार भारित औसत पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है।

(I). <u>चीन जन. गण.</u>

<u>टोरे पोलिटेक (नानटॉग) कं. लिमि. ("टी पी एन") चीन जन. गण.</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

63. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टोरे पोलिटेक (नानटॉग) कंपनी लिमि. चीन जन. गण. ने बाजार अर्थव्यवस्था के बर्ताव का दावा किया था लेकिन उसे प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के पैरा 8(3) के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा न किये जाने को देखते हुए प्राधिकारी द्वारा मंजूर नहीं किया गया है। इसके अलावा, स्थानापन देश के रूप में इण्डोनेशिया को मानने के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया गया था। हालांकि, उसे प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि विभिन्न इण्डोनेशियाई उत्पादक चीन के उत्पादकों द्वारा निर्माण किये गये और बेची गई सभी संबंधित उत्पाद प्रकारों (पी सी एन) का उत्पादन और आपूर्ति नहीं करता है। इस कारण से तुलनीय आंकड़े लेने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर अनुमानित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बच जाता है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर संरचित सामान्य मूल्य की गणना तुलनीय पी सी एन के लिए निर्यात कीमत से उचित तुलना करने के लिए पी सी एन वार गणना की गई है।

<u>निर्यात कीमत</u>

64. मैसर्स टोरे पोलिटेक (नानटॉग) कंपनी लिमि. ("टी पी एन") चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है और इसने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। भारत को बिक्री सी आई एफ आधार पर होती है और मात्रा तथा विनिर्देश का ब्यौरा प्रश्नावली के उत्तर के

परिशिष्ट 2 में प्रस्तुत किया गया है। उत्पादक/ निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा और ऋण के आधार पर समायोजनों का दावा किया है और उसे उचित सत्यापन के साथ जारी किया गया है। कारखानागत कीमत की गणना उचित तुलना के लिए पी सी एन वार की गई है।

पाटन मार्जिन

65. प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किये गये प्रत्येक पी सी एन के लिए पी सी एन से पी सी एन तक तुलना करने के लिए पाटन मार्जिन की गणना की है। उसके बाद, प्राधिकारी ने समग्र रूप में उत्पादक/ निर्यातक के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन की गणना की है। भारत में निर्यात किये गये सभी पी सी एन के लिए भारित औसत संरचित सामान्य मूल्य (सी एन वी), निवल निर्यात कीमत (एन ई पी) और पाटन मार्जिन नीचे तालिका में उल्लेख किया गया है।

हुबई गोल्ड ड्रागोन नॉनवूवन फेब्रिक्स कं. लिमि. चीन जन. गण.

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

66. हुबई गोल्ड ड्रागोन नॉनवूवन फेब्रिक्स कं. लिमि. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है और इसने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। उन्होंने एम ई टी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही एम ई टी का दर्जा मांगा है। भारतीय ग्राहक को बिक्री सी आई एफ आधार पर होती है और निवल कारखानागत निर्यात कीमत के अंतिम निर्धारण के लिए निर्यातक ने हैंडलिंग, अंतर्देशीय ढुलाई, विदेश में ढुलाई, बीमा, ऋण और बैंक प्रभार के आधार पर समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति उचित सत्यापन के बाद दी गई है। कारखानागत कीमत की गणना उचित तुलना के लिए पी सी एन वार की गई है। सामान्य मूल्य की संरचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है1

पाटन मार्जिन

67. प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किये गये प्रत्येक पी सी एन के लिए पी सी एन से पी सी एन तक तुलना करने के बाद पाटन मार्जिन की गणना की है। उसके बाद प्राधिकारी ने समग्र रूप से उत्पादक और निर्यातक के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन की गणना की है। कारखानागत कीमत की गणना उचित तुलना के लिए पी सी एन वार की गई है। भारत को निर्यात किये गये सभी पी सी एन के लिए भारित औसत सी एन वी, एन ई पी और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है।

चीन जन. गण. के सभी अन्य उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

68. चीन के अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों जिन्होंने इस जांच में भाग नहीं लिया है/ सहयोग नहीं किया है के लिए, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया जाता है। कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य की तुलना चीन जन. गण. के सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन की गणना करते समय उसी पी सी एन के लिए कारखानागत निर्यात कीमत से की गई है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने न्यूनतम निर्यात कीमत से पी सी एन पर विचार किया और इसकी तुलना उसी पी सी एन के लिए संरचित सामान्य मूल्य से की। मूल जांच में प्रकटन विवरण को जारी करते समय, प्राधिकारी ने त्रुटिवश पी सी एन पद्धति की उपेक्षा की और उच्चतम सामान्य मूल्य की तुलना सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत से की। लापरवाही के कारण हुई इस त्रुटि को अंतिम जांच परिणामों में ठीक कर लिया गया है। जब पी सी एन पद्धति को जांच में अपनाया जाता है तब प्राधिकारी की यह सतत् कार्यपद्धति होती है कि वह संरचित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए पी सी एन वार तुलना के आधार पर सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करे।

क्र. सं.	उत्पादक/ निर्यातक	संरचित सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		यू एस डा/ मी. ट.	यू एस डा/ मी. ट.	यू एस डा/ मी. ट.	%	
1	टोरे पोलिटेक (नानटॉग) कंपनी लिमि. ("टी पी एन")	***	***	***	***	5-15
2	मैसर्स हुबई गोल्ड ड्रागोन नॉनवूवन फेब्रिक्स कं. लिमि.	***	***	***	***	(0-10)
3	अन्य सभी	***	***	***	***	15-25

(II). <u>इण्डोनेशिया</u>

<u>मैसर्स टोरे पोलिटेक जर्काता. पीटी ("टी पी जे")</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

69. मैसर्स टोरे पोलिटेक जर्काता. पीटी ("टी पी जे") इण्डोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है। घरेलू बाजार में इसने गैर संबद्ध पक्षकारों को 100 प्रतिशत संबद्ध वस्तु बेची है। 80/20 जांच की गई है और 80 प्रतिशत से अधिक लेन देन लाभप्रद रहा है। उत्पादक/ निर्यातक ने ग्राहक को अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय भाड़े और ऋण संबंधी खर्चों के आधार पर समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति उचित सत्यापन के बाद की गई है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना तुलनीय पी सी एन के लिए निर्यात कीमत के साथ उचित तुलना के लिए पी सी एन वार की गई है।

<u>निर्यात कीमत</u>

70. मैसर्स टोरे पोलिटेक जर्काता. पीटी ("टी पी जे") ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष तौर पर भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। भारतीय ग्राहक को बिक्री एफ ओ बी/ सी एंड एफ आधार पर हुई है। उन्होंने अंतर्देशीय भाड़े, अन्य खर्चे, समुद्री भाड़े, ऋण संबंधी खर्च और बैंक प्रभारों के आधार पर समायोजनों का दावा किया है और उसे उचित सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। कारखानागत कीमत की गणना उचित तुलना के लिए पी सी एन वार की गई है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

71. प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किये गये प्रत्येक पी सी एन के लिए पी सी एन से पी सी एन तुलना करने के बाद पाटन मार्जिन की गणना की है। उसके बाद प्राधिकारी ने समग्र रूप में उत्पादक/ निर्यातक के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। भारत को निर्यात किये गये सभी पी सी एन के लिए भारित औसत एन वी, एन ई पी और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है।

<u>इण्डोनेशिया के सभी अन्य उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>

72. इण्डोनेशिया के सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों जिन्होंने इस जांच में भाग नहीं लिया है/ सहयोग नहीं किया है अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है। कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य की तुलना इण्डोनेशिया के सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन की गणना करते समय उसी पी सी एन के लिए कारखानागत निर्यात कीमत से की गई है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने न्यूनतम निर्यात कीमत से पी सी एन पर विचार किया और इसकी तुलना उसी पी सी एन के लिए सामान्य मूल्य से की गई है। मूल जांच में प्रकटन विवरण को जारी करते समय, प्राधिकारी ने त्रुटिवश पी सी एन पद्धति की उपेक्षा की और उच्चतम सामान्य मूल्य की तुलना सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत से की। असावधानी के कारण हुई इस त्रुटि को अंतिम जांच परिणामों में ठीक कर लिया गया है। जब पी सी एन पद्धति को जांच में अपनाया जाता है तब प्राधिकारी की यह सतत् कार्यपद्धति होती है कि वह सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए पी सी एन वार तुलना के आधार पर सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करे।

उत्पादक	सामान्य मूल्य यू एस डॉ/ मी. ट.	निर्यात कीमत यू एस डॉ/ मी. ट.	पाटन मार्जिन यू एस डॉ/ मी. ट.	पाटन मार्जिन %	रेंज
मैसर्स टोरे पोलिटेक जर्काता. पीटी इण्डोनेशिया	***	***	***	***	न्यूनतम अधिक (2% से कम)
अन्य सभी	***	***	***	***	न्यूनतम अधिक (2% से कम)

(III). <u>मलेशिया</u>

<u>फाइबरटेक्स पर्सनल केयर एसडीएन बीएचडी ("फाइबरटेक्स")</u>

<u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>

73. जांच की अवधि के दौरान फाइबरटेक्स में घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है और उसके साथ ही भारत को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है। उन्होंने सभी संबंधित परिशिष्टों को संलग्न करते हुए विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया था। इन आंकड़ों का सत्यापन निर्यातक के कानूनी परामर्शदाता की सहायता से तालिका अध्ययन में किया गया था। दस्तावेजीकरण में अनेक खामियां थी, जिसके बारे में कानूनी प्रतिनिधि को विधिवत रूप से सूचित किया गया था। उन्होंने मांगे गये अनुसार सूचना प्रस्तुत की थी। विश्लेषण में यह दर्शाया है कि भारत को बिक्री की मात्रा (किग्रा. में) जिसे परिशिष्ट 2 में दिया गया है, सत्यापन के लिए उपलब्ध कराये गये नमूने बीजकों के अनुरूप नहीं है। आंकड़े/ दस्तावेजों की जांच ने यह भी दर्शाया की उन्होंने पूर्ण सूचना प्रकट नहीं की थी। वास्तव में निर्यातक की ओर से सूचना विशेष रूप से भारत के कार्यालय के होने के संबंध में दबाने का जानबूझकर प्रयास किया गया हुआ लगता है।

74. फाइबरटेक्स ने अनुरोध किया है कि भारतीय कार्यालय के होने के संबंध में तथ्य को उनकी प्रश्नावली के उत्तर में प्रकट नहीं किया गया है। फाइबरटेक्स यह भी नोट करता है कि 'वर्ग मीटर' में सूचित की गई मात्रा बीजक में सूचित की गई मात्रा से मेल नहीं खा रही थी। प्राधिकारी ने फाइबरटेक्स द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और दावे का सत्यापन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि फाइबरटेक्स ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर में भारत में शाखा कार्यालय होने के संबंध में सूचना प्रकट की। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 2 में सूचित किये गये किग्रा. में वास्तविक मात्रा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई गई नमूने बीजकों के अनुरूप नहीं थी। फाइबरटेक्स द्वारा यह दावा किया गया है कि किग्रा. में सही मात्रा प्राधिकारी को मूल जांच के समय प्रस्तुत की गई प्रकटन टिप्पणियों के साथ साथ प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन टिप्पणियों के ऐसे विलंबित स्तर पर सही सूचना प्रस्तुत करना फाइबरटेक्स की ओर से सही नहीं है। अत: प्राधिकारी फाइबरटेक्स द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करना उचित समझते हैं ।

75. तदनुसार, मलेशिया से निर्यातों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है। सभी निर्यातकों और उत्पादकों कारखानागत स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अर्थात घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार की गई है। उसी प्रकार से भारित औसत निर्यात कीमत की गणना उचित तुलना के लिए सभी निर्यात लेन देन के लिए किया गया है। मूल जांच में प्रकटन विवरण को जारी करते समय, प्राधिकारी ने त्रुटिवश मलेशिया से भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए सभी निर्यात लेन देन को शामिल नहीं किया। प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए मलेशिया से न्यूनतम निर्यात कीमत के साथ निर्यात की मात्रा की पहचान की। निर्यात की यह मात्रा मलेशिया से कुल आयातों का केवल 24 प्रतिशित का द्योतक था। असावधानीवश हुई इस गलती को अंतिम जांच परिणामों में ठीक कर लिया गया था। जब संबद्ध देश से कोई सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक नहीं हो तब यह प्राधिकारी की सतत् कार्यपद्धति है कि वे पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सभी निर्यात लेन देन पर विचार करें। इस प्रकार से

निर्धारित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में संरचित सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दिये गये अनुसार है :

उत्पादक/ निर्यातक	संरचित सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
	यू एस डॉमी. / .ट	यू एस डॉमी. / .ट	यू एस डॉ / .मी. ट	%	
सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	न्यूनतम से अधिक (2% से कम)

(IV). <u>सउदी अरब</u>

<u>नानवूवन उत्पादों के लिए सउदी जर्मन कं. ("सउदी जर्मन")</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

76. जांच की अवधि के दौरान, मैसर्स सउदी जर्मन ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में सभी बिक्री संबद्ध पक्षकारों को किया गया था। घरेलू बिक्री भारत को किये गये निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्राओं में है। 80/20 जांच की गई है और 80 प्रतिशत से अधिक लेन देन लाभप्रद रहा है। इस कारण से प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया है। सउदी जर्मन के उत्पादक/ निर्यातक ने अतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है। हालांकि, सत्यापन के लिए दर्शाये गये बीजक भाड़े को शून्य के रूप में उल्लेख करते हैं और इस कारण से अतर्राष्ट्रीय भाड़े के आधार पर समायोजन की अनुमति नहीं दी गई है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर पी सी एन वार सामान्य मूल्य की गणना तुलनीय पी सी एन के लिए निर्यात कीमत के साथ उचित तुलना के लिए की गई है।

<u>निर्यात कीमत</u>

77. मैसर्स सउदी जर्मन ने परिशिष्ट 2 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार भारत में असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। सउदी जर्मन ने अतर्देशीय और विदेशी भाड़े, बीमा और ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया था। प्राधिकारी ने भारत को किये गये निर्यातों के ब्यौरे और सउदी जर्मन द्वारा तालिका अध्ययन में दावा किये गये विभिन्न समायोजनों का सत्यापन किया है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

78. प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किये गये प्रत्येक पी सी एन के लिए पी सी एन से पी सी एन तुलना करने के बाद पाटन मार्जिन की गणना की है। उसके बाद प्राधिकारी ने समग्र रूप में उत्पादक/ निर्यातक के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन की गणना की है। भारत को निर्यात किये गये सभी पी सी एन के लिए भारित औसत एन वी, एन ई पी और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है।

<u>सउदी अरब के सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>

79. इण्डोनेशिया के सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों जिन्होंने इस जांच में भाग नहीं लिया है/ सहयोग नहीं किया है के लिए, अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है। कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य की तुलना सउदी अरब के सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन की गणना करते समय उसी पी सी एन के लिए कारखानागत निर्यात कीमत से की गई है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने न्यूनतम निर्यात कीमत से पी सी एन पर विचार किया और इसकी तुलना उसी पी सी एन के लिए सामान्य मूल्य से की। मूल जांच में प्रकटन विवरण को जारी करते समय, प्राधिकारी ने त्रुटिवश पी सी एन पद्धति की उपेक्षा की और उच्चतम सामान्य मूल्य की तुलना सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत से की। असवाधानी के कारण हुई इस त्रुटि को अंतिम जांच परिणामों में ठीक कर लिया

गया है। जब पी सी एन पद्धति को जांच में अपनाया जाता है तब प्राधिकारी की यह सतत् कार्यपद्धति होती है कि वह सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए पी सी एन वार तुलना के आधार पर सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करे।

उत्पादक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
	यू एस डॉ/ मी. ट.	यू एस डॉ/ मी. ट.	यू एस डॉ/ मी. ट.	%	
नानवूवन उत्पादों के लिए सउदी जर्मन कं.	***	***	***	***	न्यूनतम से अधिक (2% से कम)
सभी अन्य	***	***	***	***	न्यूनतम से अधिक (2% से कम)

(V). <u>थाईलैण्ड</u>

<u>मैसर्स साही कसेई स्पनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि. ("ए के एस टी")</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

80. मैसर्स साही कसेई स्पनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि. ("ए के एस टी") थाईलैण्ड से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने भारत को मैसर्स इतोचू (थाईलैण्ड) लिमि., थाईलैण्ड के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है जिसने बाद में आगे जांच की अवधि के दौरान मैसर्स इतोचू इंडिया प्रा. लिमि., इंडिया के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। मैसर्स साही कसेई स्पनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि. ("ए के एस टी") ने निर्यातकों/ व्यापारियों अर्थात मैसर्स इतोचू (थाईलैण्ड) लिमि., थाईलैण्ड और मैसर्स इतोचू इंडिया प्रा. लिमि., इंडिया (निर्यातक/ व्यापारी) के साथ निर्यातक की प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया है। उस पर विचार अंतिम निर्धारण के लिए किया गया है। मैसर्स साही कसेई स्पनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि. ("ए के एस टी") ने घरेलू बिक्री की है और उन्होंने अलग अलग पी सी एन के असंबद्ध पक्षकारों को 100 प्रतिशत संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। 80/20 जांच की गई है और 80 प्रतिशत से अधिक बिक्री लाभप्रद है। इस कारण से प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया है। उत्पादक ने ग्राहक के वेयर हाउस पर अतर्देशीय भाड़े और ऋण संबंधी खर्चों के आधार पर समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति दे दी गई है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना तुलनीय पी सी एन के लिए निर्यात कीमत से उचित तुलना करने के लिए पी सी एन वार किया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

81. मैसर्स साही कसेई स्पनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि. ("ए के एस टी") ने भारत को मैसर्स इतोचू (थाईलैण्ड) लिमि., थाईलैण्ड के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है जिसने बाद में आगे जांच की अवधि के दौरान मैसर्स इतोचू इंडिया प्रा. लिमि., इंडिया (निर्यातक/ व्यापारी) से मैसर्स यूनिचार्म इंडिया प्रा. लिमि., इंडिया को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। भारतीय उत्पादक को बिक्री सी आई एफ आधार पर होती है और अंतिम निर्धारण के लिए भारत को निर्यात की गई कुल मात्रा पर विचार किया गया है। उत्पादक/ निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, सीमा शुल्क खर्च, समुद्री बीमा और ग्रेड/ पी सी एन वार ऋण खर्चों के आधार पर समायोजनों का दावा किया है और उसकी अनुमति दे दी गई है। कारखानागत कीमत की गणना निष्पक्ष तुलना के लिए पी सी एन वार की गई है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

82. प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किये गये प्रत्येक पी सी एन के लिए पी सी एन से पी सी एन तुलना करने के बाद पाटन मार्जिन की गणना की है। उसके बाद प्राधिकारी ने समग्र रूप में उत्पादक/ निर्यातक के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन का गणना की है। भारत को निर्यात किये गये सभी पी सी एन के लिए भारित औसत एन वी, एन ई पी और पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है।

सभी अन्य उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत

83. थाईलैण्ड के सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों जिन्होंने इस जांच में भाग नहीं लिया है/ सहयोग नहीं किया है अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है। कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य की तुलना थाईलैण्ड के सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन की गणना करते समय उसी पी सी एन के लिए कारखानागत निर्यात कीमत से की गई है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने न्यूनतम निर्यात कीमत से पी सी एन पर विचार किया और इसकी तुलना उसी पी सी एन के लिए सामान्य मूल्य से की। मूल जांच में प्रकटन विवरण को जारी करते समय, प्राधिकारी ने त्रुटिवश पी सी एन पद्धति की उपेक्षा की और उच्चतम सामान्य मूल्य की तुलना सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत से की। असावधानी के कारण हुई इस त्रुटि को अंतिम जांच परिणामों में ठीक कर लिया गया है। जब पी सी एन पद्धति को जांच में अपनाया जाता है तब प्राधिकारी की यह सतत् कार्यपद्धति होती है कि वह सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए पी सी एन वार तुलना के आधार पर सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करे।

उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		यू एस डॉ/ मी. ट.	यू एस डॉ/ मी. ट.	यू एस डॉ/ मी. ट.	%	
मैसर्स साही कसेई स्पनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि.	मैसर्स इतोचू (थाईलैण्ड) लिमि.	***	***	***	***	0-10
सभी अन्य		***	***	***	***	0-10

पाटन मार्जिन

84. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखानागत स्तर पर उसी पी सी एन की निवल निर्यात कीमत और पी सी एन वार सामान्य मूल्य (जहां कहीं भी वास्तविक सामान्य मूल्य उपलब्ध/ स्वीकार्य नहीं है वहां संरचित) की तुलना कर किया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देशों से विभिन्न सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों तथा "सभी अन्य" श्रेणी के लिए भारित औसत मूल्य को दर्शाता है।

क्र. सं.	उत्पादक	एनवी/ सीएनवी	एन ई पी	पाटन मार्जिन		
		यू एस डा/ मी. ट.	यू एस डा/ मी. ट.	यू एस डा/ मी.ट .	%	रेंज
1	टोरे पोलिटेक (ननटॉग) कं. लिमि. चीन	***	***	***	***	5-15
2	हूबेई गोल्ड ड्रागन नानवावेन फाइबर्स कं. लिमि., चीन	***	***	***	***	(नकारात्मक)
3.	चीन जन. गण. के सभी अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	15-25
4	टोरे पोलिटेक जर्काता, इण्डोनेशिया	***	***	***	***	न्यूनतम से अधिक (2% से कम)

5	इण्डोनेशिया के सभी अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	न्यूनतम से अधिक (2% से कम)
6.	मलेशिया के सभी अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	न्यूनतम से अधिक (2% से कम)
7	नानवूवन उत्पादों के लिए सउदी जर्मन कं) ."सउदी अरब")	***	***	***	***	न्यूनतम से अधिक (2% से कम)
8	सउदी अरब के सभी अल्स उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	न्यूनतम से अधिक (2% से कम)
9	इतोचू थाईलैण्ड लिमि./ इतोचू इंडिया लिमि. के माध्यम से असही कसेई स्पनबॉड) कं. थाईलैण्ड) .लिमि	***	***	***	***	0-10
10	थाईलैण्ड द्वारा के सभी अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	0-10

ज. <u>क्षति के निर्धारण तथा क्षति और कारणात्मक संबद्ध की जांच के लिए पद्धति</u>

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के लिए याचिका ग्लोबल नॉनवूवन लिमि. द्वारा दायर की गई है जो भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन का बड़े हिस्से का उत्पादन करता है। इस नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में, याचिकाकर्ताओं को इस जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। इस कारण से क्षति के निर्धारण के उद्देश्य से, याचिकाकर्ताओं जो नियम 2(ख) में दी गई परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग हैं, के सूचना की जांच की गई है।

86. माननीय सेसटेट ने सामान्य तौर पर यह टिप्पणी की है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पाटित आयातों और वास्तविक क्षति के बीच वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध का होना निर्धारित किया लेकिन अंतिम जांच परिणाम प्रकट विवरण के विपरीत था।

87. माननीय सेसटेट ने यह टिप्पणी की है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया है कि कुछ मामलों में क्षति मार्जिन की गणना के संबंध में प्रकटन विवरण में असावधानीवश त्रुटि हुई थी जिसे ठीक कर लिया गया था लेकिन इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कथित असावधानीवश त्रुटि क्या थी और इसे किस प्रकार से ठीक किया गया था।

ज.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध</u>

88. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध निम्नलिखित है :

(i) याचिकाकर्ता के उत्पाद का अनोखापन और तकनीकी अंतर इसे पहले से ही स्थापित उत्पादकों के उत्पादों से अलग बनाता है। इस प्रकार से भारत में स्वच्छता के उद्देश्यों से नॉनवूमन फेब्रिक्स का उद्योग पहले से स्थापित नहीं था और याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक रह जाता है और इसीलिए वास्तविक मंदी लागू होती है।

(ii) विदेशी निर्यातक याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू बाजार में एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित करने के पूर्व वृहद संभावित भारतीय बाजार पर कब्जा करने के उद्देश्य से बहुत आक्रामक हैं।

(iii) जुलाई 2015 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया और उसके पहले का कोई आंकड़ा नहीं है कि केवल कार्य निष्पादन वर्तमान उद्देश्यों से संगत नहीं है, अनुमानित कार्य निष्पादन है। चूंकि घरेलू उद्योग के पास पिछला कार्य निष्पादन नहीं है अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी पिछले कार्य निष्पादन का आकलन नहीं कर सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे अनुमानित कार्य निष्पादन का आकलन करें और इसकी तुलना ऐसे मामलों में वास्तविक कार्य निष्पादन से करें। तदनुसार, संभावित कार्य निष्पादन इसकी परियोजना रिपोर्ट, वर्तमान वास्तविक बिक्री कीमत और कच्चे माल की कीमत पर विचार करते हुए उपलब्ध कराई गई है।

(iv) विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग इन अनुप्रयोगों में विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते हुए उपयोग के साथ भारत में बहुत सकारात्मक है। दूसरी ओर, ऑफ ग्रेड सामग्री का मामूली मात्रा में आयात हुआ है। यदि दूसरी और ऑफ ग्रेड सामग्री के आयातों को बाहर रखा जाता है, ये आंकड़े अभी भी घरेलू उद्योग को कीमत में कटौती और क्षति की अधिक सीमा को दर्शायेगा। याचिकाकर्ता द्वारा ऑफ ग्रेड उत्पादन इस तथ्य पर विचार करते हुए बहुत हद तक कम है कि याचिकाकर्ता ने बिलकुल हाल में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

(v) उद्योग ऐसा है कि इसे संदूषण मुक्त उत्पादों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता द्वारा समग्र निवेश और भारत में विचाराधीन उत्पाद के अन्य कथित उत्पादकों की तुलना उसी आधार पर नहीं होती है और इसके कारण आगे यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित उत्पाद अन्य उत्पादकों से अलग है।

(vi) याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित प्रौद्योगिकी, मशीनरी और किया गया निवेश विदेशी निर्यातकों के अनुरूप है जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा निवेश गलत अनुपात नहीं है।

(vii) मात्राओं के बावजूद याचिकाकर्ता ने अभी तक अपनी संभावना और अनुमानों को पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को वित्तीय हानि हो रही है, जिसके कारण इसे होल्डिंग कंपनी के साथ विलय करने का अनावश्यक कदम उठाना है।

(viii) आयातों में सउदी अरब को छोड़कर क्षति की पूरी अवधि में संबद्ध वस्तुओं से आधार वर्ष की तुलना में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है लेकिन सउदी अरब से आयातों में भी जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। आयातों का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किये जाने के बावजूद बहुत अधिक हद तक ज्यादा रही है। संबद्ध देशों के द्वारा कब्जा किया गया बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत था।

(ix) 18480 मी. ट. की वर्तमान मांग की तुलना में घरेलू उद्योग की क्षमता 18000 मी. ट. की है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग के पास संबंधित उत्पाद के लिए बाजार मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग की बिक्री में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के अनुरूप तथा उस सीमा तक वृद्धि नहीं हुई है, जिस सीमा तक याचिकाकर्ता इस उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं।

(x) आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उत्पादन का पूंजीकरण परियोजना रिपोर्ट में विचार किये गये क्षमता के उपयोग से बहुत कम है।

(xi) याचिकाकर्ता ने संबंधित उत्पाद से निर्माण और बिक्री के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है। विचाराधीन उत्पाद की बिक्री संविदा के आधार पर की जाती है। संबद्ध देशों में निर्यातक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए ऐसी कम कीमतों पर उपलब्ध कराने की पेशकश कर रहे हैं और वह दर्शाता है कि निर्यातक कच्चे माल की लागत के आधार पर अपने मार्जिन में बहुत अधिक कमी कर रहे हैं।

(xii) निर्यातकों द्वारा अपनाई जा रही कार्यपद्धति को देखते हुए, याचिकाकर्ता उचित कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और यदि याचिकाकर्ता अपनी क्षमताओं की सीमा तक आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा पेशकश की जा रही कम कीमत पाटित आयातों के कारण हुई है। घरेलू उद्योग की बाजार में कीमतों पर इन आयातों के कारण दबाव पड़ रहा है।

(xiii) पाटित आयात स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक रहा है। निर्यातक बीजक कीमतों पर विभिन्न छूट देते हैं जिन्हें समायोजन किये जाने और कम किये जाने की आवश्यकता है।

(xiv) आंकड़े यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता के उत्पाद को किस प्रकार से उपभोक्ताओं द्वारा मंजूरी दी गई है परंतु पाटन के कारण इसे अच्छा उत्पादन पूंजीकरण प्राप्त नहीं हुआ है और यह उत्पादों की बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है।

(xv) याचिकाकर्ता केवल 60 प्रतिशत उत्पादन पूंजीकरण प्राप्त करना चाहता है और इससे बहुत हटकर समय समय पर जांच की अवधि के दौरान 22 प्रतिशत प्राप्त किया है। मालसूची के इकट्ठा होने के कारण उत्पादन में रुकावट की घटनाएं भी हुई हैं। इस प्रकार से याचिकाकर्ता द्वारा सामना की जा रही समस्याएं किसी आरंभिक समस्याओं के कारण नहीं बल्कि निर्यातकों द्वारा उत्पादन के कारण होती हैं।

(xvi) निर्यातक उपभोक्ताओं को लंबा क्रेडिट देते हैं। ब्याज की लागत को समायोजित करने की आवश्यकता है।

(xvii) देश में इस उत्पाद के लिए अनेक आपूर्तिकर्ता है इसलिए घरेलू उद्योग उस कीमत की मांग नहीं कर सकते हैं जिसकी इसे जरूरत है। इसको उसी कीमत का पालन करना चाहिए जो उपभोक्ता देता हो। चूंकि उत्पादक बाजार में नये हैं अत: इसे उस कीमत जिस पर उत्पाद की बिक्री पहले से ही बाजार में की जा रही है, की तुलना में कम कीमत पर बाजार में इस उत्पाद की बिक्री करनी होती है।

(xviii) कीमत में नकारात्मक कटौती होने का यह अर्थ नहीं है कि कोई क्षति नहीं हुई है। यह तथ्य की याचिकाकर्ता कमतर कीमत पर बिक्री कर रहा है, का अर्थ यह नहीं होता है कि पाटित आयातों के कारण कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

(xix) घरेलू उद्योग को संचित की गई माल सूची की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादकता प्रतिदिन उत्पादन के संबंध में मापी गई उत्पादकता से बहुत कम रही है।

(xx) घरेलू उद्योग उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार नहीं करने के बावजूद बहुत अधिक वित्तीय हानि उठाता रहा है। बहुत अधिक निवेश के फलस्वरूप बहुत अधिक राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। हाल में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किये जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री घरेलू बाजार में अपनी क्षमताओं की सीमा तक करने में सक्षम नहीं है।

(xxi) याचिकाकर्ता द्वारा यथानिर्धारित संबद्ध देश में से प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटिन मार्जिन न्यूनतम से केवल अधिक नहीं है बल्कि यह बहुत अधिक हद तक भी है। घरेलू उद्योग पर क्षति का प्रभाव बहुत अधिक है।

(xxii) देश में इस उत्पाद का पाटन वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की स्थापना को रोक रहा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस संयंत्र की स्थापना के समय अनुमानित कार्य निष्पादन की तुलना करें और वास्तविक कार्य निष्पादन पर विचार करें।

(xxiii) विश्व व्यापार संगठन की वास्तविक रुकावट के अर्थ के संबंध में विधिशास्त्र – जबकि वास्तविक क्षति की जांच अथवा वास्तविक क्षति के खतरे को मौजूदा घरेलू उद्योग तक लागू किया जा सकता है, घरेलू उद्योग के मामले में इसे पूर्णरूप से अभी स्थापित किया जाना है, लागू की गई जांच वास्तविक क्षति के संबंध में उद्योग की मौजूदगी और वास्तविक रुकावट की सीमा तक की गई है। निम्नलिखित दो शर्तें संगत हैं जहां वास्तविक रुकावट की जांच लागू हो सकती है :

क. "विकासशील उद्योग" के मामले में जिसने अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है बल्कि उत्पादन शुरू करने के लिए वास्तविक कटिबद्धता की गई है;

ख. "प्रारंभिक काल के उद्योग" के मामले में जिसका वाणिज्यिक उत्पादन हालांकि शुरू हो गया है लेकिन उद्योग को अभी भी बाजार में अपना स्थान प्राप्त करना है।

(xxiv) प्राधिकारी द्वारा विगत में किये गये मामले जैसे पी वी सी फैलेक्स, डी (-) पारा हाइड्रोक्सी फिनेल ग्लाइसिन मेथिल पोटासिम डेन साल्ट, फ्यूड मेग्नेशिया बिसफिलॉन – ए इंडक्शन हार्डनेड फोज्ड स्टील रोल्स एंड डी (-) पारा हाइड्रोक्सी फिनोल ग्लाइसिन बेस (पी एची पी जी बेस) जो यूरोपीय यूनियन से हुआ है, यह दर्शाता है कि निदेशालय ने समान रूप से स्थित मामले में क्षति के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित पद्धति पर विचार किया है।

(xxv) संबद्ध आयात देश में नये उत्पादन के बावजूद स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक रहे हैं। पाटन की प्रथाओं के द्वारा उत्पन्न बाजार की स्थितियां घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई बहुत अधिक वित्तीय हानि के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार हैं।

(xxvi) आयातों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से बहुत कम है बल्कि घरेलू उद्योग के आयातों की क्षति रहित कीमत भी बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर गंभीर रूप से दबाव बना रहा है।

(xxvii) घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता के उपयोग का कार्य निष्पादन अनुमानित स्तरों से बहुत कम रहा है। देश में नये उत्पादन के आरंभ होने के बावजूद, घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किये गये स्तर उसकी तुलना में बहुत कम है, जिसे बाजार में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग पर विचार करते हुए प्राप्त किया जा सकता था।

(xxviii) घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन लाभ, निवेश पर आय और नकदी के प्रवाह के मामले में बिलकुल प्रतिकूल था। घरेलू उद्योग इस उत्पादन के लिए क्षति रहित कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

(xxix) आयातों का वर्तमान उच्च स्तर बाजार में घरेलू उत्पाद की मौजदूगी और कीमत आकर्षकता के कारण इस उत्पाद का आयात करने के लिए उपभोक्ताओं की लगातार पसंदगी के बावजूद है।

(xxx) चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में हाल में प्रवेश किया है अत: घरेलू उद्योग इस उत्पाद की आयात कीमत से तुलनीय कीमत पर आर्डर प्राप्त करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार से, यदि घरेलू उद्योग ने न्यूनकारी कीमत पर आर्डर प्राप्त किये हैं तब वह इस देश में उत्पाद के पाटन के कारण हुई है।

(xxxi) घरेलू उद्योग घरेलू ग्राहकों से आर्डर नहीं मिलने के कारण इस उत्पाद को निर्यात करने के लिए विवश रहा है। घरेलू उद्योग ने अनेक देशों जो इस उत्पाद की गुणवत्ता को स्थापित करते हैं को निर्यात किया। घरेलू उद्योग द्वारा देशवार निर्यात दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न किया गया है जो यह दर्शाता है कि विकासशील देशों सहित अनेक बाजारों में निर्यात हुआ है।

(xxxii) उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग और माल सूची का माह दर माह विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर रहा है और उसे इस देश में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाले स्तर से बहुत कम कीमत पर बिक्री करने का सामना करना पड़ा है।

(xxxiii) याचिकाकर्ता सभी गुणवत्ता जांचों में सफल रहा है और इसने उपभोक्ताओं से स्वीकृति प्राप्त की है लेकिन आदेश नहीं मिल रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं को पाटित वस्तु आसानी से मिल जाती है।

ज 1.1 घरेलू उद्योग द्वारा रिमाण्ड के बाद किया गया अनुरोध

(i) माननीय न्यायाधीकरण ने क्षति के निर्धारण के उद्देश्य से समुचित आंकड़े संग्रह की अवधि पर विचार किया है। यदि आंकड़े के संग्रह की अवधि समुचित नहीं थी तब इस मामले को वापस प्राधिकारी के पास भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(ii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के जिम्मेदार किसी कारक जिसमें पाटित आयात शामिल नहीं है, को नहीं पाया है। प्राधिकारी ने केवल अंतिम जांच परिणामों में घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही, ऐसी "आरंभिक समस्याओं" की पहचान किये बिना "आरंभिक समस्याओं" का उल्लेख किया है।

(iii) प्राधिकारी ने स्वयं अंतिम जांच परिणामों में नोट किया है कि घरेलू उद्योग कम कीमत पर आयातों के कारण लाभों अथवा अपनी कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है जो घरेलू उद्योग को आयातों और क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध दर्शाता है। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्य निष्पादन को सामान्य नहीं बनाया था। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग को 100 प्रतिशत के स्तर पर माना है।

(iv) प्राधिकारी ने यह स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध मानदंडों की जांच की है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं हुआ है। संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि, आयात की कीमत में तीव्र गिरावट, घरेलू उद्योग की अपनी कीमतें आदर्शतम लागत के स्तर पर भी वसूलने में असमर्थता पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण हुआ है। प्राधिकारी को सकारात्मक पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करनी चाहिए। उत्पाद स्तर पर कीमत की तुलना से पी सी एन से पी सी एन तुलना तक पद्धति का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं किया गया है। पी सी एन का विश्लेषण शेष श्रेणी के लिए अपेक्षित नहीं है।

क. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण जांच की बाद की अवधि में क्षति होना जारी है।

ख. घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है क्योंकि उनके लाभ, नकदी का प्रवाह और निवेश पर लाभ में गिरावट आई है। जांच की अवधि के भीतर आयात की कीमत में तीव्र गिरावट और आयातों जिसके कारण कीमत में सकारात्मक कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण हो रहा है।

ज.2 <u>निर्यातकों/ उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध</u>

89. निर्यातकों/ उत्पादकों/ आयातको/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध नीचे दिये गये हैं:

क. याचिकाकर्ता एकमात्र उत्पादक नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योग की वास्तविक रुकावट का मामला नहीं हो सकता है।

ख. यह याचिकाक भ्रम उत्पन्न कर रही है क्योंकि पाटनरोधी नियमावली के संबंध में कोई साक्ष्य याचिकाकर्ता द्वारा संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक के अपने दावे को पूरा करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग. किसी स्थापित उद्योग के पहले से मौजूद रहने को देखते हुए, यह वास्तविक अवरोध का मामला नहीं हो सकता है। भारत ने यह एक स्थापित उद्योग है और याचिकाकर्ता इसमें नया है। बाजार में अन्य उत्पादक हैं और यह याचिका उसे स्वीकार करती है। कंपनी ने जुलाई 2015 में उत्पादन आरंभ किया लेकिन इसने पहले ही असंभव तरीके से उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त कर लिया है।

घ. घरेलू उद्योग को क्षति अथवा वास्तविक क्षति के खतरे के विपरीत घरेलू उद्योग की वास्तविक अनुरोध का निर्धारण करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। प्राधिकारी को वास्तविक अवरोध का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम एक तंत्र बनाना चाहिए था, तब उसकी शुरुआत वर्तमान जांच में की जानी चाहिए थी।

ङ किसी कानूनी प्रावधान के अभाव में यह उल्लेख करना बहुत मुश्किल है कि क्या कानूनी प्रावधान का कोई उल्लंघन हुआ है। यू एस आई टी सी मामलों का संदर्भ लिया जा सकता है। यू एस आई टी सी इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए बाजार स्थिरता मापदंड को अपनाता है कि क्या आरंभिक काल के उद्योग को स्थापित किया हुआ माना जा सकता है अथवा नहीं। यदि यह उद्योग पहले से स्थापित हो तब लागू मानदंड वास्तविक क्षति का है न कि वास्तविक रुकावट का।

च. वास्तविक रुकावट के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक को अभी बाजार में अपना रास्ता तलाश करना था अथवा वह पहले से ही स्थापित था। कोई भी पर्याप्त आंकड़े वास्तविक रुकावट के दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

छ. इस याचिका में दिये गये आंकड़े सामान्य आरंभिक स्थितियों को दर्शाते हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षमता के उपयोग में जुलाई 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान पांच गुणा वृद्धि हुई। घरेलू बिक्री में केवल 6 महीने के समय में 7 बार वृद्धि हुई। यह स्पष्ट रूप से वास्तविक अवरोध का मामला नहीं हो सकता है।

ज. 6 महीने के समय में बाजार हिस्से में शून्य से 10.66 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। मार्च 2016 तक सभी आंकड़े रिकार्ड पर लाये जाने चाहिए ताकि स्पष्ट तस्वीर देखी जा सके। नये उद्योग के लिए अपनी स्थापना के 6 महीने के भीतर ही बाजार की 100 प्रतिशत मांग को पूरा करना संभव नहीं है।

झ. याचिकाकर्ता को कोई वास्तविक हानि नहीं हो रही है और इसकी स्थिति ऐसी हो सकती है क्योंकि यह इस उद्योग में नया है। यदि याचिकाकर्ता को वास्तविक रूप से अवरोध हो रहा था तब यह अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया होता। इस प्रकार के निवेश यह दर्शाते हैं कि उन्हें क्षति नहीं हुई है।

ञ. यह भी पहले से तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग नया नहीं है, ऐसी अनेक स्थापित कंपनियां हैं जो पिछले 10-15 वर्षों से घरेलू बाजार की मांग को पूरा कर रहे हैं। याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक नहीं है। बाजार में कम से कम 28 (स्रोत – याचिका) और अन्य उत्पादक हैं जो याचिकाकर्ता के रूप में सही मायने में उस उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं।

ट. घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आया है और इसने आगे धीरे धीरे सुधार आयेगा। इतनी अधिक लागत विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में निवेश किया गया है और इसका सीधा संबंध आर ओ सी ई तथा लाभप्रदत्ता से है। निवेश पर 22 प्रतिशत लाभ के दावे का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत लाभ घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ और संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी रूप में इक्विटी पर 41 प्रतिशत लाभ मार्जिन को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के ठीक बाद घरेलू उद्योग ने पाटित आयात के कारण क्षति का सामना करना शुरू कर दिया। आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद की कीमत घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना में अधिक है। वाणिज्यिक उत्पादन के पहले माह में, 42 प्रतिशत तक क्षमता उपयोग प्राप्त किया गया था और उसके बाद इसमें वृद्धि हुई।

ठ. कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योगों को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

ड. याचिकाकर्ता को अन्य कारकों के कारण हानि हो रही है जैसे :

- स्टार्ट अप – याचिकाकर्ता को इस उद्योग में अनुभव की कमी के कारण हानि हो रही है। उनके पास उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं है और उसके कारण हानि का आरोप आयातों पर नहीं लगाया जाना चाहिए।
- कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत : प्रमुख कच्चे माल, पोलिप्रोलीन की कीमत में अतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आई है और उसके कारण हानि का आरोप आयातों पर नहीं लगाया जाना चाहिए।
- क्रेता का बाजार – क्रेताओं के द्वारा कीमतों का निर्धारण किया गया है और याचिकाकर्ता बाजार में हाल ही में आये हैं और वे इस उत्पाद के लिए अपेक्षित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

ढ. ग्राहक की उस वस्तु पर बहुत हद तक टिके रहना, ग्राहक के अनुमोदन के लिए बहुत अधिक समय और प्रौद्योगिकी कंपनी के धीमे विकास के लिए प्रमुख कारक है।

ण. विचाराधीन उत्पाद के प्रकार के कारण, सभी वैश्विक कंपनियां बहुत अधिक ब्राण्ड के प्रति सजग हैं। गुणवत्ता की जांच में सफल होने में तथा इस सभी प्रक्रिया को पूरा करने में कई वर्ष लग जाते हैं। क्षति का कारण गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असफल होना है। याचिकाकर्ता भारत में अपने ग्राहकों को अपने उत्पाद की बिक्री नहीं कर सकता था क्योंकि वे गुणवत्ता से संबंधित व्यक्ति हैं।

त. लेन देन से लेकर लेन देन तक बिक्री के आंकड़े की जांच सेकण्ड्स और ऑफ ग्रेड सामग्री के प्रभाव को स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।

थ. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान उत्पादन किये गये ऑफ ग्रेड और प्राथमिक सामग्री के साथ ग्रेडवार उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई 2015 में शुरू किया गया और कंपनी को प्रवेश संबंधी अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी उच्च क्षमता के उपयोग की आशा नहीं कर सकती थी और वही जिंदल ग्लोबल द्वारा एन एस ई को अपने पत्र में कहा गया है।

द. घरेलू उद्योग प्रमुख कच्चे माल का आयात कर रहा है और आयात शुल्कों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि करता है और कुल कच्चे माल की कीमत उत्पादन की लागत 70 प्रतिशत है और यह पाटन का आरोप नहीं लगा सकता है।

ध. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य उत्पादकों को क्षति के न होने अथवा क्षति को शामिल किये बिना पूरा नहीं हो सकता है।

ज.2.1 <u>उत्पादकों/ निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिमाण्ड के बाद किया गया अनुरोध</u>

क. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और कारणात्मक का प्राधिकारी द्वारा आकलन सही नहीं होने के संबंध में माननीय सेस्टेट के समक्ष विस्तृत दावे और अनुरोध किये हैं। हालांकि, माननीय सेस्टेट ने घरेलू उद्योग के किसी भी दावे और तर्कों को स्वीकार नहीं किया है। कारणात्मक संबंध के होने के बारे में घरेलू उद्योग के दावे और तर्कों को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर लिया गया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय सेस्टेट ने पहले ही इसे अस्वीकार कर दिया है। इस कारण से, उन दावों और तर्क पर चौथी बार फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ख. माननीय सेस्टेट ने केवल यह टिप्पणी की है कि अंतिम जांच परिणामों में प्रकटन विवरण में प्रकट किये गये क्षति मार्जिन में पाये गये 'असावधानीवश त्रुटि' के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण नहीं था। प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणामों तथा प्रकटन विवरण में स्पष्ट रूप से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण करने हेतु लागू की गई पद्धति को प्रकट करना चाहिए।

ग. माननीय सेस्टेट ने अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा वास्तविक क्षति अथवा कारणात्मक संबंध के आकलन के बारे में कोई विशिष्ट टिप्पणी भी नहीं की है। यदि माननीय सेस्टेट अधिकारी से यह चाहते थे कि वे घरेलू उद्योग को क्षति और आयातों के बीच वास्तविक क्षति एवं कारणात्मक संबंध के होने का निर्धारण करे, तब यह स्पष्ट रूप से टिप्पणी की होती कि कारणात्मक संबंध के निर्धारण के बारे में प्राधिकारी का आकलन सही नहीं है। पूर्व के अनेक निर्णयों में माननीय सेस्टेट ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि जांच के किसी विशेष पहलू के संबंध में प्राधिकारी का आकलन सही नहीं है और इसे पलट दिये जाने की आवश्यकता है।

घ. माननीय सेस्टेट का निर्णय असाही कसेई स्पूनबॉड थाईलैण्ड कं. लिमि., थाईलैण्ड, इतोचू (थाईलैण्ड) लिमि., थाईलैण्ड और इतोचू इंडिया प्रा. लिमि., इंडिया के क्षति मार्जिन के निर्धारण पर प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि प्रकटन विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जांच परिणामों में, क्षति मार्जिन में कोई परिवर्तन नहीं था।

ड. हुबई गोल्ड ड्रागोन नॉनवूवन फेब्रिक्स चीन जन. गण. से एकमात्र भाग लेने वाला उत्पादक और निर्यातक था जिसके लिए डी जी टी आर ने नकारात्मक क्षति मार्जिन पाया और उसकी गणना की। प्राधिकारी द्वारा हुबई गोल्ड ड्रागोन नॉनवूवन फेब्रिक्स चीन जन. गण. के लिए क्षति मार्जिन के संबंध में जारी किये गये प्रकटन विवरण से अंतिम जांच परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

च. घरेलू उद्योग को वर्तमान में कोई वास्तविक अवरोध अथवा वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि जिंदल पोली फिल्म लिमि. ने 400 करोड़ का निवेश किया है और उत्पादन की क्षमता को दुगना करने के लिए 2020 में दूसरे नॉनवूवन मेनिफेक्चरिंग लाइन की स्थापना की है और उत्पादन शुरू किया है। केटेक्स नॉनवूवन ने क्षमता स्थापित की है और 01 जुलाई, 2018 को जामनगर, गुजरात में नॉनवूवन का

वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। टोरे इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा. लिमि. ने श्री सिटी, आंध्र प्रदेश में नॉनवूवन फेब्रिक्स का उत्पादन शुरू किया है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

90. माननीय न्यायाधीकरण ने क्षति के निर्धारण के उद्देश्य से जांच की अवधि की पर्याप्तता के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की है।

91. जांच की अवधि की पर्याप्तता के संबंध में मुद्दे की प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि क्षति की विवेचना करने वाले नियम 11 में यह उल्लेख है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस जांच परिणाम को रिकार्ड करेंगे कि क्या भारत में इस प्रकार की वस्तु पाटित आयातों के कारण भारत में किसी स्थापित उद्योग को क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा वह वास्तविक रूप से भारत में किसी उद्योग की स्थापना में अवरोध उत्पन्न करता है। इसके अलावा, यह उल्लेख है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक अवरोध और क्षति एवं पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार ने कीमत पर उनके प्रभाव और ऐसे वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए करेंगे। पाटनरोधी कार्य पद्धतियों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की समितियों द्वारा की गई सिफारिश यह सुझाव देती है कि पाटन संबंधी जांचों के लिए आंकड़ों के संग्रह करने की अवधि एक सामान्य नियम के रूप में सामान्य तौर पर 12 महीने की होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में यह छ: महीने से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् यह जांच की शुरुआत की तिथि से बिलकुल निकट समाप्त होनी चाहिए जैसा कि व्यावहारिक है, सामान्य तौर पर क्षति के निर्धारण के लिए आंकड़ों का संग्रह करने की अवधि कम से कम तीन वर्षों की होनी चाहिए जब तक कि उस पक्षकार से जिससे आंकड़े लिये जा रहे हैं कमतर अवधि के लिए मौजूद नहीं रहे हैं और उसमें पाटन की जांच के लिए आंकड़े संग्रह करने की पूरी अवधि शामिल होनी चाहिए। इस प्रकार, जबकि क्षति के आकलन के लिए आंकड़ों को संग्रह करने की अवधि के रूप में निर्धारित न्यूनतम तीन वर्षों की पाटनरोधी पद्धति की समिति निर्धारित करती है, यह उल्लेख किया जाता है कि वह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि पक्षकार को कम से कम ऐसी लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से, ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने न्यूनतम निर्धारित अवधि से कम अवधि के दौरान इसके होने का इतिहास है, यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ऐसी छोटी अवधि पर विचार करने के लिए हकदार हैं जिस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग था।

92. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने जुलाई 2015 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और इस कारण से 3 वर्ष की अवधि के लिए सूचना स्वीकार्य तौर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह अवधि 3 वर्ष की अवधि से कम है, याचिकाकर्ता ने मासिक और तिमाही आधार पर सूचना उपलब्ध कराई है। इस आधार पर यह माना जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस तथ्य की जांच करने के लिए उपयुक्त होगा कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और इसके लिए इसकी मौजूदगी की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर विचार करना और माह दर माह तथा तिमाही दर तिमाही विश्लेषण करना सही होगा। चूंकि याचिकाकर्ता इस देश में एक नये उत्पादक हैं और इसने क्षति की अवधि में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। अत: घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन स्टार्ट अप के चालू होने के कारण प्रभावित हो सकता था और इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करना की याचिकाकर्ता के होने का एक छोटा इतिहास है, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्य निष्पादन को कम करने के लिए इस पर विचार करना उपयुक्त है।

93. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के लघु इतिहास को देखते हुए, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर विचार उपलब्ध सूचना के आधार पर जांच की अवधि के बाद इस अवधि में किया गया है। इस प्रकार से अप्रैल –

मार्च 2017 की अवधि के लिए घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की भी जांच की जा रही है और उस पर विचार इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए कुछ सूचना याचिकाकर्ता द्वारा अपने सुनवाई पश्चात लिखित अनुरोधों में उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा, अतिरिक्त सूचना याचिकाकर्ता से मांगी गई थी और उसे सार्वजनिक फाइल में रखा गया था तथा उसे इन हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां देने तथा अपने हितों की रक्षा करने के लिए उपलब्ध कराया गया।

94. जहां तक विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादक के होने का प्रश्न है प्राधिकारी यह मानते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का होना याचिकाकर्ता को उस स्थिति में इस देश में नये उत्पादक के दर्जे के संबंध में दावा करने का अधिकार नहीं देता है जहां डी टी ए में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। याचिकाकर्ता यह दावा करता है कि वे हाइजिन और सेनेटरी उपयोग के लिए विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक हैं। घरेलू उत्पादक को केवल इस कारण से कानून के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के लिए अवसर दिये जाने से इनकार नहीं करना चाहिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसी इकाई है जो प्राथमिक रूप से निर्यात बाजार में अपने उत्पाद के लिए लक्ष्य बना रहा है और पाटनरोधी उपयोग को दायर करने के लिए इच्छुक नहीं है।

95. इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य तौर पर यह तर्क दिया है कि उत्पादक क्रेता के बाजार में हैं जहां क्रेता उस उत्पाद के बारे में निर्णय लेते हैं जिसे वे खरीदना चाहते हैं, वह उत्पाद जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है के गुणों, वह कीमत जिस पर वे खरीदना चाहते हैं के बारे में निर्णय लेते हैं। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि भारत में और वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे ग्राहक हैं जो इस उत्पाद की खरीद कर रहे हैं और इन उपभोक्ताओं में से अधिकांश उपभोक्ता वास्तविक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनका भारत में और वैश्विक स्तर पर निर्माण क्रियाकलाप है। याचिकाकर्ता ने इस उत्पाद के प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जिसे याचिकाकर्ता बाजार में इस उत्पाद की आपूर्ति कर रहा है। जबकि यह सही है कि एल्स्ट्रम फाइबर कम्पोजिट इस देश में इस उत्पाद का निर्माता भी है और कंपनी ने स्वीकार्य तौर पर इसका उत्पादन और आपूर्ति भारतीय बाजार में की है, पाटन कानून के उद्देश्य और आशय पर विचार करते हुए यह उपयुक्त होगा कि इस तथ्य पर विचार किया जाये कि याचिकाकर्ता वास्तव में इस कंपनी में उत्पाद का नया उत्पादक है और याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक अवरोध के रूप में क्षति का दावा करते हुए संरक्षण प्राप्त करने का हक है। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच इसके होने की सीमा तक की है और इस तथ्य का निर्धारण किया है कि क्या वह यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

96. पी सी एन का निर्धारण उस जांच में किया जाता है जहां अलग अलग मॉडल अथवा प्रकार संबद्ध उत्पाद के लिए शामिल हैं। पी सी एन का उद्देश्य अलग अलग मॉडलों और प्रकारों की निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करना है। उसी प्रकार से पी सी एन का भी उपयोग क्षति मार्जिन के उद्देश्य क्षति रहित कीमत की उचित तुलना पहुंच मूल्य से करना सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इसका कोई अपवाद नहीं है जहां यह उल्लेख हो कि पी सी एन से पी सी एन तुलना अथवा उचित तुलना 'सभी अन्य' दर का निर्धारण करने के लिए सुनिश्चित नहीं किये जाने की आवश्यकता है।

<u>संचयी आकलन</u>

97. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) तथा विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.3 में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि :-

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा

ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

98. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

क. सउदी अरब, मलेशिया और इण्डोनेशिया से सभी आयातों के लिए पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम से कम है। चीन जन. गण. (एक उत्पादक को छोड़कर) और थाईलैण्ड से आयातों के लिए पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग अलग रूप में आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल प्रत्यक्ष रूप से उनमें से प्रत्येक द्वारा पेशकश की गई समान वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा है बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेशकेश किये गये समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करता है। यह नोट किया जाता है कि उपभोक्ता संबद्ध देशों में उत्पादकों से एक दूसरे के स्थान पर इन उत्पादों की खरीद कर रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के पास खरीद के लिए याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के अनुमोदन के पश्चात एक अन्य उत्पाद है।

99. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करना उपयुक्त होगा।

100. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - ।। के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ". . . पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए . . ." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।। के अनुसार किया गया है।

<u>पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव</u>

<u>आयात की मात्रा</u>

101. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति संबंधी विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लिये गये आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
चीन जन. गण.	मी. ट.	753	916	1,597	3,493	3,895
इण्डोनेशिया	मी. ट.	18	547	3,759	3,544	3,483
मलेशिया	मी. ट.	702	2,186	3,248	5,530	6,348
सउदी अरब	मी. ट.	738	83	-	2,388	3,027
थाईलैण्ड	मी. ट.	526	1,526	2,347	3,353	3,337
संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	2,737	5,258	10,951	18,309	20,090
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*192*	*400*	*669*	*734*
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	390	139	71	316	417
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*36*	*18*	*81*	*107*
कुल आयात	मी. ट.	3,127	5,397	11,023	18,624	20,507
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*173*	*353*	*596*	*656*
आवेदक की घरेलू बिक्री	मी. ट.	-	-	-	1,969	2,626
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	*100*	*133*
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	1,987	1,987	2,157	1,500	2,644
मांग	मी. ट.	5,114	7,384	13,180	22,094	25,777
मांग में वृद्धि	%	100	144	258	432	504
मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	-	-	-	8.91	10.18

102. क्षति की पूरी अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई और मांग में यह वृद्धि बहुत अधिक रही है।

103. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा स्वतंत्र रूप में और कुल आयातों और देश में समग्र मांग की तुलना में अधिक है। प्राथमिक रूप से यह इस तथ्य के कारण हुई थी कि घरेलू उद्योग ने जुलाई 2015 में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयां मुख्य रूप से निर्यात बाजार की मांग को पूरा कर रही थी।

104. यह नोट किया गया है कि कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा लगभग 98 प्रतिशत है। यह भी नोट किया जाता है कि भारत में मांग में क्षति अवधि के दौरान 2012-13 में 100 से 2013-14 में 144, 2014-15 में 258 और 2015-16 में 504 (वार्षिकीकृत) तक अत्यधिक वृद्धि हुई है। चूंकि घरेलू आपूर्ति बहुत मामूली थी अत: समग्र मांग आयातों से पूरी की गई थी। हालांकि, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की उपस्थिति के कारण आयात के हिस्से में क्रमश: 2014-15 और 2015-16 में मांग में 84 से 80 प्रतिशत (वार्षिकीकृत) तक कमी आई है। घरेलू उद्योग अपने ने प्रचालन के प्रथम 9 महीने में पहले ही भारतीय बाजार में जांच की अवधि के लिए 8.91 प्रतिशत और 10.18 प्रतिशत (वार्षिकीकृत) पर कब्जा कर लिया है।

<u>कुल आयातों में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का हिस्सा</u>

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देश	%	87.53	97.43	99.35	98.30	97.96
चीन जन. गण.	%	24.09	16.96	14.49	18.75	18.99

इण्डोनेशिया	%	0.58	10.14	34.10	19.03	16.98
मलेशिया	%	22.44	40.50	29.47	29.69	30.96
सउदी अरब	%	23.60	1.54	-	12.82	14.76
थाईलैण्ड	%	16.82	28.28	21.29	18.00	16.27
अन्य	%	12.47	2.57	0.65	1.70	2.04
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

105. संबद्ध देशों से पाटित न किये गये आयातों के हिस्से की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि सउदी अरब, इण्डोनेशिया और मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं का कुल आयात (जो कुल आयातों का 64 प्रतिशत होता है) पाटित नहीं किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि कुल आयातों में चीन जन. गण. और थाईलैण्ड के संबद्ध वस्तुओं के आयातों का हिस्सा जांच की अवधि के दौरान कुल आयातों का 35.26 प्रतिशत है और इस हिस्से के भीतर, मैसर्स हुबेई गोल्ड ड्रागन नॉनवूवन फेब्रिक्स कं. लिमि. चीन जन. गण. जिसका चीन जन. गण. और थाईलैण्ड से आयातों का *** प्रतिशत होता है, का हिस्सा पाटित नहीं किया गया है। इस प्रकार से संबद्ध देशों से पाटित संबद्ध वस्तुओं के आयात को बहुत अधिक नहीं माना गया है।

<u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव</u>

106. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध में, नियमावली के अनुबंध-।। (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

"जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना मे पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।"

107. यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पादन की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से काफी हद तक कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से काफी हद तक हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। कीमत संबंधी विभिन्न मानदंडों के लिए विश्लेषण डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

<u>कीमत में कटौती</u>

108. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के कारण कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती नकारात्मक है। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत काफी हद तक अधिक थी, घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत आयात की पहुंच कीमत तक बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि यह उत्पाद की गुणवत्ता को स्थापित करने में उनके द्वारा सामना की जा रही आरंभिक समस्याओं के कारण हो सकती है।

विवरण	यू ओ एम	चीन जन. गण.	इण्डोनेशिया	मलेशिया	सउदी अरब	थाईलैण्ड
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	**1,70,236**	**1,58,893**	**1,49,184**	**1,56,155**	**1,74,511**
बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***	***

कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती %	%	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

कीमत में ह्रास/ न्यूनीकरण

109. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या आयातों के प्रभाव से बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव बनेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की है। यह स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शायी गयी है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16 तिमाही 2	2015-16 तिमाही 3	2015-16 तिमाही 4
चीन से आयात कीमत	रु./ मी. ट.	1,91,930	1,74,064	1,30,408
इण्डोनेशिया से आयात कीमत	रु./ मी. ट.	1,64,848	1,58,421	1,42,046
मलेशिया से आयात कीमत	रु./ मी. ट.	1,57,091	1,67,448	1,20,568
सउदी अरब सेआयात कीमत	रु./ मी. ट.	1,65,505	1,77,647	1,19,538
थाईलैण्ड से आयात कीमत	रु./ मी. ट.	1,87,727	1,78,834	1,30,919
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***
बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***

110. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की जांच करने के लिए, घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत की प्रवृत्ति की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान तिमाही दर तिमाही कम हो रही थी। आगे यह देखा गया है कि चौथी तिमाही जिसमें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत मलेशिया और सउदी अरब से अधिक रही थी, को छोड़कर प्रत्येक तिमाही में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी। तथापि, उनकी आयात मात्राएं अपाटित थी। यह भी देखा गया है कि बिक्री की लागत में भी तिमाही दर तिमाही गिरावट आ रही थी। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग लागत प्रबंधन में सुधार कर रहा था अथवा अपने उत्पादन की प्रक्रिया को स्थिर कर रहा था जिसके फलस्वरूप बिक्री की लागत में कमी आई। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि निवल बिक्री प्राप्ति इस पूरी अवधि के दौरान बिक्री की लागत से कम है।

कम कीमत पर बिक्री

111. क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए किया गया है। क्षति रहित कीमत तय की गई है और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा तक पहुंचने के लिए संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य से की गई है। यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक है।

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.	इण्डोनेशिया	मलेशिया	सउदी अरब	थाईलैण्ड
आयात मात्रा	मी. ट.	2,921	2,612	4,761	2,270	2,503
एन आई पी	रु./ मी. ट.	***	***	***	***	***
आयात का पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	1,70,236	1,58,893	1,49,184	1,56,155	1,74,511
पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. ट.	***	***	***	***	***
पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***	***
पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री	रेंज	0-10	10-20	15-25	10-20	0-10

<u>घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदंड</u>

112. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

113. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों की चर्चा यहां नीचे की गई है :-

i. <u>क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग</u>

114. घरेलू उद्योग से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं :

विवरण	इकाई	जांच की अवधि			जांच की अवधि के बाद की अवधि			
		जुलाई – सितं.	अक्टू. – दिसं.	जन. – मार्च	अप्रैल – जून	जुलाई – सितं.	अक्टू. – दिसं.	जन. – मार्च
क्षमता	मी. ट.	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
पी यू सी उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***
एन पी यू सी उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*668*	*137*	*279*	*173*	*164*	*133*
उत्पादन संयंत्र	मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*481*	*262*	*394*	*463*	*498*	*546*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***	***
संयंत्र का उपयोग	%	***	***	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*481*	*262*	*394*	*463*	*498*	*546*
घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***
निर्यात बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***
कुल	मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***

115. यह नोट किया जाता है कि

क. घरेलू उद्योग के उत्पादन में जांच की अवधि (2015-16) में जुलाई सितंबर की तिमाही में *** मी. ट. से जांच की अवधि से बाद की अवधि में 2016-17 की जनवरी – मार्च तिमाही में *** मी. ट. तक क्रमिक रूप से सुधार हुआ है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद की अवधि में लगातार अपने कार्य निष्पादन में सुधार कर रहा था।

ख. घरेलू उद्योग के क्षमता में जांच की अवधि (2015-16) में जुलाई सितंबर की तिमाही में 8 प्रतिशत क्षमता उपयोग से जांच की अवधि से बाद की अवधि में 2016-17 की जनवरी – मार्च तिमाही में 59 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।

ग. घरेलू उद्योग की बिक्री में जांच की अवधि (2015-16) में जुलाई सितंबर की तिमाही में *** मी. ट. से जांच की अवधि से बाद की अवधि में 2016-17 की जनवरी – मार्च तिमाही में *** मी. ट. तक क्रमिक रूप से सुधार हुआ है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद की अवधि में लगातार अपने कार्य निष्पादन में सुधार कर रहा था।

ii. <u>लाभ, नकदी का प्रवाह और निवेश पर लाभ</u>

116. घरेलू उद्योग से संबंधित आंकड़ नीचे दर्शाये गये हैं :

विवरण	इकाई	जांच की अवधि			जांच की अवधि के बाद की अवधि			
		जुलाई – सित.	अक्टू. – दिसं.	जन. – मार्च	अप्रैल – जून	जुलाई – सित.	अक्टू. – दिसं.	जन. – मार्च
बिक्री की लागत	₹/ किग्रा.	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*97*	*98*	*75*	*78*	*78*	*79*
बिक्री कीमत	₹/ किग्रा.	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*103*	*95*	*96*	*95*	*93*	*96*
लाभ / हानि	₹/ किग्रा.	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*(100)*	*(86)*	*(102)*	*(34)*	*(43)*	*(48)*	*(44)*
लाभ / हानि	₹/ लाख	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*(100)*	*(355)*	*(404)*	*(177)*	*(307)*	*(438)*	*(378)*
नकद लाभ	₹/ लाख	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*(100)*	*(75)*	*(129)*	*(219)*	*(255)*	*(198)*	*(308)*
आर ओ आई	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*(100)*	*(316)*	*(335)*	*(792)*	*(1,154)*	*(968)*	*(2,337)*

117. यह नोट किया जाता है कि बिक्री की लागत में क्षति की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि में बिक्री कीमत में भी कमी आई है। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि बिक्री की कीमत जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान बिक्री की लागत से कम है।

118. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी हानि होती रही है। यदि घरेलू उद्योग निर्यातकों के स्तर तक अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम होता तब हानि में कटौती हो सकती थी। हालांकि, प्रति मी. ट. हानि में क्रमिक रूप से कमी आई है क्योंकि घरेलू उद्योग लगातार स्थिर हो रहा है।

119. इस कारण से, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि जांच के बाद की पूरी अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक लाभ हो रहा है।

iii. <u>रोजगार और उत्पादकता</u>

120. घरेलू उद्योग से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं :

विवरण	इकाई	**जांच की अवधि**		
		जुलाई – सित.	अक्टू. – दिसं.	जन. – मार्च
कर्मचारी	सं.	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*102*	*107*
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. ट./ सं.	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*392*	*321*

121. यह नोट किया जाता है कि रोजगार और उत्पादकता ने जांच की अवधि के भीतर सुधार दर्शाया है।

iv. <u>माल सूची</u>

122. घरेलू उद्योग के आंकड़े नीचे प्रस्तुत किये गये हैं :

विवरण	इकाई	**जांच की अवधि**			**जांच की अवधि के बाद की अवधि**			
		जुलाई – सितं.	अक्टू. – दिसं.	जन. – मार्च	अप्रैल – जून	जुलाई – सित.	अक्टू. – दिसं.	जन. – मार्च
प्रारंभिक माल सूची	मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***
अंतिम माल सूची	मी. ट.	***	***	***	***	***	***	***

123. प्राधिकारी यह टिप्पणी करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास माल सूची में उत्पादन में वृद्धि के साथ जांच की अवधि और जांच के बाद की अवधि में भी वृद्धि हुई है।

v. <u>वृद्धि</u>

124. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि लाभप्रदत्ता, लगाई गई पूंजी पर लाभ जैसे कीमत मानदंडों के संबंध में नकारात्मक और उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग जैसे मात्रा संबंधी मानदंडों के संबंध में सकारात्मक थी। हालांकि, चूंकि भारत में संबद्ध देशों से अधिकांश आयात गैर पाटित आयात हैं और

इसके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है। अत: यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है कि कीमत संबंधी मापदंडों पर नकारात्मक कार्य निष्पादन का कारण पाटित आयातों को माना जा सकता है।

vi. <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

125. जांच के दौरान, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में भावी निवेश संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी और प्रचलित स्थिति के कारण समाप्त हो गई है। अत: घरेलू उद्योग के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के लिए आगे कोई निवेश करे। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग जिंदल पोलि फिल्म लिमि., एक कंपनी जो पूर्ण रूप से गैर अर्थक्षम होने से अपने आपको बचाने के उद्देश्य से अधिकांश शेयर होल्डिंग रख रहा है, में अपने आप को विलय करने की योजना पर काम कर रहा है। रिमाण्ड के बाद की कार्यवाहियों के दौरान, प्राधिकारी के ध्यान में यह लाया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नये निवेश की घोषणा 2018 में की गई थी और उसे घरेलू उद्योग द्वारा 2020 में चालू किया गया था। अलग अलग कानूनी कंपनियों द्वारा अन्य उत्पादन संयंत्रों को भी भारत में हाल में स्थापित किया गया है।

126. उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में निवेश भारत में आयातों की मौजूदगी के द्वारा प्रभावित नहीं हुई थी।

vii. <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

127. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों की जांच यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयात की गई सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम नहीं है। चीन और थाईलैण्ड से पाटित आयातों का पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि पाटित आयातों के कारण भारतीय बाजार में कीमत में बहुत अधिक कटौती नहीं हो रही है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि को दर्शा रहा था और इस कारण से यह घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला एक कारण नहीं हो सकता था। इस प्रकार से घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक चीन जन. गण. और थाईलैण्ड से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात नहीं हो सकता है।

viii. <u>पाटन का आकार और मार्जिन</u>

128. चीन (एक उत्पादक को छोड़कर) और थाईलैण्ड से आयात पाटन मार्जिन के न्यूनतम स्तर से ऊपर है। अन्य सभी संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम पाटन मार्जिन से कम पर हुआ है।

झ. <u>क्षति मार्जिन का आकार</u>

129. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के संबंध में निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच मूल्य से की गई है। क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	पहुंच मूल्य	एन आई पी	क्षति मार्जिन		
		यू एस डा/ मी. ट.	यू एस डा/ मी. ट.	यू एस डा/ मी. ट.	%	रेंज
1	टोरे पोलिटेक (नानटॉग) कंपनी लिमि. चीन	***	***	***	***	0-10
2	हुबई गोल्ड ड्रागोन नॉनवूवन फेब्रिक्स कं. लिमि.	***	***	***	***	नकारात्मक
3	चीन जन. गण. के सभी अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	10-20

क्र. सं.	उत्पादक	पहुंच मूल्य	एन आई पी	क्षति मार्जिन		
		यू एस डा/ मी. ट.	यू एस डा/ मी. ट.	यू एस डा/ मी. ट.	%	रेंज
4	टोरे पोलिटेक जर्काता, इण्डोनेशिया	***	***	***	***	5-15
5	इण्डोनेशिया के सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	5-15
6	मलेशिया के सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	10-20
7	नानवूवन उत्पादों के लिए सउदी जर्मन कं. ("सउदी जर्मन")	***	***	***	***	0-10
8	सउदी अरब के सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	0-10
9	इतोचू थाईलैण्ड लिमि./ इतोचू इंडिया लिमि. के माध्यम से असाही कसेई स्पूनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि.	***	***	***	***	नकारात्मक
10	थाईलैण्ड के सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	1% से कम

झ. <u>क्षति संबंधी जांच</u>

130. रिकार्ड पर सूचना के संबंध में तथा घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

I. संबद्ध देशों से भाग लेने वाले अधिकांश उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, पाटन मार्जिन थाईलैण्ड और चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों को छोड़कर न्यूनतम अथवा नकारात्मक है।

II. असाही कसेई स्पूनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि. के मामले में, यद्यपि पाटन मार्जिन सकारात्मक है लेकिन क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

III. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात स्वतंत्र रूप में तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक नहीं है।

IV. कीमत में कटौती सभी संबद्ध देशों से आयातों के लिए नकारात्मक है।

V. नई संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद, घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री में वृद्धि की है।

VI. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदत्ता और लगाई गई पूंजी पर लाभ जैसे कीमत संबंधी मानदंडों के संबंध में नकारात्मक प्रवृत्ति का अनुभव किया है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान हानि हुई है। हालांकि, प्रति इकाई हानि में प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण की गई जांच की अवधि के बाद की अवधि में कमी आई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई आरंभिक अत्यधिक हानि स्टार्ट अप प्रचालनों से जुड़ी आरंभिक समस्याओं के कारण प्राथमिक रूप से हुई थी।

VII. पाटित आयातों की मामूली मात्रा और कम कीमत पर कटौती के न होने के कारण, संबद्ध देशों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया गया है।

ट. **कारणात्मक संबंध और अन्य कारक**

131. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों जो साथ साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, की जांच करें ताकि इन अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को नहीं माना जाये। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन अथवा मांग में संकुचन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

i. **संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य**

132. वर्तमान जांच में पांच देशों से आयात शामिल है। पांच देशों में से तीन देशों से आयात और अपाटित कीमत पर हुई है जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

देश	जांच की अवधि में कुल आयात (वार्षिकीकृत)	पाटन मार्जिन
इण्डोनेशिया	3,483	न्यूनतम (2% से कम)
मलेशिया	6,348	न्यूनतम (2% से कम)
सउदी अरब	3,027	न्यूनतम (2% से कम)
कुल अपाटित आयात	12,858	न्यूनतम (2% से कम)

133. तीन देशों से अपाटित आयात अधिक मात्रा में हुआ है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कीमत संबंधी मानदंडों पर क्षति, यदि कोई हो का कारण ये पाटित और अपाटित दोनों आयात हो सकते हैं। हालांकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से अधिकांश आयात तीन देशों से अपाटित आयातों पर हुई है।

ii. **संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य**

134. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात मात्राओं में बहुत अधिक नहीं है अथवा अपेक्षाकृत अधिक कीमतों पर नहीं है।

iii. **मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इस कारण से मांग में संकुचन के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

iv. **प्रौद्योगिकी का विकास**

136. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तन जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। वास्तव में याचिकाकर्ता ने नई उत्पादन सुविधा स्थापित की है और इसने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश उत्पादक याचिकाकर्ता द्वारा तैनात की गई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।

V. **व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति के बीच प्रतिस्पर्धा**

137. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु भारत में किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति के अध्यधीन नहीं है। इसके अलावा, इस प्रतिस्पर्धा जो किसी बाजार अर्थव्यवस्था में स्पष्ट है, के अलावा,

विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आपूर्ति के बीच कोई परस्पर प्रतिस्पर्धा इस प्रकार के किसी प्रवाह को नहीं दर्शाता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षतिकारक के रूप में माना जा सकता है।

vi. <u>निर्यात कार्य निष्पादन</u>

138. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को घरेलू और निर्यात बाजार के लिए अलग अलग किया गया है। याचिकाकर्ता ने इस अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। हालांकि, घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू प्रचालकों के कारण हुई है। याचिकाकर्ता ने घरेलू और निर्यात बाजार के लिए अलग अलग विचाराधीन उत्पाद के लिए लागत और क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। अन्य कारक : संबद्ध देशों से आयातों के अलावा दो अन्य कारक हैं जो कारण न बताने संबंधी विश्लेषण में संगत हैं।

139. याचिकाकर्ता ने फरवरी 2015 में जांच उत्पादन और जुलाई 2015 में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। इस कारण से घरेलू उद्योग की मात्रा संबंधी मानदंडों की प्रवृत्ति में वृद्धि सामान्य है। हालांकि, यह भी देखा गया है कि कीमत में कटौती जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को बढ़ाकर आयातों के स्तर तक कर सकता था। हालांकि, उन्होंने जांच की अवधि के दौरान और जांच के बाद की अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि नहीं की। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान हानि भी हुई। हालांकि, जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रति मी. ट. हानि में कमी आई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में एक नये उद्योग को स्थापित करने में आई आरंभिक समस्याओं से सुधार करना शुरू कर दिया है।

140 यह भी प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया था कि कंपनी की मालिकाना संरचना में भी विलय के कारण जांच की अवधि के बाद परिवर्तन हुआ।

141. ऊपर में उल्लिखित मानदंड स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि :

I. संबद्ध देशों से भाग लेने वाले अधिकांश उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, पाटन मार्जिन थाईलैण्ड और चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को छोड़कर न्यूनतम अथवा नकारात्मक है।

II. असाही कसेई स्पूनबॉड (थाईलैण्ड) कं. लिमि. के मामले में, यद्यपि पाटन मार्जिन सकारात्मक है लेकिन क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

III. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात स्वतंत्र रूप में तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक नहीं है।

IV. कीमत में कटौती सभी संबद्ध देशों से आयातों के लिए नकारात्मक है।

V. यह भी प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया था कि कंपनी की मालिकाना संरचना में भी विलय के कारण जांच की अवधि के बाद परिवर्तन हुआ।

VI. मूल जांच के दौरान प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आरंभिक समस्याओं पर ध्यान दिये जाने के साथ ही संभवत: सुधार होगा। जैसे ही यह स्थिर होगा घरेलू उद्योग क बेहतर कार्य निष्पादन हो सकता है। यह स्वाभाविक है कि गेस्टेशन अवधि की कुछ सीमा उचित है। प्राधिकारी के ध्यान में यह भी लाया गया है कि घरेलू उद्योग ने 2020 में संबद्ध उत्पाद के लिए भारत में नया उत्पादन संयंत्र शुरू किया है।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात विवरण</u>

142. प्रकटन विवरण स्तर पर उठाए गए मुद्दों को पहले भी जांच के दौरान उठाया गया है और उसका उचित समाधान किया गया है । तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का नीचे सारांश दिया गया है और समाधान किया गया है ।

ठ. 1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

143. **इंडोनेशिया सरकार के प्रकटन के पश्चात के अनुरोध निम्नानुसार हैं :-**

i. जी ओ आई ने यह माना है कि यह जांच परिणाम मूल जांच के जांच परिणामों के समान है । यह निष्कर्ष रूप में सिद्ध हुआ है कि इंडोनेशिया के निर्यातकों ने भारतीय बाजार में एनडब्ल्यूएफ के निर्यात को पाटित नहीं किया है । नए प्रकटन विवरण में उन मुद्दों सहित विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया है जिन पर माननीय सेस्टेट ने चिंता जताई थी और जिन्हें रिमांड कार्यवाही के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है ।

ii. प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि क्षति और संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पाटित आयातों की कम मात्रा और कीमत कटौती के अभाव के कारण स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ है।

iii. प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि पीओआई में डी आई का घाटा पीओआई में नए उद्योग की स्थापना में उच्च लागत के कारण हुआ था और निकट भविष्य में उसकी वसूली हो जाएगी । इस स्थिति से पता चलता है कि डी आई ने पीओआई के पश्चात लागत की वसूली शुरू कर दी है ।

iv. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के संबंध में अंतिम जांच परिणाम में अनजाने में हुई त्रुटि को प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में सुधार लिया है । नए प्रकटन विवरण में उक्त अनजाने में हुई त्रुटि तथा उसमें सुधार किए जाने को स्पष्ट किया गया है ।

144. **निर्यातकों और थाइलैंड से संबंधित भारतीय आयातकों के प्रकटन के पश्चात के अनुरोध निम्नानुसार हैं :-**

i. एनईपी की गणना के लिए समायोजनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और प्राधिकारी ने उन्हीं समायोजनों को अपनाया है । अत: यह समझा गया है कि प्राधिकारी ने असाही केसेई स्पनबॉड (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड, इटोचू (थाइलैंड) लि., थाइलैंड तथा इटोचू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत के संबंध में पाटन/क्षति मार्जिन गणनाओं में प्राधिकारी ने किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया है । तद्नुसार, प्राधिकारी से दिनांक 2 सितंबर, 2017 के मूल अंतिम जांच परिणाम में यथा अनुशंषित समान जांच परिणामों, जिनके द्वारा असाही केसेई स्पनबॉड (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड के लिए कोई पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं हुई थी, को बनाए रखने का अनुरोध किया गया है ।

ii. प्राधिकारी से असाही केसेई स्पनबॉड (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड के संबंध में उनके जांच परिणामों को बनाए रखने और पुन: पुष्टि करने का भी अनुरोध किया जा रहा है ।

iii. प्राधिकारी ने माननीय सेस्टेट के आदेशों का पूर्णत: पालन किया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी की सिफारिशों का विश्लेषण करने का अवसर देने के लिए पर्याप्त समय दिया है ।

iv. हमारे समझ के अनुसार माननीय सेस्टेट के आदेश में प्राधिकारी के लिए केवल यह अपेक्षित है कि वह सभी हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दें । इसमें प्राधिकारी को अपने जांच परिणाम में तथ्यों में बदलाव करने के लिए नहीं कहा गया है । हम प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निष्कर्षों का पूर्ण समर्थन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि असाही केसेई स्पनबॉड (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड, इटोचू (थाइलैंड) लि., थाइलैंड तथा इटोचू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत के संबंध में उन्हें अंतिम जांच परिणाम में अधिसूचित करें ।

v. असाही केसेई स्पनबॉड (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड, इटोचू (थाइलैंड) लि., थाइलैंड तथा इटोचू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत ने 24 जुलाई, 2020 (लिखित अनुरोध) और 31 जुलाई, 2020 (खंडन संबंधी अनुरोध) के अपने अनुरोधों द्वारा अनेक मुद्दे उठाए और प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें प्रकटन विवरण में स्वीकार/उन पर ध्यान नहीं दिया गया है । यह आग्रह किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले अंतिम जांच परिणामों में उन पर ध्यान दिया जाए और उन्हें स्वीकार किया जाए ।

145. **मलेशिया से निर्यातक के प्रकटन के बाद के अनुरोध निम्नानुसार हैं :-**

i. मलेशिया से उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रकटन टिप्पणियों के रूप में अधिक सूचना दी गई थी ।प्रकटन संबंधी टिप्पणियों सहित मलेशिया से उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना स्पष्टीकरण की प्रकृति की थी । ऐसी सूचना के अभाव में भी प्रश्नावली के उत्तर में बिक्री मात्रा (वर्ग मीटर में) और वास्तविक बीजकों में नोट बिक्री मात्रा (वर्ग मीटर में) के संबंध में प्रदत्त सूचना के बीच कोई अंतर नहीं है । इसके अलावा, यदि वास्तविक मात्रा संबंधी सूचना को किलोग्राम में संगत समझा जाता है, तो प्राधिकारी की यह प्रथा रही है कि प्राधिकारी ने अन्य पाटनरोधी प्रश्नावली के उत्तर को प्रस्तुत करने की तारीख के बाद हितबद्ध पक्षों से सूचना को स्वीकार किया है ।

ii. प्राधिकारी की यह समुक्ति सही है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार भारित औसत सामान्य मूल्य और सभी निर्यात सौदों पर आधारित भारित औसत निर्यात कीमत पर मलेशिया से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक श्रेणी के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए । प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-6 में प्रदत्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना की अपेक्षा के अनुसार है ।

iii. पाटनरोधी नियमावली का नियम 14(ग) यह प्रावधान करता है कि प्राधिकारी किसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे, यदि वह निर्धारित करती है कि पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से कम है । अत: प्राधिकारी को सउदी अरब, इंडोनेशिया और मलेशिया से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश किए बिना पाटनरोधी जांच को समाप्त कर देना चाहिए ।

iv. प्राधिकारी ने यह समुक्ति करते हुए घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया है कि उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग जैसा मात्रात्मक मापदंडों में सुधार हुआ है । प्राधिकारी ने यह सही समुक्ति की है कि कीमत संबंधी मापदंडों के बारे में घरेलू उद्योग के ऋणात्मक कार्यनिष्पादन के लिए संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि संबद्ध देशों से भारत में आने वाले अधिकांश आयात अपाटित आयात हैं और ये घरेलू बाजार में कीमत कटौती नहीं कर रहे हैं ।

v. अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी को यह पुष्टि करनी चाहिए कि पाटित आयातों की कम मात्रा और कीमत कटौती के अभाव के कारण और संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ है ।

vi प्रकटन विवरण में स्वीकार किया गया है कि इंडोनेशिया से उत्पादक/निर्यातक संबद्ध उत्पाद का पाटन नहीं कर रहे हैं । इस संबंध में प्रकटन विवरण में माननीय सेस्टेट के निर्णय के अनुसार पर्याप्त स्पष्टीकरण भी दिया गया है । इंडोनेशिया से अपाटित आयातों संबंधी निष्कर्ष की अंतिम जांच परिणाम में पुष्टि की जानी चाहिए।

vii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (III) में उपबंध है कि आयातों का संचयी मूल्यांकन केवल तभी किया जा सकता है यदि प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक हो । इस प्रकार, प्राधिकारी की समुक्ति पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है । यह नोट किया गया है कि सउदी अरब, मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात अपाटित हैं और उन्हें वार्षिक क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अन्य संबद्ध देशों से आयातों में जोड़ा नहीं जा सकता है ।

viii. प्राधिकारी ने यह भी देखा है कि लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय जैसे कीमत मापदंडों में ऋणात्मक कार्य निष्पादन रहा है । तथापि, प्राधिकारी ने यह भी देखा है कि मलेशिया सहित संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई कीमत कटौती नहीं हुई है क्योंकि मलेशिया सहित संबद्ध देशों से पहुंच की

घरेलू बिक्री कीमतों से काफी अधिक है। प्राधिकारी ने यह भी देखा है कि घरेलू उद्योग आयातों की पहुंच कीमत पर अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर पाया था क्योंकि उसे उत्पाद की गुणवत्ता स्थापित करने में संभवत: समस्या आ रही थी। पूर्वोक्त अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन से यह स्पष्ट है कि कीमत संबंधी मापदंडों के बारे में घरेलू उद्योग के ऋणात्मक कार्य निष्पादन के लिए मलेशिया सहित संबद्ध देशों से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ix. अत: प्राधिकारी ने तथ्यों का वस्तुनिष्ठ आकलन किया है और यह समुक्ति सही है कि घरेलू उद्योग के ऋणात्मक कार्य निष्पादन के लिए संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि संबद्ध देशों से भारत में आ रहे अधिकांश आयात अपाटित आयात हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं। प्राधिकारी ने यह भी माना है कि पीओआई के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है और उसने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए पर्याप्त नया निवेश किया है। प्राधिकारी की यह समुक्ति इस बात को और सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग सुधार की दिशा में है और उसे क्षति नहीं हो रही है।

x. भारत कमतर शुल्क के नियम को अपनाता है और क्षति मार्जिन केवल पाटनरोधी शुल्क की राशि निर्धारित करने हेतु संगत है। क्षति मार्जिन की मौजूदगी यह निर्धारित करने में असंगत है कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो रही है अथवा नहीं। वास्तव में प्राधिकारी को क्षति मार्जिन की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। किसी मामले में जैसा पहले नोट किया गया है, मलेशिया से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जा सकती क्योंकि मलेशिया से आयातों हेतु निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा तक अर्थात 2 प्रतिशत से कम है।

ठ. 2 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

146. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने 17 अगस्त, 2020 के प्रकटन विवरण पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। यद्यपि, समय सीमा पहले से ही 23 अगस्त, 2020 तक और दिनांक 24 अगस्त, 2020 के ई-मेल द्वारा 28 अगस्त, 2020 तक बढ़ाई गई थी उत्तर में और उसके बाद तथापि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दिए गए समय के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। यह नोट किया गया है कि प्रकटन के पश्चात के स्तर पर इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों की इस अंतिम जांच परिणाम में संगत पैराग्राफों में प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की गई है। तथापि, जहां अपेक्षित हो, उनकी नीचे पुन: जांच की गई है।

147. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी होने से पहले और माननीय सेस्टेट में सुनवाई के दौरान अपने अनुरोध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना हेतु प्राधिकारी द्वारा अपनी गई पद्धति और संबद्ध देशों से सभी अन्य श्रेणी के निर्यातकों (जिन्हें अवशिष्ट भी कहा गया है) के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत आदि का प्रकटन नहीं करने पर चिन्ता जताई थी अत: प्राधिकारी इन मुद्दों की पुन: जांच करना उचित समझते हैं।

148. अंतिम जांच परिणाम से संगत पैराग्राफों में यथाउल्लिखित पाटन और क्षति की विस्तृत जांच से प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से अधिकांश भागीदार निर्यातकों के मामले में टोरे पॉलीटेक (नेनटोंग) कंपनी लिमिटेड चीन तथा असाही केसेई स्पनबॉन्ड (थाइलैंड) कं. लि. को छोड़कर पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा पर या ऋणात्मक है। तथापि, कुछ मामलों में यद्यपि, पाटन मार्जिन सकारात्मक है, तथापि, क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।

149. तद्नुसार, 17 अगस्त, 2020 के प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने असहयोगी के रूप में निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों सहित संबद्ध देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने हेतु अपनाई गई पद्धति को पूर्णत: प्रकट कर दिया है।

150. इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी अन्य श्रेणी के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति पीसीएन दर पीसीएन विश्लेषण या पीसीएन वार विश्लेषण से अलग है जिसे सहयोगी

उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में अपनाया गया था और जिसके सभी अन्य श्रेणी के उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में घरेलू उद्योग द्वारा गैर अनुमति योग्य होने का आरोप लगाया गया है। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के पाटन मार्जिन के लिए प्राधिकारी ने (i) भागीदार उत्पादक/निर्यातक द्वारा निर्यातित सभी पीसीएन का निर्धारण (ii) प्रत्येक पीसीएन के लिए भारित औसत निर्यात कीमत परिकलित की है (iii) इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत की तुलना संगत पीसीएन हेतु निर्धारित सामान्य मूल्य के साथ की है (iv) पीसीएन वार पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की पीसीएन से पीसीएन की तुलना द्वारा परिकलित की है और (v) उत्पादक/निर्यातक के लिए अंतिम एकल भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। सभी अन्य या चीन जन.गण., इंडोनेशिया, थाइलैंड और सउदी अरब की अवशिष्ट श्रेणी के लिए पाटन मार्जिन की गणना हेतु प्राधिकारी ने न्यूनतम निर्यात कीमत (अर्थात प्रतिकूल अर्थ) के साथ पीसीएन पर विचार किया है और उसकी तुलना इसी पीसीएन के सामान्य मूल्य के साथ की है।

151. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मलेशिया से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में कारखाना द्वार स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों हेतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और डी जी सी आई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदावार आंकड़ों के अनुसार परिकलित किया गया था। इसी प्रकार, भारित औसत निर्यात कीमत उचित तुलना के लिए सभी निर्यात सौदों हेतु परिकलित की गई थी। सभी निर्यात सौदों के लिए भारित औसत निर्यात कीमत पर भरोसा करना और यदि संबद्ध देश से कोई सहयोग नहीं मिलता है, तो पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु भारित औसत सामान्य मूल्य के साथ उसकी तुलना करना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है।

152. इस प्रकार, जैसा उक्त पूर्ववर्ती पैराग्राफों में पहले ही स्पष्ट किया गया है, सभी अन्य या संबद्ध देशों से निर्यातकों की अवशिष्ट श्रेणी के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतर्गत निर्धारित की गई है। सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना/आंकड़ों में सहयोगी निर्यातकों से गोपनीय आधार पर प्राप्त और/या ऐसे किसी स्रोत से जिसे प्राधिकारी प्रामाणिक और तर्कसंगत मानते हैं, प्राप्त सूचना शामिल है और सभी अन्य या निर्यातकों की अवशिष्ट श्रेणियों के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के परिकलन हेतु उस पर विचार किया गया है। अत: उपर्युक्त प्रयोजन हेतु विचारित सूचना/आंकड़ों को एडीडी नियमावली के नियम 7(1) के अंतर्गत लागू प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक या सभी हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

153. माननीय सेस्टेट के निर्णय, रिमांड जांच तथा मूल जांच में उठाए गए मुद्दों और अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष इस जांच परिणाम में यथा अभिलिखित उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

क. सउदी अरब, इंडानेशिया और मलेशिया से सभी आयातों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम है अत: सउदी अरब, इंडानेशिया और मलेशिया से सभी आयात गैर पाटित आयात हैं।

ख. थाइलैंड से सभी आयातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है। तथापि, असाही केसेई स्पनबॉन्ड (थाइलैंड) कंपनी लिमिटेड (भागीदार उत्पादक/निर्यातक) के लिए क्षति मार्जिन ऋणात्मक है और थाइलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों की सभी अन्य श्रेणी के लिए 1 प्रतिशत से कम है।

ग. हुबेई गोल्ड ड्रेगन नॉन वूवन फैब्रिक कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन ऋणात्मक है। इस प्रकार, हुबेई गोल्ड ड्रेगन नॉन वूवन फैब्रिक कंपनी लिमिटेड के चीन से निर्यात पाटित आयात हैं। टोरे पॉलीटैक (नैनटोंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और चीन जन गण से सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है। टोरे पॉलीटैक (नैनटोंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. तथा सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन भी सकारात्मक है।

घ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात समग्र रूप से तथा भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन और खपत की दृष्टि से अधिक नहीं हैं।

ड. सभी संबद्ध देशों से कीमत कटौती ऋणात्मक है।

च. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति तात्कालिक समस्याओं की वजह से हो सकती है जैसा कि किसी नए उद्योग की स्थापना के आरंभिक स्तर पर ऊपर दिए गए क्षति विश्लेषण के संगत पैराग्राफों में जांच की गई है और यह पाटित आयातों के कारण नहीं हुई है।

छ. संबद्ध वस्तु की पाटित आयातों की पहुंच कीमत चौथी तिमाही, जिसमें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत मलेशिया और सउदी अरब के मामले में अधिक थी, को छोड़कर पीओआई तथा पीओआई पश्चात के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की पहुंच कीमत से अधिक है। अत: संबद्ध देशों से अयातों की कीमत कटौती ऋणात्मक थी। यह निष्कर्ष है कि यद्यपि पीयूसी की सामान्य बाजार कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी और घरेलू बाजार में मांग में तेजी से वृद्धि हुई है तथापि, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत नहीं बढ़ा सका था, क्योंकि उसे उत्पाद स्थापित करने में समस्याएं हो रहीं थीं। आरंभिक तात्कालिक समस्याओं से निपटने पर घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के ठीक हो जाने की संभावना है।

ज. प्राधिकारी को यह भी बताया गया था कि मूल कंपनी में विलय के कारण पीओआई के बाद डी आई की स्वामित्व संरचना में बदलाव हुआ है। इससे आवेदक की लागत और कार्य कुशलता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।

झ. पाटित आयातों की कम मात्रा और कीमत कटौती के अभाव के कारण संबद्ध देशों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) और 17(i)(iii) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 ख (ख) (ii) के अनुसार कारणात्मक संबंध फिर से नहीं होता है।

ढ. <u>सिफारिशें</u>

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की रिमांड माननीय सेस्टे द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2020 के अंतिम आदेश सं. 50231/2020 के माध्यम से की गई थी जिसमें प्राधिकारी को ऐसे संपूर्ण ब्यौरों/आंकड़ों/सूचना/पद्धति सहित नया प्रकटन जारी करने का निदेश दिया गया था जो विचाराधीन अनिवार्य तथ्य हो सकते हों ताकि प्रकटन विवरण के विश्लेषण के बाद हितबद्ध पक्षकारों को भी टिप्पणियां देने का अवसर मिल सके और टिप्पणियां, यदि कोई हों, के अनुसार नए अंतिम जांच परिणाम जारी हो सकें और निर्दिष्ट प्राधिकारी को मलेशियाई निर्यातक के दर्जे और उसके अभ्यावेदन की वास्तविकता पर पुनर्विचार करने का अधिकार भी दिया गया था। तद्नुसार, 17 अगस्त, 2020 को एक नया प्रकटन जारी किया गया और हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। अत: पाटनरोधी नियमावली के नियम 11(2) और अनुबंध-II के पैरा V के साथ पठित पैरा 14(ख), (ड.) और नियम 17 (1) (iii) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 15 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 14/23/2015-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की गई वर्तमान जांच को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

बि. बि. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

(Final Findings)

New Delhi, the 15th September, 2020

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Non-Woven Fabric originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR remanded by Hon'ble CESTAT through Final Order No. 50231/2020 dated 12th February 2020.

F. No. 14/23/2015-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. BACKGROUND

1. No.14/23/2015-DGAD: Whereas M/s Global Nonwovens Limited (hereinafter referred to as 'petitioner' or "the applicant") filed an application (also referred to as "petition") before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of "Non-Woven Fabric", originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR (hereinafter also referred to as "subject countries").

2. Whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, and after prima facie satisfaction with regard to existence of dumping causing injury to the Domestic Industry, issued a Notification No. 14/23/2015-DGAD dated 15th June, 2016, published in the Gazette of India, initiating the subject investigations in accordance with the Rule 5 of the above Rule to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

3. After detailed investigation and examination, the Authority recommended termination of investigation vide its final findings dated 2nd September 2017.

4. Aggrieved by the recommendations of the Authority in the above referred final findings, the petitioner in this investigation filed writ petition before the Hon'ble Delhi High Court on 13th September 2017. Hon'ble Delhi High Court vide judgment dated 20th September 2018 disposed of the writ petition by stating that the Appellant had an equitable and efficacious alternate remedy before the Hon'ble CESTAT to challenge the final findings dated 2nd September 2017.

5. The petitioner thereafter filed an appeal before the Hon'ble CESTAT on 2nd November 2018 challenging the final findings of the Authority. On 12th February 2020, the Hon'ble CESTAT issued the final order. The Hon'ble CESTAT set aside the final findings and remanded the case to the Designated Authority vide its final order directing the Authority for:

    a. Issuing a fresh disclosure with complete details/data/information/methodology which may constitute "essential facts under consideration."

    b. To afford an opportunity to the interested parties to submit their comments;

    c. After analyzing the disclosure statement and the comments, if any, give fresh final findings; and

    d. Liberty is also given to the Designated Authority to reconsider the status of the Malaysian exporter and the genuineness of its representation.

B. PROCEDURE

6. The procedure described herein below had been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

i. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicant on behalf of the domestic industries, alleging dumping of "Nonwoven fabric made of Polypropylene of GSM 25 or less" from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR.

ii. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicants. The application was, therefore, considered as properly documented.

iii. The Authority notified the Embassy of subject countries in India about the receipt of the antidumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

iv. The Authority issued a public notice dated 15th June 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.

v. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from subject countries and the Domestic Industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.The embassy of the Subject Countries in India was also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time-limit.

vi. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-dumping Rules. A copy of the Application was also made available to other interested parties, upon request.

vii. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Antidumping Rules:

a. Fibertex Personal Care SDN BHD, Malaysia

b. CNC International, Thailand

c. Pt Multi Spunindo Jaya, Indonesia

d. Pt Toray Polytech Jakarta, Indonesia

e. PtHasilDamai Textile, Indonesia

f. Huizhou Jinhaocheng Non-Woven Fabric Co., Ltd. China

g. Dongxiang Chemical & Light Industrial Textile Co., Ltd., China

h. Dongguan Jinchen Nonwoven Co., Ltd. China PR

i. Guangzhou Xinlong Nonwoven Co., Ltd. China PR

j. Sunshine Nonwoven Fabric Co., Ltd. China PR

k. Shenzhen LifengZend Technology Co., Ltd. China PR

l. Advanced Fabrics (SAAF), Saudi Arabia

m. Mada Nonwovens Company Ltd. Saudi Arabia

n. Saudi German Co. For Nonwoven Products Saudi Arabia

viii. The following producers/exporters from the Subject Countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

a. Fibertex Personal Care SDN BHD, Malaysia

b. Saudi German Co. For Nonwoven Products Saudi Arabia

c. Toray Polytech (Nantong) Company Limited, China PR

d. Toray Polytech Jakarta, Indonesia

e. Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd.,

f. Itochu Thailand Limited

g. Itochu India Limited

h. Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co.Ltd.,

ix. Questionnaires were sent to the following known importers/users / associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:

a. Procter & Gamble, India

b. Johnson & Johnson Limited

c. Kimberly Clark Lever Pvt. Limited.

d. SCA Hygiene Products India Pvt. Ltd.,

e. Unicharm India Private Limited

f. Nobel Hygiene Pvt. Limited

x. Importer's questionnaire response have been filed by the following:

- Unicharm India Private Limited

xi. Directorate General of Foreign Trade - Indonesia had also filed their submission in addition to the submission made by various know exporters, importers, users, Domestic Industry and other domestic producers.

xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).

xiii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and also to DG Systems, to arrange for details of import data of subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority had, therefore, relied upon the DGCI&S data and the detailed information submitted by cooperative exporters for computation and required analysis.

xiv. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP had been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Antidumping Rules.

xv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority had accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information had been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xvi. Verification of the information provided by the applicant domestic industries, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present Final Findings.

xvii. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st July 2015 to 31st March 2016 (9 months) considering that Petitioner had commenced trial production in Feb 2015 and commercial production in July 2015 only. However, the injury analysis had been carried out on the basis of quarter to quarter comparison of actual performance and

projected estimates/targets. Further, the import and demand data for the period from April 2012 – March 2013, April 2013-March 2014, April 2014- March 2015, April 2015-June 2015 had also been considered for injury analysis.

xviii. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation post-remand proceedings:

xix. In compliance with the Hon'ble CESTAT orders dated 12th February 2020, and in accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views in the oral hearing through video conferencing held on 17th July, 2020. The parties, who presented their views in the oral hearings, were requested to file written submissions of their views expressed orally by 24th July, 2020, followed by rejoinder submissions by 31st July, 2020. A notice to this effect was also posted on the website of DGTR for information to all interested parties.

xx. The hearing was held through video conferencing on 17th July 2020 in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic.

xxi. The Authority requested interested parties *vide* email dated 17th July 2020 that due to unprecedented situation of COVID -19, no interested parties are allowed to inspect public file kept in the Directorate and therefore, to comply with the requirement of Rule 6 (7), the non-confidential version of the submissions submitted by interested parties to the Authority should be copied to all the other interested parties for their inspection. The following interested parties filed submissions pursuant to the oral hearing:

a. Jindal Poly Films Limited (Division Global Non-wovens)
b. Fibertex Personal Care SDN BHD, Malaysia
c. Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd.,
d. Itochu Thailand Limited
e. Itochu India Limited
f. Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co, Ltd.
g. Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade, Government of Indonesia

xxii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xxiii. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 17th July 2020, sufficient time to all interested parties was granted to enable them to provide comments on the disclosure statement.

xxiv. Pursuant to the disclosure statement, the Domestic Industry filed an Application in the Hon'ble CESTAT seeking to:

a. Direct the Designated Authority to implement the final order No. 50231/2020 dated 12th February 2020 in the true letter and spirit and issue the disclosure statement afresh,
b. Restrain the Designated Authority not to proceed further pursuant to the disclosure statement dated 17th August 2020.
c. Pass such other order or orders as may be deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case.

xxv. The application has been filed against the 3 working days' time given by the Authority to submit comments on disclosure statement dated 17th August 2020. In pursuance to this, the Authority provided extension of time to the Domestic Industry for submission of post disclosure comments by 28th August, 2020. However, no comments have been submitted by the Domestic Industry.

xxvi. Comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The post-disclosure submissions, to the extent considered relevant, are being examined in these Final Findings.

xxvii. All the relevant submissions made by interested parties during the original investigation, which resulted in final findings dated 2nd September 2017, submissions during the present remand proceedings pursuant to the Hon'ble CESTAT order dated 12th February 2020 and the observations made by Hon'ble CESTAT have been taken into account in this Final Findings.

xxviii. Wherever an interested party refused access to, or otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or significantly impeded the investigation, the Authority considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

xxix. *** In this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US $= Rs 66.58 for the period of investigation.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions made by the Domestic Industry

7. Submissions made by the Domestic Industry are as follows:

a. The product under consideration in the petition is "Non-woven fabric made of Polypropylene, having basis weight not exceeding 25 GSM".

b. Nonwoven fabrics are broadly defined as sheet or web structures bonded together by entangling filaments mechanically, thermally, or chemically. They are flat, porous sheets that are made directly from molten plastic. They are not made by weaving or knitting and do not require converting the fibers to yarn.

c. The product under consideration can be produced in a number of different types or varieties, which essentially differ in thickness of fabric denominated in GSM, or in the manner in which fabric is formed. The production process involves passing of molten polypropylene through pair of hot cylinders which act as a bonding agent. This can be either in spun-bond technique or in melt blown technique.

8. Not all types of non-woven fabric are the subject goods for the present investigation. Only the non-woven fabric produced primarily from polypropylene are within the scope of product under consideration. It had been further mentioned that only Non-woven fabric which contains following essential characteristics which are present in the imported product.

a. Produced using polypropylene, and

b. Having basis weight not exceeding 25 GSM, and

c. Produced either by spun bond or spun melt technology/production process, and

d. For hygiene applications in hygiene products, and

e. Produced using production technology, plant & equipment, manufacturing facilities, which permits

i. Production in closed loop controlled environment necessary to obtain uniformity and consistency in specification,

ii. Zero level of contamination in the form of foreign particle, dust particles,

iii. Prescribed levels surface defects such as patches, holes, lumps, etc.,

iv. Production in over pressurised conditions,

v. Using process control instrumentation to ensure compliance with desired specifications.

f. The Product should have following technical properties

i. Spunbond (S / SS / SSS) – Only Spun bond technique is used. Fabric is strong having air permeability.

ii. Spun Melt (SMS / SMMS / SSMMS) – Spunbond and Melt blown techniques are used and respective layers are sandwiched to produce soft and multi-utility fabrics. Fabric has barrier properties.

iii. Hydrophobic – Repel water and enhances barrier properties by chemical nature, product under consideration is Hydrophobic therefore it does not require any additional treatment.

iv. Hydrophilic – Attracts water and increases absorption. This property is imparted by adding suitable chemicals into the filament sheet after Calendaring. Both Spun bond and spun melt fabric can be treated to have hydrophilic property.

g. The Petitioner uses machinery and technology such as Reicofil machine supplied by Reifenhauser – Germany, which is also being used by exporting producers, thus producing the same product as of the Petitioner, namely Uniform and Consistent thickness because of the production in closed loop controlled environment, Zero level of contamination (in the form of foreign particle, dust particles) Produced in over pressurized conditions, Process control instrumentation to ensure compliance with desired specifications.

h. Thus such essential features make the product of the Petitioner distinct from the similar products of other producers in India, and same as the dumped products manufactured by exporting producers from other countries.

i. The product under consideration performs specific functions such as absorbency, liquid repellence, stretch, softness, strength, abrasion resistance, lint and sterility. These properties of fabrics are often combined to create fabric suited for specific jobs while achieving a good balance between product use-life and cost.

j. The product under consideration is primarily used in Hygiene application. The fabric is white but sometimes it can be coloured as well by adding master batches. Apart from this these fabrics can be soft, super soft and section coated also.

k. Along with it, several technical properties like Spun bond, Spun melt, Hydrophobic, Hydrophilic make it a novel product produced in India.

l. None of the producers in India have deployed the facilities mentioned here, thus not able to produce the desired product needed by the consumers in India.

m. The goods produced by the other producers and produced by the petitioner are poles apart. Only petitioner's product can be treated as like product to the product being imported into India. The manufacturing facilities installed and available to the petitioner is far more advanced than that of the other domestic producers.

n. This fact gets more established with the fact that petitioner is selling the product in the range of Rs.135-170 per Kg and the other non-woven fabric produced by the other producers are being sold at much below price. The pricing of a product is very important in determining the likeness of two products. The fact that the two products are very differently priced makes them different.

o. The product types for which exclusion is being demanded should not be excluded, as these constitute product under consideration within the meaning of the definition of PUC in the present investigation. The scope of PUC was not defined as nonwoven fabric made of 100% Polypropylene only. The product under consideration was defined as "nonwoven fabric made of Polypropylene" and so long as the fabric is primarily produced using polypropylene, the same is within the scope of the product under consideration.

p. The products claimed for exclusion are being manufactured by the Domestic Industry. "Non-woven fabric SS, HO (soft)" is spun bond, hydrophobic soft material and is comparable to "non-woven loft". Printed NWF made out of NWF produced by the petitioner had also been sold in the market. The printing had not been done by the company and was given to associate company of the petitioner.

q. The exporter had not identified a PCN for these types at the time when the Authority sought comments from the interested parties after devising PCN, nor had made any claims regarding this. It had not been stated that these types were exported by Fibertex to India during the investigation period. If these products have not been exported to India, there demand for exclusion is totally baseless.

r. It is too late to raise preliminary issues of product exclusion/inclusion. Sufficient opportunity has already been granted by the Authority to all interested parties to make submissions. Fibretex had made submissions as well; however, these new facts are being put on records by them with mischievous objective and to derail the whole investigation process. These submissions should be rejected on this ground alone.

C.2 Submissions made by Producers/Exporters/Importers/Other interested parties

9. Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties are as follows:

a. The petitioner and the Authority had not defined the product under consideration sufficiently.

b. The petitioner does not manufacture Non-woven fabric below 8 GSM and the same is accepted by them in their petition as well as in the public hearing. For the same reason, non-woven fabric below 8 GSM should be excluded from the scope of product under consideration.

c. While defining the customs classification, the petitioner erroneously included the Heading 56031200 weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2. The same should be excluded. Product under consideration should be classified under 56031100.

d. The Product under consideration should be defined as "Non-woven fabrics made of polypropylene *having thickness greater than 8 GSM and less than 25 GSM, classifiable under customs tariff act under heading 56031100".*

e. The price of Product under consideration is impacted by raw material prices, not by imports. The market decides the prices as the consumer market for the subject good is a "buyer's market".

f. The petitioner failed to bring on record either conversion cost or international prices of polypropylene. It is required to give international price for polypropylene prevailing during the POI. Overall decline in international prices of polypropylene cannot be attributed to dumping.

g. The petitioners have not provided properly segregated data to understand the actual situation of imports vis-à-vis domestic consumption or of the Domestic Industry due to imports.

h. The Domestic Industry claimed that the Product under consideration produced by them is significantly different than the product produced by the other producers because they are selling the product at much higher price than the other producers but it is nowhere mentioned that both the products are not like products. For determining the like product, the Authority needs to examine the commercial substitutability and not the price difference between the products being sold by the other domestic producers. The goods produced by the petitioner and the other producers are like products.

i. Since the product under consideration had a buyer's market and the product under consideration being a hygiene product, the petitioner is facing tough competition with the established producers in the market.

j. The exporter from Malaysia claimed that the following types of products should be excluded from the scope of the PUC under the present investigation on the basis of their technical superiority, price band and usage segments.

   i. **Non-Woven Loft**: It is manufactured using two raw materials, polypropylene and copolymer, unlike the normal non-woven fabric which is manufactured using only polypropylene.

   ii. **Non-Woven Dual:** It is manufactured using two raw materials, Poly-propylene and Polyethylene unlike the normal non-woven fabric.

iii. **Printed Non-woven:** It requires a separate printing technology to print directly on the non-woven products. Fibertex uses flexographic printing technology to print on product ranging from 8 gsm to 100 gsm.

Further, it is stated that the Domestic Industry does not produce these products. Therefore, Non- woven loft, Non- woven dual and Printed Non-woven should remain outside the scope of PUC under investigation.

C.3 Examination by the Authority:

10. No interested parties including domestic industry has submitted any fresh submission after fresh oral hearing conducted on 17th July' 2020 under the direction of Hon'ble CESTAT with regard to PUC and like product. However, the submissions made prior to the remand proceedings are taken for examination here under.

11. The product under consideration in the present investigation as per the initiation notification is *"Nonwoven fabric made of Polypropylene of GSM 25 or less".* The PUC had a dedicated HS code 5603 1100, however, it had been seen from Import data that imports are also taking place under other HS codes 5603 1200 etc. Therefore, the description of the product is determining factor for the purpose of this investigation and HS code is only indicative.

12. The petitioner request for distinction of PUC for hygiene application as against the other applications was considered but the Authority does not agree for such distinction. The subject goods for different applications are covered with in the scope of PUC and the like articles thereof.

13. The exporters request for exclusion of certain product type namely "non-woven loft", "non-woven dual" or "printed nonwoven" was considered but not agreed to by the Authority. This issue besides being raised at such belated stage of the investigation are also not substantiated properly with evidence. The descriptions given by the exporter are not scientific description or technical specifications. The exporter could be calling a certain product as non-woven loft and it may be known by some other description for other producers. The Designated Authority cannot consider exclusion without sufficient description and specifications.

14. The Authority notes that the first step in an antidumping investigation is determining the scope of the product under consideration. Having decided the scope of the product under consideration, the Domestic Industry is required to first identify like article to the product under consideration and then establish the scope of the Domestic Industry. Scope of the Domestic Industry can only be decided from amongst domestic producers of like article. After consideration of the submissions made by the Petitioner, the Authority had decided not to distinguish the subject goods on the basis of their usage or application as the implementation of such a distinction would be difficult and it will only complicate the outcome of the investigation. The Authority had decided the product specification or variants of the subject goods as already clarified to all the interested parties by the Authority in the initial stages of the investigation. The PUC is to be identified with respect to the GSM, treated/untreated (hydrophobic/hydrophilic) and spun bond/melt blown technology of manufacturing.

15. PCN was decided by the authority after taking into consideration the parameters like: GSM, polar characteristics, and, chemical treatment of different Non-woven fabric made of Polypropylene.

16. The Authority notes that the subject goods produced by the petitioner and the subject goods imported from the subject countries are like articles. Non-woven fabric produced by the Domestic Industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. Consumers can use and are using the two interchangeably. Both are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present

investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

17. The Authority considered the submission that neither the petitioner nor the foreign producers currently produce non-woven fabric below 8 GSM, nor it had been imported into India. Since the product is not being produced either by petitioner or by the foreign producers nor the product been imported in India, it would be appropriate to exclude the product below 8 GSM. However, in case the foreign producers develop this product and start exporting to India in future and the Domestic Industry also do so, the interested parties shall be entitled to seek review at that stage. Therefore, modification is required in the scope of the product under consideration for exclusion of such product type.

18. The Hon'ble CESTAT has not made any specific observations with regard to scope of product under consideration and like Article in its order dated 12th February 2020. The Authority further notes that none of the interested parties have raised any new issues with regard to the product under consideration and like article in the present remand proceedings.

19. In view of the above fact, the Authority therefore confirms its examination with regard to the product under consideration, and considers the PUC as "*Nonwoven fabric, made of Polypropylene, of 8 to 25 GSM".*

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the Domestic Industry

20. The submissions made by the Domestic Industry are as follows:

a. The petition is filed by M/s Global Nonwovens Limited who is the sole producer of the subject goods in Domestic Tariff Area (DTA) in India and no other producer in India with the production facilities to produce the subject goods.

b. Petitioner started commercial production in 2015 at Nashik, Maharashtra and dumping by exporting producers impeded the growth of the newly incorporated company. Petitioner suffered material injury to the extent of its production and sale in the market during the period of its existence.

c. The uniqueness and the technical differences of the product of the Petitioner make it stand apart from the products of the already established producers. Thus, the industry of non-woven fabrics for sanitary purposes in India was not established before, and the Petitioner remains the sole producer of the PUC and therefore material retardation applies.

d. There is one more producer called M/s Ahlstrom Fiber Composites India Pvt Limited, they have given their support letter. The company is situated in Special Economic Zone (SEZ), hence, manufactures primarily for the International market and caters a very small volume to the domestic market. Considering estimated sales of the SEZ unit in Indian market and taking it into account the total production of subject goods in India, the petitioner still accounts for major proportion of production of subject goods in India.

e. There are various other companies in India, who may claim to manufacture the subject goods; but the claim is not correct. Non-woven fabric produced by the petitioner and imported from subject countries are the same but materially different from the nonwoven fabric produced by these other Indian producers and the same can be verified from the fact that the subject goods are sold by the petitioner at much higher rate as compared to the non-woven fabric sold by these other Indian producers.

f. The SEZ unit sells very small amount to DTA. An SEZ can claim the status of DI only to the extent of its sale in the DTA. The fact that a producer inside a SEZ can make sales in the DTA does not mean it is established for that purpose. M/s Ahlstorm produces goods for health applications and Petitioner produces goods for hygiene and sanitary applications, thereby the products are different. Moreover, Ahlstrom group uses Wet laid technology and spunliad technology whose application is not in hygiene sector and total output of spunmelt is less than 12% of the total output. Therefore, M/s Ahlstrom should not be considered a producer of like articles.

g. M/s. Alpha Foam should not be considered as producer of like articles because of the difference in their products. The Petitioner produces a product with various technical and material differences from that of Alpha Foam. Also, Alpha Foam despite being an old producer does not sell to major consumers of the subject goods in India, whilst the Petitioner in the short span sells to several major consumers of the subject goods in India and Abroad.

h. The petitioner were provided with annual reports of number of these companies and on the same basis it was established that these companies in fact do not even have the manufacturing facilities and could not have been engaged in the manufacturing of the like article to the product under consideration referred in the petition and on which duty had been sought by the petitioner. Factual data being provided with respect to the producers who claim to produce the PUC showing why they should not be included as DI for the current PUC.

i. The petitioner fulfils the requirement of Domestic Industry, as prescribed under Rule 2 (b) of the Anti-dumping Rules, 1995 and eligible to be the Domestic Industry.

D.2 Submissions made by Producers/Exporters/Importers/Other Interested Parties

21. Submissions made by Producers/Exporters/Importers/Other Interested Parties are as follows:

a. The petitioner M/s. Global Non-woven, who claims to be the sole producer of the product under consideration lacks standing to initiate the present investigation but got the investigation initiated by misrepresentation.

b. The most important element of the Domestic Industry namely "major proportion" and "domestic producers as a whole" should be checked very closely. The claim of Major proportion cannot be accepted if the proportion is very low. At the same time domestic producers as a whole means all the domestic producers of the subject good should be included in the scope of the Domestic Industry and the same was held by the Appellate Body in the matter of *European Communities- Definitive Anti-Dumping measures on certain Iron and Steel Fasteners from China PR.*

c. The petitioner did not include all the domestic producers who constitute producers as a whole and this is sufficient ground that the investigation should be terminated or the scope of Domestic Industry should be altered and should include all the other domestic producers.

d. The claim of the petitioner of being the sole producer in DTA is patently untrue. Other domestic producers have been producing the like products since last many years. The domestic demand had been met by domestic producers like M/s. Fiberweb India, M/s. Alpha Foam, M/s. Surya Textech, along with imports. Data of the other domestic producers should be called and examined. The goods produced by these companies are exactly same as the products being manufactured by the petitioners.

e. Where an established industry exists, it is not open for each new entrant to claim material retardation. The petitioner cannot claim itself to be at nascent stage or developing stage after 10-15 years of commercial production by the other Indian producer. This cannot be a case of material retardation because of pre-existence of a producer in SEZ. The SEZ unit should be treated as the Domestic Industry. The Authority has done so in various cases in the past. There is other producer in SEZ unit which has DTA clearance and the DTA clearance unit should be treated as domestic production for the purpose of rule 2 (b) of the Anti-Dumping rules.

f. The applicant does not meet standing requirement enumerated in Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. The production share of the Petitioner is only 20.39% as per the calculations of the opposing interested parties which are based on a conservative assumption that all other Domestic producers are operating at only 30% of their respective capacities.

g. Domestic Industry's total output should constitute major proportion of the domestic production i.e. more than 51%. The petitioner failed to take into account the total production of the 29 producers mentioned in their petition who claim to make the product under consideration. One of those 29 producers named in the petition, M/s. Alpha Foam was present in the hearing. Alpha Foam increased its capacity from 3000 tonne per annum to

6000 tonne per annum. Also they mentioned that they have the capability of producing the Product under consideration from 10 GSM to 150 GSM. The importers M/s. Unicharm claimed that they have procured Non-Woven fabric of less than 25 GSM in India and that evidence shall be submitted by them to that effect. This fact clearly shows that the Product under consideration is being produced by other producers as well.

D.3 Examination by the Authority

22. The Application being filed by M/s. Global Nonwovens Limited claiming that the petitioner accounts for 100% of the production of the Product under consideration and the like product produced in Domestic tariff area (DTA in India. The petitioner provided information in the petition with regard to other producers but also mentioned that these producers are producing non-woven fabric but of different GSMs which cannot be used for hygiene and health applications. The petitioner reiterated their claim that the product produced by the petitioner is different than the product produced by other domestic producers in the market and there is a significant difference in the product properties and resultant prices of the product sold by the Domestic Industry and the other producers.

23. At the stage of initiation, and based on information on record, the authority considered that the product under consideration is produced in India only by the petitioner as far as production in DTA is concerned. Further, the product under consideration is produced by Ahlstrom Fibre Composites existing in SEZ and who subsequently supported the petition. The initiation was therefore based on a petition filed by M/s. Global Non-Woven on behalf of Domestic Industry.

24. Post initiation and during the hearing a number of interested parties have contended that the petitioner does not have a standing and there are a number of other producers who produced the product in the country. It also had been contended that since the product is being produced by a number of other producers in the country, the case cannot be initiated on the grounds that dumped imports are causing material retardation to the establishment of Domestic Industry. Prior to initiation, the Authority wrote to the Textile Commissioner's office seeking details of known producers of nonwoven fabric. However, no such details were made available to the Authority.

25. Further, it is noted that the petitioner neither imported the product under consideration, nor they are related to any importer or exporter of the product under consideration. None of the producers have responded to the initiation notification which was notified in the public domain on 15th June, 2016. Amongst various producers listed by the petitioner, M/s. Alpha Foam had filed submissions and also supported petition for imposition of antidumping duty.

26. Authority also sent communication to various importers and users in India. However, only M/s. Unicharm responded by filing questionnaire response. During oral hearing M/s. Unicharm claimed that there are other producers of the subject goods and they would furnish the evidence for the same. However, they have filed the submissions but without substantiating their claim with any documentary evidence regarding production/procurement of subject goods in India during the POI or the previous year. This indicates that there may not be other producers of the subject goods in India who may like to oppose or support the petition.

27. As far as inclusion of SEZ unit under the scope of Domestic Industry is concerned, the Authority notes that the SEZ units are set up with specific purposes and the focus of such unit is to cater to the demand of International market rather than focusing on domestic market.

28. On the basis of the definition of the product under consideration and like article, it is seen that only petitioner and M/s. Alpha Foam qualify as a domestic producers of the like article. M/s. Alpha Foam furnished information regarding their production and have also supported the petition. Therefore, Authority considered their production for calculating the total production of subject goods in India and after taking it into account, the petitioner still accounts for major proportion of production of subject goods in India.

29. Since the production of the petitioner accounts for "a major proportion" in the total production of the product under consideration in DTA in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of AD Rules.

30. The Hon'ble CESTAT has not made any specific observations with regard to scope of domestic industry and like Article in its order dated 12th February 2020. The Authority further notes that none of the interested parties have raised any new issues with regard to the scope of domestic industry and standing in the present remand proceedings

E. CONFIDENTIALITY

The Hon'ble CESTAT has not made any specific observations with regard to the issue of confidentiality of information in its order dated 12th February 2020. Submissions made by the domestic industry and the other interested parties during the investigations including the Post-remand are noted herein.

E.1 Submissions made by the Domestic Industry

31. Submissions made by the domestic industries are as follows

a. The questionnaire responses submitted by the exporters/importers has no information available. They have claimed excessive confidentiality.

b. Most of the information has been claimed confidential and some of them have filed blank formats.

c. The submissions filed by them are beyond comprehension and the petitioner is not in a position to give any comment on that.

d. All requirements under Rule 7 are fulfilled and there is no instance pointed out when the Petitioner did not provide the data.

e. Confidentiality claimed is as per the practice permitted by the Designated Authority. Costing information Needs confidentiality as it constitutes highly business proprietary information of the petitioner.

f. The interested parties and the exporters themselves have claimed excessive confidentiality themselves and this argument is only used to shy away with that fact.

g. The main objective of such a demand by the exporters is to procure sensitive and confidential business information with regards to costing of the PUC in India, since the exporters wish to establish production of PUC in India. The exporters very well know that if they do not dump goods in India, the Petitioner shall establish itself and capture the domestic market.

E.1.1 Post-Remand Submissions made by the Domestic Industry

a. The domestic industry is participating in the investigation without access to those information and documents that the Designated Authority intends to rely/adopt in the investigation.

b. The Authority should inform about submissions of interested parties for which no non-confidential version is provided.

c. Copy of producer/exporter verification report, communication from Authority, replies filed by interested parties, break up of NIP, normal value and export price determination for non-cooperating producer/exporter, actual dumping margin and actual data adopted for injury analysis should be provided to the domestic industry so that the domestic industry can provide its comments.

E.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

32. Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties are as follows:

a. Excessive confidentiality has been claimed by the petitioner, therefore, it is impossible to understand injury on various parameters.

b. Parameters prescribed in format B, CI and CII, D and E have been entirely claimed confidential.

c. Proforma IV A and IV B is either not provided or have entirely been claimed confidential. This includes average selling price for Malaysia, Indonesia and Saudi Arabia.

d. The petition clearly violates the requirements specified in Rule 7 of the Customs Tariff Act.

e. Any information cannot be kept confidential only because the party claims it confidential as was decided in the case of *Sterlite Industries (India) Pvt Ltd V Designated Authority , 2003 (158) ELT 673.*

E.2.1 Post-Remand Submissions by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

a. The domestic industry has access to all the non-confidential submission of interested parties filed during the original investigation because the Authority maintained public file at the time of original investigation for inspection by interested parties.

b. The non-confidential version of submissions filed by interested parties should be provided to other interested parties as per the consistent practice of the Authority. The verification report issued to the producer/exporter is not disclosed to the domestic industry and vice-versa as per the consistent practice of the Authority.

E.3 Examination by the Authority

33. The Hon'ble CESTAT has not made any observation with respect to the confidentiality of information in the final findings by the authority dated 2nd September 2017. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows: -

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

34. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file during the original investigation and through e-mail communication during the remand proceedings.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submissions made by the Domestic Industry

35. **The following are submissions made by the domestic industry**

a. It is not specified that which part of the petition does not provide sufficient understanding.

b. The product of the Petitioner has been approved by a large no. of consumers and if all the demand of such consumers is combined, the petitioner would be able to achieve more than 80% capacity utilization, which is currently unable to establish itself in the domestic market because of the dumped imports.

c. Projections in the presentation submitted to NSE were on the basis of consideration that Govt. of India shall impose interim AD duties on such dumped imports. As against the projections, the Petitioner has suffered actual and significant losses in 2016-17

d. All the relevant information was provided in the petition and the Authority initiated the Investigation only after sufficient prima-facie evidence.

e. Merger with Jindal Polyfilms Ltd will not change the legal status of the Petitioner which shall affect the current investigation as the Petitioner who was earlier 61% owned subsidiary becomes a wholly-owned subsidiary of the same group. Moreover, legal status is not relevant to an Anti-Dumping investigation, as can be clearly suggested from the Application Performa.

F.1.1 Post-Remand Submissions made by the Domestic Industry

a. Claims made by the producers/exporters regarding export volume and price do not corroborate with the customs data. The Authority should verify information provided by the exporters/producers with the DG Systems data.

b. Domestic industry has suffered injury in the post POI period despite increase in production and sales in the domestic market.

F.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

36. **The following are submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties:**

a. The present petition is in violation of Trade notice 2/2004 dated 12th May 2004. There is a gap in information for 3 month viz. April 15-June 15. This is illegal and an investigation cannot be initiated on the basis of this data.

b. An updated petition with supporting analysis of updated petition has not been filed. Petitioner has submitted only updated data annexures to the petition and not the updated petition. The petition is incomplete and information such as part VI of the petition was not filed along with the petition.

c. The petition must be terminated in absence of supporting evidences. The petition does not contain information with regard to Normal Value, Export Price, Injury and Causal link.

d. There is insufficient analysis of the fact in the petition. Costing information is missing and other information filed is grossly deficient**.** The data provided by the petitioner is full of error and inconsistencies. The data is confusing and unreliable and does not seem to have any adequacy or accuracy. The data is misleading and misrepresented.

e. The petition has errors such as annualized figures are inflated. The comparative deficiencies in the correct figures of annualization and petitioner's figures are massive. Annualized figures are not even filled by the petitioner. Percentage calculated by the petitioner is also incorrect.

f. The petitioner has claimed negative ROI, whereas, the profit constantly remained positive. Such contradictory figures cannot co-exist. .

g. Presentation of Jindal Polyfilm submitted to NSE and explained how well the company has performed.

h. The applicant did not disclose the fact of merger with Jindal Poly Film Ltd and the same has led to change in legal status of the petitioner. The same is to be taken into consideration while determining injury.

F.2.1 Post-Remand Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

37. Domestic Industry comprised of M/s. Global Nonwovens Limited at the time of original investigation. After the issuance of final findings, Ktex Nonwovens & Toray Industries India Pvt Ltd have also started production. Due to increase in domestic supply, imports from

Malaysia have declined by almost 50% in last three financial years. Therefore, the claim of the domestic industry regarding material retardation to the establishment of domestic industry is not established.

F.3 Examination by the Authority

38. As regards the argument of the responding parties that the petition is deficient and therefore the investigation needs to be terminated, the Authority notes that the present investigation was initiated on the basis of duly documented petition, containing sufficient prima facie evidence showing dumping, injury and causal link. There was sufficient evidence to justify the initiation of the investigation in accordance with the Act and Rules. The Authority has also called for additional information wherever required and verified the information furnished by the Domestic Industry.

39. It is a settled position that the initiation of an investigation is based on sufficient prima facie evidence and the petition need not contain all such information and evidence as is required for making a final determination. An investigation is a process where quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses. The final determination is required to be based on the information made available by the Domestic Industry and other interested parties after proper examination and verification by the Authority. At the stage of initiation, the Authority relies only upon the information provided in the petition and the petitioner cannot be expected to provide information beyond what is reasonably available to it. The methodology for normal value used at the time of initiation recedes in the background and has no bearing on the outcome of the case. The Authority has made determination on the basis of questionnaire responses filed by the foreign producers/exporters.

40. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st July 2015 to 31st March 2016 (9 months) considering that the Petitioner has commenced trial production in March 2015 and commercial production in July 2015 only. However, the injury analysis has been carried out on the basis of quarter to quarter comparison of actual performance and projected estimates/targets.

41. As regards the contention that the petition is incomplete and information such as part VI of the petition was not filed along with the petition, it is clarified that the petition contains relevant costing information. Since the information constitutes confidential business information of the petitioner, the petitioner has claimed confidentiality on the same.

42. As regards submissions concerning disclosure of costing information, the Authority notes that the costing information is in the nature of confidential business proprietary information not amenable to summarization and the same has been consistently allowed as confidential information. In fact, both the Domestic Industry and the foreign producers have claimed confidentiality on costing information. Further, the authority has been accepting claim of confidentiality on costing information.

43. The project report of the petitioner is confidential business sensitive information concerning the business operations of the petitioner and therefore could not have been disclosed in the non-confidential version. As far as the samples of products are concerned, the petitioner has not claimed any confidentiality on the same and these samples have been placed in the public file. In fact, petitioner has sent its product samples to number of consumers in the country and it is without any basis that the confidentiality has been claimed by the petitioner on samples.

F.3.1 Post-Remand Examination made by the Authority

44. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and also to DG Systems, to arrange for details of import data of subject goods for the past three years, including the period of investigation. The exporters' data to the extent relevant was verified during on spot verifications conducted by the Authority. The Authority has, therefore, relied upon the DGCI&S data and the detailed information submitted by cooperative exporters for computation and required analysis.

45. In view of short history of the petitioner, performance of the Domestic Industry has also been considered in the period after investigation period. It is noted in this regard that the authority

has been considering post POI performance in review cases and in fresh cases involving threat of material injury and material retardation to the Domestic Industry. Thus, the performance of the Domestic Industry for the period Apr-Dec 2016 has also been examined and considered in order to determine whether the dumped imports caused injury to the Domestic Industry.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.

G.1 Normal Value and Market Economy status for China PR

46. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

47. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers/exporters filed exporter's questionnaire (EQ) response in the present investigation.

Sl. No.	Country	Company	Status
1	China PR	Toray Polytech (Nantong) Company Limited,	Producer
2	China PR	Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co.,Ltd	Producer
3	Indonesia	Toray Polytech Jakarta,	Producer
4	Malaysia	Fibertex Personal Care SDN BHD,	Producer
5	Saudi Arabia	Saudi German Co. For Nonwoven Products	Producer
6	Thailand	Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd	Producer
7	Thailand/India	Itochu Thailand Limited & Itochu India Limited	Exporter/Importer

48. Hon'ble CESTAT has not made any specific observation regarding the market economy status, normal value, export price and dumping margin related determination of the Authority for any subject country specifically. However, the Hon'ble CESTAT has generally observed that positive dumping margin was determined in the disclosure statement but the final findings were contrary to the disclosure statement.

49. CESTAT has observed that the Designated Authority in its final findings has recorded that there was an inadvertent error in the disclosure statement with respect to the calculation of dumping margin in some cases, which were corrected, but there is no explanation as to what the said inadvertent error was and how it was corrected.

50. Specific claims made by the domestic industry and other interested parties during the present remand investigation regarding normal value, export price and dumping margin determination are noted below

G.1.1 Submissions by Domestic Industry

51. Submissions by Domestic Industry are as follows:

a. The product follows a pricing formula, where a proper pricing mechanism is followed for quality check and only after the required approval; the goods are eligible for commercial transaction. Product is primarily sold on the basis of pricing formula.

b. Except Malaysia and Indonesia, most of the producers sell the product on quarterly pricing basis. Malaysia and Indonesia are exporting the subject good to India on 6 months agreement with customers and accordingly prices are determined on 6 months pricing formula.

c. Producers from Thailand, China and Saudi Arabia are exporting the subject goods to Indian customers following 3 months pricing mechanism and further the prices are determined considering input prices of 1st Jan to 30th June for supplies made from 1st July to 31st December and input prices from 1st July to 30th Sept for supplies to be made from 1st Oct to 31st Dec respectively. In such a situation it is important to keep these factors into consideration while determining the Normal value for the subject countries except China PR.

d. China is a Non Market economy even after 11th December, 2016. China is not being treated as Market Economy by countries like EU and USA who are members of WTO. China is still being treated under a non-market economy situation.

e. In India also, the Designated Authority has treated China as non-market economy. The Designated Authority has treated China as non-market economy in practically all the investigations initiated against China after the amendment dated 31st May, 2002. AD Rules have prescribed certain conditions that have to be satisfied in order to establish the claim of market economy treatment. It is to be noted that each and every condition must be fulfilled by an intending exporter in order to claim market economy treatment.

f. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.

g. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values and their books are audited in line with international accounting standards. Both the parameters must be satisfied for granting Market Economy status.

h. It is not for the Authority to establish that the responding companies are operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. But it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

i. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.

j. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

k. In the present case, Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.

l. Efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Malaysia, Indonesia, Thailand and Saudi Arabia. Efforts were also made to get price lists or quotations of producers of subject goods in Malaysia, Indonesia, Thailand and Saudi Arabia.

m. Since the product under consideration is produced by few producers and sold to few consumers, there is no publicly available information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Malaysia, Indonesia, Thailand and Saudi Arabia.

n. Petitioner has determined normal value considering constructed value approach.

o. The Petitioner agrees to adjustments to segregate losses by start-ups but only till the extent of determination of Normal Value and not Injury Margin and NIP.

p. There is significant difference in cost and price of the fabric produced using different process.

G.1.2 Post-Remand Submissions by Domestic Industry

52. **The following are the post remand submissions of the domestic industry**

a. Determination of the Authority regarding de-minimis dumping margin in the final findings has been reversed by the Hon'ble CESTAT. Hon'ble CESTAT has held that positive dumping margin determined in the disclosure statement is correct.

b. The Authority completely ignored the specific finding of the Hon'ble CESTAT that PCN wise analysis would be applicable only in case of cooperative exporters and not for the non-cooperative/residual category.

c. Adverse inference should be drawn against non-cooperating producers/exporters because they have withheld information. Dumping margin for non-cooperating producers/exporters should be determined based on the highest normal value and lowest export price without following PCN to PCN comparison methodology. In previous findings of anti-dumping investigations, the Authority has determined highest dumping margin by comparing highest normal value with lowest export price. The Authority does not take information on record regarding the PCNs sold by the non-cooperating producer/exporters and therefore the Authority cannot determine dumping margin based on PCN to PCN comparison.

d. Questionnaire response of producer/exporter form Malaysia, M/s. Fibertex Personal Care Sdn. Bhd., has been rightly rejected by the Authority as unreliable. The findings of the Authority were not challenged by the exporter in the Appeal and therefore they have attained finality. In any case, the producer/exporter has not provided timely information and the information has been suppressed. Therefore, their response cannot be accepted.

G.2 Submissions made by other interested parties

53. Submissions made by Exporters, Importers, users and other Interested Parties are as follows:

a. Petitioner has failed to calculate an appropriate Normal value. Normal Value has been completely redacted and claimed confidential.

b. The data is impossible to read and cannot be analysed at all.

c. Normal Value cannot be constructed for market economy countries, viz. Thailand, Saudi Arabia, Indonesia and Malaysia. These countries are market economy for which normal value cannot be construed based on the standard consumption norms of the petitioner or conversion cost, selling general and administrating expenses as per Domestic Industry. Normal value constructed for Thailand, Malaysia, Indonesia and Saudi Arabia should be rejected.

d. Toray Polytech Nantong (TPN), China PR may be treated as market economy. Over 100 WTO countries have given market economy status to China PR and during the last 30 years China PR has accomplished complete market economy status. Toray Polytech Nantong, China PR, (TPN) has duly responded to MET Questionnaire and provided sufficient information to rebut the non-market economy presumption. TPN satisfies the criteria for market economy which is laid down in Law. In the present case TPN is not a state owned company and the company operations are strictly being followed in line of market economy situation, all the decisions are taken by TPN, independently. Accordingly, TPN should be treated as market economy and the Authority has done so in various cases in past such as

CFL from China and Hong Kong, 2002, Copper Clad laminates from China, Chinese Taipei, Hong Kong, South Korea, Singapore, Philippines and Thailand, 2003, Borax Decahydrate from China, 2003 etc.

e. Alternatively, they have suggested that Indonesia be considered as surrogate country for Toray Polytech Nantong. Both TPJ and TPN are part of the Toray Group and both are co-operative producers/Exporters in this investigation. Both are related entities situated in different countries namely Indonesia and China respectively.

f. In the updated information filed by the petitioner, every figure is redacted and not even totals are supplied in the petition. Also, the constructed normal value is redacted and not even provided it as a range.

g. Segregate losses by start-up and appropriate adjustments should be done for determining the normal value.

h. The basis for adopting cost was adduced by the petitioner and the same is a clear violation of the evidentiary requirement under the WTO ADA.

G.2.1 Post-Remand Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

54. Following are submissions made by other interested parties

a. The domestic industry raised all the claims regarding the incorrectness of dumping margin before the Hon'ble CESTAT in appeal. However, the argument of the domestic industry in appeal before the Hon'ble CESTAT regarding the incorrectness of dumping margin per se has not been accepted. Determination of dumping margin by the Authority for producers/exporters from subject countries has not been held as incorrect by the Hon'ble CESTAT.

b. Hon'ble CESTAT has merely observed that the final findings did not contain adequate explanation regarding the 'inadvertent error' found in the dumping margin disclosed in the disclosure statement. Authority should disclose the methodology applied for determining de-minimis dumping margin for producers/exporters clearly in the disclosure statement and the final findings.

c. If the Hon'ble CESTAT wanted the Authority to determine existence of dumping, it would have clearly observed that the assessment of the Authority in the final findings regarding determination of dumping is incorrect. In several previous decisions, the Hon'ble CESTAT has clearly observed that the assessment of the Authority regarding a particular aspect of the investigation is incorrect and is required to be reversed.

d. Authority adopted PCN methodology in this anti-dumping investigation. Therefore, PCN to PCN comparison methodology should be used for determining dumping margin for all producers/exporters including non-cooperating producers/exporters. This is in accordance with the consistent practice of Authority to determine dumping margin based on PCN to PCN comparison when PCN methodology is adopted. Dumping margin based on PCN to PCN comparison is required to fulfil the legal requirement of 'fair comparison' between normal value and export price under the Anti-dumping Rules and the WTO Anti-dumping Agreement.

e. Producer/exporter from Malaysia, M/s. Fibertex Personal Care Sdn Bhd., filed questionnaire response and provided complete information. Therefore, the Authority should consider M/s. Fibertex Personal Care Sdn. Bhd. as co-operating producer/exporter. Hon'ble CESTAT has also specifically granted liberty to the Authority to reconsider the status of M/s. Fibertex Personal Care Sdn. Bhd.

f. Petition filed by the domestic industry itself provided PCN wise information by providing separate normal value for different types of products. If PCN by PCN comparison was not required while determining dumping margin based on facts available, then there was no requirement for the domestic industry to provide information in the petition regarding normal value based on different PCNs.

g. Even when PCN methodology is not adopted, the Authority does not use highest normal value and lowest export price if there is no cooperating producer/exporter from the subject country. All the anti-dumping investigations relied upon by the domestic industry to claim that Authority determines dumping margin for non-cooperating producers/exporters based on highest normal value and lowest export price are examples of investigations wherein at-least one producer/exporter from the concerned subject country participated and there was a requirement to create difference in the dumping margin of cooperating exporter and non-cooperating exporter. If M/s. Fibertex Personal Care Sdn. Bhd. is treated as non-cooperating producer/exporter, there will be no cooperating producer/exporter from Malaysia whose highest normal value and lowest export price can be adopted. Therefore, the claim of the domestic industry regarding the use of highest normal value and lowest export price for determining dumping margin for non-cooperating producer/exporter is not applicable to Malaysia for this reason as well.

h. Rejection of questionnaire response of M/s. Fibertex Personal Care Sdn. Bhd. by the Authority on two grounds mentioned in the final findings was incorrect. The fact of Indian office was never suppressed by the Respondent and the same was disclosed in the questionnaire response. Regarding mismatch between sales quantity reported in Kgs in the questionnaire response and sample invoice, it is to be noted that the accounting records are maintained by the Respondent on the basis of the "square meter" since the product is a fabric. Invoicing and pricing for the product are also based on square meter. In any case, M/s. Fibertex provided revised and corrected figures in KGs along with its comments on disclosure and the same are also provided again to the Authority.

i. As per Article 6.3 of the WTO Anti-dumping Agreement, "cooperation" is indeed, a two-way process involving joint effort. Annex II to Article 6.8 of WTO Anti-dumping Agreement provides that even though the information provided by M/s. Fibertex Personal Care Sdn. Bhd may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability.

j. M/s. Fibertex Personal Care Sdn. Bhd has acted to the best of its abilities in providing complete response. If Authority believes that there is any deficiency in the response or that it requires further clarification, the Authority can request further information and clarification by issuing deficiency letter. In other anti-dumping investigations, the Authority has granted opportunity to interested parties to submit further information after the initial date of filing of questionnaire response has passed.

k. The decision of Hon'ble CESTAT does not impact the dumping margin determination for Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., Thailand, Itochu (Thailand) Ltd., Thailand, and Itochu India Pvt. Ltd., India because in the disclosure statement as well as in the final findings issued by the Authority, there was no change in the dumping margin.

l. Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics, China PR was the only participating producer and exporter from China PR for whom DGTR found and calculated negative dumping margin. There was no change in the final findings from the disclosure statement issued by the authority regarding dumping margin for Hubei Gold Dragon Non-woven Fabrics, China PR.

m. Arguments of the domestic industry only target the DM and IM of residual category and requesting adverse inference to be drawn on residual category.

G.3 Examination by Authority

55. Upon initiation of the original investigation, the Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers/exporters filed exporter's questionnaire (EQ) response in the present investigation:

SN	Country	Company	Status
1	China PR	Toray Polytech (Nantong) Company Limited,	Producer
2	China PR	Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co.,Ltd	Producer
3	Indonesia	Toray Polytech Jakarta,	Producer
4	Malaysia	Fibertex Personal Care SDN BHD,	Producer
5	Saudi Arabia	Saudi German Co. For Nonwoven Products	Producer
6	Thailand	Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd	Producer
7	Thailand/India	Itochu Thailand Limited & Itochu India Limited	Exporter/Importer

56. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested the Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information.

57. The Authority notes that barring Toray Polytech (Nantong) Company Limited, none of the producers and exporters of the subject goods from the subject countries have submitted the market economy treatment questionnaire response, consequent upon the initiation notice issued by the Authority for rebutting the non-market economy presumption. However, the Authority has not granted them market economy status on account of non fulfilment of conditions prescribed in Rule 8 (Para 8 (3) of Annex I).

58. In view of the fact that none of the producers/exporters are entitled for MET status and further, none of the interested parties, including the Domestic Industry, has made available any material fact to the Authority to select an appropriate market economy third country, the Authority has determined the normal value in respect of China PR on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

59. In view of the above, the normal value for the subject goods imported from China into India has been determined on the "any other basis" by considering best available information with regard to cost of production and after reasonable additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin. The normal value has been constructed considering consumption of major raw materials as per information provided by the Domestic Industry, international prices for major raw materials, conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the Domestic Industry. Further, 5% of cost of sales has been added towards reasonable profit.

60. As regards the producers and exporters from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia are concerned, the Authority has relied upon the data furnished by the co-operative producers and verified to the extent possible.

61. The Authority has considered PCN wise analysis for determination of dumping margin to ensure apple to apple comparison.

62. After examining the submissions of interested parties, in the instant case, the Authority has considered lowest net export price for the PCN imported from the country concerned where cooperation has been received from the exporters, and its corresponding normal value of the same PCN to determine dumping margin for non-cooperating exporters of that country. Where, no cooperation has been received from any producer and exporter from subject country, weighted average of the constructed normal value and net export price of total import from that country as per DGCI&S data is considered for determining dumping margin.

(I). CHINA PR

TORAY POLYTECH (NANTONG) COMPANY LIMITED ("TPN") CHINA PR

Normal Value

63. The Authority notes that the Toray Polytech (Nantong) Company Limited, China PR had claimed market economy treatment but the same has not been granted by the Authority in view of non-fulfillment of conditions prescribed in terms of Para 8(3) of Annexure 1 to the Anti-Dumping Rules. Further their request for considering Indonesia as surrogate country was considered, however the same has been rejected by the Authority because the various Indonesian producer does not produce and supply all the relevant product types (PCNs) as manufactured and sold by the Chinese producers. Therefore the purpose of taking comparable data will not be served. Hence, the Designated Authority is left with no alternative but to determine normal value estimated on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Constructed Normal value at ex-factory level has been calculated PCN wise for fair comparison with the export price for the comparable PCN.

. **Export price**

64. M/s. Toray Polytech (Nantong) Company Limited ("TPN"), is a Producer/Exporter of subject goods from China PR and has exported subject goods to India directly during the POI. The sales to India are on CIF basis and details of the quantity and specifications have been furnished in Appendix 2 of the Questionnaire response. The producer/exporter has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, marine insurance and credit and same have been allowed after due verification. The ex-factory price has been calculated PCN Wise for fair comparison.

Dumping Margin

65. The Authority has calculated dumping margin by doing a PCN to PCN comparison for each PCN exported to India. Thereafter, the authority has calculated weighted average dumping margin for the producer/exporter as a whole. The weighted average Constructed Normal value (CNV), Net export price (NEP), and dumping margin for all the PCNs exported to India are mentioned in the table below.

HUBEI GOLD DRAGON NONWOVEN FABRICS CO. LTD, CHINA PR

Normal Value and Export Price

66. M/s. Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co., Ltd. is a Producer/Exporter of subject goods from China PR and has exported subject goods to India directly during POI. They have not filed MET questionnaire responses and not asked for MET status. The sales to Indian customer is on CIF basis and for final determination of Net Ex-factory Export price, the exporter has claimed adjustments on account of handling, inland transportation, overseas transportation, insurance, credit and bank charges and the same have been allowed after due verifications. The ex-factory price has been calculated PCN wise for fair comparison. The normal value has been constructed on the basis of facts available under Rule 6(8) of the Antidumping Rules.

Dumping Margin

67. The Authority has calculated dumping margin by doing a PCN to PCN comparison for each PCN exported to India. Thereafter, the authority has calculated weighted average dumping margin for the producer/exporter as a whole. The ex-factory price has been calculated PCN Wise for fair comparison. The weighted average CNV, NEP and dumping margin for all the PCNs exported to India are mentioned in the table below

Normal Value and Export Price for all other Producers and Exporters from China PR

68. For other producers/exporters from China who have not participated/co-operated in this investigation, the normal value and export price is determined on the basis of best facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules. The normal value at ex-factory level has been compared with the ex-factory export price for the same PCN while calculating the

dumping margin for all other producers/exporters from China PR. For this purpose, Authority took into consideration PCN with the lowest export price and compared it with the constructed normal value for the same PCN. At the time of issuance of the disclosure statement in the original investigation, the Authority inadvertently disregarded PCN methodology and compared highest normal value with the lowest export price of the co-operating exporter to determine dumping margin for all other producers/exporters. This inadvertent error was corrected in the final findings. When PCN methodology is adopted in an investigation, it is the consistent practice of the Authority to determine dumping margin for all other producers/exporters based on PCN wise comparison to ensure fair comparison between constructed normal value and export price.

Sr. No.	Producer/Exporter	Constructed Normal Value	Export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
		US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	
1	Toray Polytech (Nantong) Company Limited ("TPN")	***	***	***	***	5-15
2	M/s. Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co. Ltd.	***	***	***	***	(0-10)
3	All other	***	***	***	***	15-25

(II). INDONESIA

M/S. TORAY POLYTECH JAKARTA. PT ("TPJ")

Normal Value

69. M/s. Toray Polytech Jakarta. PT ("TPJ"), is a Producer/Exporter of subject goods from Indonesia has large domestic sale of the subject goods. In the domestic market it has sold 100% of the subject goods to Non-affiliated parties. The 80/20 test has been conducted and more that 80% transactions are profitable. The producer/exporter has claimed adjustment on account of inland freight to customer, inland freight and credit expenses and same have been allowed after due verification. Accordingly, the Normal value at ex-factory level has been calculated PCN wise for fair comparison with the export price for the comparable PCN.

Export Price

70. M/s. Toray Polytech Jakarta. PT ("TPJ") has exported subject goods to India directly during the POI. The sales to Indian customer are on FOB /C &F basis. They have claimed adjustments on account of inland freight, other expenses, ocean freight, credit expenses and bank charges and same have been allowed after due verification. The ex-factory price has been calculated PCN Wise for fair comparison.

Dumping Margin

71. The Authority has calculated dumping margin by doing a PCN to PCN comparison for each PCN exported to India. Thereafter, the authority has calculated weighted average dumping margin for the producer/exporter as a whole. The weighted average NV, NEP and dumping margin for all the PCNs exported to India are mentioned in the table below.

Normal value and Export price for all other producers and exporters of Indonesia

72. For other producers/ exporters from Indonesia who have not participated / co-operated in this investigation, the normal value and export price for other exporters has been determined on the basis of best facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules. The normal value at ex-factory level has been compared with the ex-factory export price for the same PCN while calculating the dumping margin for all other producers/exporters from Indonesia. For this purpose, Authority took into consideration PCN with the lowest export price and compared it with the normal value for the same PCN. At the time of issuance of the disclosure statement in

the original investigation, the Authority inadvertently disregarded PCN methodology and compared highest normal value with the lowest export price of the co-operating exporter to determine dumping margin for all other producers/exporters. This inadvertent error was corrected in the final findings. When PCN methodology is adopted in an investigation, it is the consistent practice of the Authority to determine dumping margin for all other producers/exporters based on PCN wise comparison to ensure fair comparison between normal value and export price.

Producer	Normal Value US$/MT	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
		US$/MT	US$/MT	%	
M/s. Toray Polytech Jakarta. PT Indonesia,	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)
All others	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)

(III). MALAYSIA

FIBERTEX PERSONAL CARE SDN BHD ("Fibertex")

Normal value and export price

73. During the POI, Fibertex has sold the subject goods in the domestic market and also exported to India directly. They had submitted detailed response annexing all the relevant appendices. The verification of the data was carried out in a table study with the assistance of legal counsel of the exporter. There were various deficiencies in the documentation which were duly informed to the legal representative. They had furnished the information as asked for. The analysis has shown that the quantum of sales to India (in kgs) as given in the appendix 2 are not matching with the sample invoices provided for verification. The examination of the data/documents also revealed that they had not disclosed the complete information. In fact, there appeared to be a deliberate attempt on the part of the exporter to suppress information particularly with regard to the existence of India office.

74. Fibertex has submitted that the fact regarding existence of India office has been disclosed in their questionnaire response. Fibertex also notes that quantity reported in 'square meter' were matching with the quantity reported in invoice. The Authority has verified the claims and information provided by Fibertex. The Authority notes that Fibertex disclosed information regarding existence of branch office in India in its questionnaire response. However, the Authority notes that actual quantity in Kgs reported in Appendix 2 of the questionnaire response did not match with the sample invoices provided for verification. It has been claimed by Fibertex that correct quantity in Kgs was submitted to the Authority along with disclosure comments filed at the time of original investigation. The Authority notes that submission of correct information at such a belated stage of disclosure comments is not correct on the part of Fibertex. Therefore, the authority considers it appropriate to reject the response filed by Fibertex.

75. Accordingly, the normal value and export price for exports from Malaysia has been determined on the basis of best facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules. The weighted average normal value at ex-factory level for all producers and exporters has been calculated based on facts available i.e. as per the information provided by domestic industry. Similarly, the weighted average export price has been calculated for all export transactions for fair comparison. At the time of issuance of the disclosure statement in the original investigation, the Authority inadvertently did not include all export transactions to determine weighted average export price from Malaysia. The Authority identified export volume with lowest export price from Malaysia for determining the ex-factory export price. This volume of export represented only 24% of total exports from Malaysia. This inadvertent error was

corrected in the final findings. When there are no cooperating producers/exporters from a subject country, it is the consistent practice of the Authority to consider all export transactions for determining dumping margin. The constructed normal value, net export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject goods so determined is as follows:

Producer/ Exporter	Constructed Normal Value	Export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
	US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	
All producers / exporter	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)

(IV). SAUDI ARABIA

SAUDI GERMAN CO. FOR NONWOVEN PRODUCTS ("Saudi German") Normal value

76. During the POI, M/s. Saudi German has sold the subject goods in the domestic market. All sales in the domestic market were made to non-affiliated parties during the POI. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. The 80/20 test has been conducted and more that 80% transactions are profitable. Therefore, the Authority has considered all domestic sales for the determination of the normal value. Saudi German producer/ exporter has claimed adjustment on account of Inland Freight & credit cost. However, the invoices shown for verification mention freight as zero, therefore, adjustments on account of inland freight has not been accorded. Accordingly, the PCN wise Normal value at ex-factory level has been calculated for fair comparison with the export price for the comparable PCN

Export price

77. M/s. Saudi German has exported the subject goods to unrelated parties in India as per details given in Appendix 2. Saudi German had claimed the adjustments on account of inland and overseas freight, insurance, and credit cost. The Authority has verified the details of exports to India and various adjustments claimed by Saudi German in a table study.

Dumping Margin

78. The Authority has calculated dumping margin by doing a PCN to PCN comparison for each PCN exported to India. Thereafter, the authority has calculated weighted average dumping margin for the producer/exporter as a whole. The weighted average NV, NEP and dumping margin for all the PCNs exported to India are mentioned in the table below.

Normal value and Export price for all other producers and exporters of Saudi Arabia

79. For other producers/ exporters from Saudi Arabia who have not participated / co-operated in this investigation, the normal value and export price for other exporters has been determined on the basis of best facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules. The normal value at ex-factory level has been compared with the ex-factory export price for the same PCN while calculating the dumping margin for all other producers/exporters from Saudi Arabia. For this purpose, Authority took into consideration PCN with the lowest export price and compared it with the normal value for the same PCN. At the time of issuance of the disclosure statement in the original investigation, the Authority inadvertently disregarded PCN methodology and compared highest normal value with the lowest export price of the co-operating exporter to determine dumping margin for all other producers/exporters. This inadvertent error was corrected in the final findings. When PCN methodology is adopted in an investigation, it is the consistent practice of the Authority to determine dumping margin for all other producers/exporters based on PCN wise comparison to ensure fair comparison between normal value and export price.

Producer	Normal Value	Export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
	US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	
Saudi German Co. For Nonwoven Products	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)
All others	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)

V. THAILAND

M/S. ASAHI KASEI SPUNBOND (THAILAND) CO., LTD., ("AKST")

Normal Value

80. M/s. Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., ("AKST"), is a producer of subject goods from Thailand and has exported subject goods to India through M/s. Itochu(Thailand) Limited, Thailand, who then further exported subject goods to India through M/s. Itochu India Pvt. Ltd., India during the POI. M/s. Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co. Ltd., ("AKST"), has filed complete Exporters Questionnaire response, along with exporters/traders namely M/s. Itochu (Thailand) Limited, Thailand and M/s. Itochu India Pvt. Ltd., India (Exporters/Traders). The same has been considered for final determination. M/s. Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., ("AKST"), has domestic sales and they have sold 100% of subject goods to Non-affiliated parties of different PCN. The 80/20 test have been conducted and the sales are more than 80% profitable. Therefore, the Authority has considered all domestic sales for the determination of the normal value. The producer has claimed adjustment on account of inland freight to customers' warehouse and credit expenses and same have been allowed. Accordingly, the Normal value at ex-factory level has been calculated PCN wise for fair comparison with the export price for the comparable PCN.

Export Price

81. M/s Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., ("AKST) has exported subject goods to India through M/s Itochu(Thailand) Limited, Thailand, who then further exported subject goods to India through M/s Itochu India Pvt. Ltd., India (Exporters/Traders) to M/s Unicharm India Private Limited, India during the POI. The sales to Indian customer are on CIF basis and for final determination total quantity exported to India has been considered. The producer & exporters have claimed adjustments on account of ocean freight, customs expenses, ocean insurance and credit expenses on grades/PCN's wise and same have been allowed. The ex-factory price has been calculated PCN wise for fair comparison.

Dumping Margin

82. The Authority has calculated dumping margin by doing a PCN to PCN comparison for each PCN exported to India. Thereafter, the authority has calculated weighted average dumping margin for the producer/exporter as a whole. The weighted average NV, NEP and dumping margin for all the PCNs exported to India are mentioned in the table below.

Normal value and Export price for all other producers and exporters

83. For other producers/ exporters from Thailand who have not participated / co-operated in this investigation, the normal value and export price for other exporters has been determined on the basis of best facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules. The normal value at ex-factory level has been compared with the ex-factory export price for the same PCN while calculating the dumping margin for all other producers/exporters from Thailand. For this purpose, Authority took into consideration PCN with the lowest export price and compared it with the normal value for the same PCN. At the time of issuance of the disclosure statement in the original investigation, the Authority inadvertently disregarded PCN methodology and compared highest normal value with the lowest export price of the co-operating exporter to determine dumping margin for all other producers/exporters. This inadvertent error was

corrected in the final findings. When PCN methodology is adopted in an investigation, it is the consistent practice of the Authority to determine dumping margin for all other producers/exporters based on PCN wise comparison to ensure fair comparison between normal value and export price.

Producer	Exporter	Normal Value	Export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
		US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	
M/s Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd.	M/s Itochu (Thailand) Limited	***	***	***	***	0-10
All Others		***	***	***	***	0-10

DUMPING MARGIN

84. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing PCN wise normal value (constructed wherever the actual normal value is not available/ acceptable) and net export price of the same PCN at ex-factory level for the subject goods. The table below shows the weighted average values for various co-operative producers/exporters from subject countries and for the "All Others" category.

SN	Producer	NV/CNV	NEP	Dumping Margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Toray Polytech (Nantong) Company Limited, China	***	***	***	***	5-15
2	Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co., Ltd, China	***	***	***	***	(Negative)
3.	All Others producers/exporters from China PR	***	***	***	***	15-25
4	Toray Polytech Jakarta, Indonesia	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)
5	All Others producers/exporters from Indonesia	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)
6.	All producers/exporters from Malaysia	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)
7	Saudi German Co. for Nonwoven Products, Saudi Arabia	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)
8	All Others producers/exporters from Saudi Arabia	***	***	***	***	De-minimis (less than 2%)
9	Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd through Itochu Thailand Limited /Itochu India Limited	***	***	***	***	0-10
10	All Others producers/exporters from Thailand	***	***	***	***	0-10

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

85. The Authority notes that the petition for imposition of antidumping duty has been filed by Global Non-Woven Limited, which accounts for a major proportion of total Indian production of the subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the petitioners have been treated as the Domestic Industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of determination of injury, information of the petitioners, constituting the Domestic Industry as defined in Rule 2(b), has been examined.

86. Hon'ble CESTAT has generally observed that the Authority determined existence of material injury and causal link between the dumped imports and material injury in the disclosure statement but the final findings were contrary to the disclosure statement.

87. Hon'ble CESTAT has observed that the Designated Authority in its final findings has recorded that there was an inadvertent error in the disclosure statement with respect to the calculation of injury margin in some cases, which was corrected, but there is no explanation as to what the said inadvertent error was and how it was corrected.

H1. Submissions made by the Domestic Industry

88. The following are submissions of domestic industry.

(i) The uniqueness and the technical differences of the product of the Petitioner make it stand apart from the products of the already established producers. Thus, the industry of non-woven fabrics for sanitary purposes in India was not established before, and the Petitioner remains the sole producer of the PUC and therefore material retardation applies.

(ii) The foreign exporters are very aggressive in order to capture the large potential Indian market before the Petitioner establishes itself as a significant player in the domestic market.

(iii) The commercial production started in July 2015 and there is no data present before that so the only performance that is relevant for the present purposes is the projected performance. As the Domestic Industry does not have past performance, the Designated Authority cannot assess past performance. Designated Authority is required to assess projected performance and compare it with actual performance in such cases. Accordingly, potential performance has been provided by considering its project report, current actual selling price and raw materials price.

(iv) Demand for the product under consideration is quite positive in India, with increasing use of the product under consideration in these applications. There is an insignificant import of second and off grade material. If the imports of second and off grade material are excluded, the data shall still show higher degree of price undercutting and injury to the Domestic Industry. Off grade production by the petitioner was considerably low even considering that the petitioner has commenced commercial production only recently.

(v) The industry is such that it requires significant investment to fulfill the needs of the consumers of contamination free products. The comparison of gross investment by the Petitioner and the other alleged producers of the PUC in India is not on the same scale, further showing how the products made by the Petitioner is different from the other producers.

(vi) The technology, machinery and investment made by the Petitioner is in-line with the foreign exporters, showing that the investment by petitioner is not disproportionate.

(vii) Despite the volumes, the petitioner has still not fulfilled its potential and projections. Also, the petitioner is suffering financial losses due to which it has to take the unwanted step of merging with the Holding company.

(viii) Imports have increased significantly as compared to the base year from the subject goods throughout the injury period, except Saudi Arabia. But imports from Saudi Arabia also increased significantly during the period of investigation. Market share of imports has been significantly high despite commencement of commercial production started by the Domestic Industry. Market share captured by the subject countries were 100% during the period of investigation.

(ix) As against present demand of 18480 MT, the Domestic Industry has the capacity of 18000 MT. Thus, the Domestic Industry has sufficient capacity to fulfil the market demand for the product concerned. The Domestic Industry has been unable to increase its market share due to dumped imports. Sales of the Domestic Industry have not increased in line with production by the Domestic Industry and the extent to which the petitioner can produce the product.

(x) Data clearly shows that domestic production capitalization is far lower than capacity utilization considered in the project report.

(xi) The petitioner has made a new set up for manufacturing and selling of the product concerned. The product under consideration is sold on contract basis. Exporters in the subject countries are offering such low prices to obtain the order and the same shows that exporters are steeply declining their margin on raw material cost.

(xii) In view of the practice being followed by the exporters the petitioner is unable to get fair prices and even if the petitioner lowers its price they are unable to get orders to the extent of its capacities. Low price offered by the petitioner is due to the dumped imports. The imports are depressing the prices of the Domestic Industry in the market.

(xiii) Dumped imports have remained significant in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Exporters give various discounts on the invoice prices, which needs to be adjusted and reduced.

(xiv) Data shows how the product of the Petitioner has been approved by the consumers, but due to the dumping, it has not achieved a respectable production capitalization and has not been able to sell products.

(xv) The petitioner only wishes to attain 60% production capitalization and far from it, has only achieved 22% during the POI at times. Instances of halt in production due to inventories piling up. Thus, the problems faced by the Petitioner are not because of any start-up problems, but because of the dumping by exporters.

(xvi) Exporters give long credit to the consumers. Cost of interests is required to be adjusted.

(xvii) There are several suppliers for the product in the country, the Domestic Industry cannot demand a price at it requires. It must follow the price as the consumers give. Since the Producers is new in the market, it has to sell the product in a market at a price lower than the price at which the product is already being sold in the market.

(xviii) Existence of negative price undercutting does not imply that there is no injury. The fact that petitioner is selling at a lower price means that dumped imports are depressing the prices.

(xix) Domestic Industry is facing the problem of accumulated inventories. Productivity has remained too low, measured in terms of production per day.

(xx) The Domestic Industry has been suffering significant financial losses despite not considering actual cost of production. Significant investment has not resulted in significant revenues. Despite commencement of commercial production recently, the Domestic Industry is not able to produce and sell the product to the extent of its abilities in the domestic market

(xxi) The dumping margin in respect of imports from the each of the subject country as determined by the petitioner is quite significant. The dumping margin from each of the subject countries is not only more than de-minimis but also very significant. The impact of injury on Domestic Industry is very significant.

(xxii) Dumping of the product in the country is materially retarding the establishment of the Domestic Industry. The Designated Authority is required to consider actual performance and compare with the performance projected at the time of setting up of the plant.

(xxiii) WTO jurisprudence on the meaning of material retardation - while the test of material injury or a threat of material injury can be applied to an existing Domestic Industry, in the

case of Domestic Industry yet to be fully established, the test to be applied is that of material injury to the extent of existence and material retardation to establishment of industry. The following two conditions are relevant where the test of material retardation may be applicable:

a. in case of "developing industry" which has not yet begun commercial production but substantial commitment to commence production has been made;

b. in case of "nascent industry" whose commercial production although has begun but the industry has yet to find its place in the market.

(xxiv) Cases done by the Authority in past such as PVC Flex, D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl potassium Dane Salt, Fused Magnesia, Bisphenol – A, Induction Hardened Forged Steel Rolls and D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) from EU shows that the Directorate has considered following methodology for analysis of injury in similarly placed case.

(xxv) Subject imports have remained significant in absolute terms in spite of new production in the country. The conditions in the market created by dumping practices are largely responsible for the significant financial losses suffered by Domestic Industry.

(xxvi) The landed price of imports is not only below cost of production of the Domestic Industry, but also the non-injurious price of the Domestic Industry. Imports are severely depressing the prices of the Domestic Industry in the market.

(xxvii) Performance of the Domestic Industry in terms of production, sales and capacity utilization has been significantly below the projected levels. Despite commencement of new production in the Country, the levels achieved by the Domestic Industry are far lower as compared to what could have been achieved considering demand for the product under consideration in the market.

(xxviii) Performance of the Domestic Industry was quite adverse in terms of profits, return on investments and cash flow. The Domestic Industry is not able to realize non-injurious price for the product.

(xxix) The present high level of imports is despite presence of domestic product in the market and continued preference of the consumers to import the product because of the price attractiveness.

(xxx) Since Domestic Industry is a new entrant in the market, the Domestic Industry is forced to obtain orders at a price comparable to the import price of the product. Thus, if the Domestic Industry has obtained orders at suppressed price, the same is because of dumping of the product in the country.

(xxxi) The Domestic Industry has been constrained to export the product because of absence of orders from the domestic customers. The Domestic Industry exported to a number of countries which establishes the quality of the product. A statement showing country wise exports by the Domestic Industry is enclosed, which shows exports to a number of markets, including in the developed countries.

(xxxii) Month by month analysis of production, sales, capacity utilization, and inventories shows that the Domestic Industry has been constraint to curtail the production and is faced with sales much lower than the level that could have been achieved by the Domestic Industry in the absence of dumping of the product under consideration in the country.

(xxxiii) The Petitioner has qualified all the quality tests and has gained acceptance from the consumers but is denied orders because the consumers get easy access to the dumped goods.

H1.1 Post-Remand Submissions made by the Domestic Industry

(i) The Hon'ble Tribunal has considered the period of data collection to be adequate for the purpose of determination of injury. No purpose would be served of remanding the matter back to the Authority if period of data collection was not adequate.

(ii) The Authority has not found any factor, other than the dumped imports, responsible for the injury suffered by the domestic industry. The Authority has simply mentioned 'teething problems' without identifying such 'teething problems' being faced by the domestic industry in the final findings.

(iii) Authority has itself noted in the final findings that the domestic industry is unable to increase its price or profits due to low price imports indicating clear causal link between imports and injury to the domestic industry. In any case, the Authority had moderated the actual performance of the domestic industry in the POI. The Authority has also moderated the capacity utilisation of domestic industry at 100% level.

(iv) The Authority has examined all listed parameters to establish that injury to the domestic industry has not been caused by the other factors. Increase in imports from subject countries, steep decline in import price, inability of the domestic industry to charge its prices even at the level of optimum cost is due to presence of dumped imports. Authority should recommend imposition of anti-dumping duty in view of positive dumping, injury and causal link. Change of methodology from price comparison at the product level to that of PCN to PCN comparison, not accepted. PCN analysis not required for residual category.

a. The domestic industry continues to suffer injury in the post POI period on account of dumped imports.

b. The domestic industry is suffering injury, as their profits, cash flow and return on investment have declined. Steep decline in import price within the investigation period and the imports, causing positive price undercutting, price underselling and suppression/depression

H2. Submissions made by the Exporters/producers and other interested parties

89. Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties are as follows:

a. The petitioner is not the sole producer so there cannot be a case of material retardation of the Domestic Industry.

b. The petition is misleading as no evidence in respect of AD Rules has been produced by the petitioner to satisfy its claim of sole producer of the subject good.

c. In view of the pre-existence of an established player it cannot be a case of material retardation. It is an established industry in India and petitioner is a new comer. There are other producers in the market and the petition admits so. The company commenced production in July 2015 but has already achieved impossibly high capacity utilization.

d. There is no mechanism to determine material retardation of the Domestic Industry unlike injury or threat of material injury to the Domestic Industry. The Authority should have first devised a mechanism to determine material retardation, then should have initiated the present investigation.

e. In absence of any legal provision it is extremely difficult to point out if there is any violation of legal provision. Reference can be taken from the USITC cases. USITC adopts a market stabilization standard to determine whether the nascent industry can be considered to be established or not. If the industry already established, the applicable standard is that of material injury and not material retardation.

f. In a material retardation case, Designated Authority should examine whether applicant was yet to find its way in the market or was already established. No sufficient data is submitted to justify the claim of material retardation.

g. The data produced in the petition shows normal start-up conditions. Data shows that capacity utilization increased 5 times during July 2015 to December 2015. Domestic sales increased 7 times just in 6 months' time. This clearly cannot be case of material retardation.

h. In 6 months times the market share has increased from zero to 10.66%. All the data till March 2016 should be brought on record to see a clear picture. It is impossible for a new player to meet 100% demand of the market merely within 6 months of its establishment.

i. The petitioner is not suffering any material injury and its situation can be such because of it being a new entrant in the industry. If the petitioner was materially retarded, it would not have expanded its capacity. Such investments show that they are not injured.

j. It has already been argued that the industry is not new, there are many established companies catering to the demand of the domestic market since last 10-15 years. Petitioner is not the sole producer of the subject. There are at least 28 (source-petition) more other producers in the market who are exactly producing the same product as the petitioner.

k. DI's situation has improved and it will further improve gradually. So much cost has been invested in the production of the PUC and it has a direct connection with the ROCE and profitability. Claim of 22% return on investment is without any reasonable basis. 22% Return on Capital Employed gives undue advantage and protection to the Domestic Industry. 41% profit margin on equity in no terms can be termed as reasonable. Right after commencement of commercial production the Domestic Industry started facing injury due to dumped import. Price of imported PUC is relatively higher than the Domestic Industry. In first month commercial production 42% capacity utilization was achieved and it increased after that**.**

l. There is no causal link between the alleged dumped imports and injury to the petitioner.

m. The petitioner is suffering because of other factors such as:

- Start Up- The petitioner is suffering because of lack of experience in the industry. They don't have advance technology and have no idea about pricing.
- International Price of Raw Material: The major raw material, polypropylene's price has declined internationally and losses due to that should not be blamed on imports.
- Buyer's Market- the prices are determined by the buyers and petitioner's has newly come to the market and has not been able to establish quality standards required for the product.

n. High client stickiness, long lead time for customer approval and technology are the main factors for slow growth of the company.

o. Because of the type of PUC all the global companies are extremely brand conscious. It takes years to qualify the quality tests and go through all the process. Reason of injury is to fail to get quality certificates. The petitioners could not have sold their product to our customers in India because they are quality concerned people.

p. Transaction by Transaction sales data should be examined in order to establish impact of seconds and off grade material.

q. DI should be asked to give grade-wise production data with off-grade and prime material produced during the Period of investigation. The commercial production started in July 2015 and the company is facing entry barriers. The company could not have expected high capacity utilization and the same is said by Jindal global in its letter to NSE.

r. Domestic Industry is importing major raw material and increase in import duties increases the cost of production and the total raw material price is the 70% of the cost of production cannot allege dumping.

s. Injury to the Domestic Industry cannot be complete without factoring in the injury, or lack of injury to the other producers.

H2.1 Post-Remand Submissions made by the Exporters/producers and other interested parties

a. The domestic industry made detailed claims and submissions before the Hon'ble CESTAT regarding incorrectness of assessment of material injury to the domestic industry and causal link by the Authority. However, the Hon'ble CESTAT has not accepted any of the claims and arguments of the domestic industry. The claims and argument of the domestic industry regarding existence of causal link has been rejected by the Authority, Hon'ble Delhi High Court and the Hon'ble CESTAT already. Therefore, there is no requirement to reconsider the same claims and argument once again for the fourth time.

b. Hon'ble CESTAT has merely observed that the final findings did not contain adequate explanation regarding the 'inadvertent error' found in the injury margin disclosed in the disclosure statement. Authority should disclose the methodology applied for determining injury margin for producers/exporters clearly in the disclosure statement and the final findings.

c. The Hon'ble CESTAT has also not made any specific observation regarding the assessment of material injury or causal link by the Authority in the final findings. If the Hon'ble CESTAT wanted the Authority to determine existence of material injury and causal link between imports and the injury to the domestic industry, it would have clearly observed that the assessment of the Authority regarding determination of causal link is incorrect. In several previous decisions, the Hon'ble CESTAT has clearly observed that the assessment of the Authority regarding a particular aspect of the investigation is incorrect and is required to be reversed.

d. The decision of Hon'ble CESTAT does not impact the injury margin determination for Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., Thailand, Itochu (Thailand) Ltd., Thailand, and Itochu India Pvt. Ltd., India because in the disclosure statement as well as in the final findings issued by the Authority, there was no change in the injury margin.

e. Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics, China PR was the only participating producer and exporter from China PR for whom DGTR found and calculated negative injury margin. There was no change in the final findings from the disclosure statement issued by the authority regarding injury margin for Hubei Gold Dragon Non-woven Fabrics, China PR.

f. There is no material retardation or material injury to the domestic industry currently because Jindal Poly Film Ltd. invested 400 crores and has installed and started production of second Nonwoven manufacturing line in 2020 to double the production capacity. Ktex Nonwovens has installed capacity and started commercial production of Nonwovens in Jamnagar, Gujarat on 01st July 2018. Toray Industries India Pvt Ltd has also started production of Nonwoven Fabrics in Sri City, Andhra Pradesh

H3. Examination by the Authority

90. The Hon'ble Tribunal has not made any specific observations regarding the adequacy of period of investigation for the purpose of determination of injury.

91. The issue regarding the adequacy of period of investigation has been carefully examined by the Authority. It is noted that rule 11 dealing with injury specifies that the designated authority shall record a finding whether dumped imports of such article into India cause or threaten material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India. Further, it specifies that the Designated authority shall determine the injury to Domestic Industry, threat of injury to Domestic Industry, material retardation to establishment of Domestic Industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out under the rules. Recommendation by the WTO Committee on Anti-Dumping Practices suggests that as a general rule the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable, while the period of data collection for injury investigations normally should be at least three years, unless a party from whom data is being gathered has existed for a lesser period, and should include the entirety of the period of data collection for the dumping investigation. Thus, while committee of anti-dumping practices prescribed minimum three years as the period of data collection for injury assessment, it also specified that the same shall be subject to the condition that the party should have existed for at least such a long period. Thus, in a situation where the Domestic Industry has a history of its existence for less than the minimum prescribed period, it is evident that the Authority is entitled to consider such shorter period for which the Domestic Industry existed.

92. In the present case, the petitioner commenced commercial production in July 2015, and therefore information for 3 year period is admittedly not available. However, considering that the period is lower than 3 year period, the petitioner has provided information on monthly and quarterly basis. On this basis, it is considered that it would be appropriate in the facts and circumstances of the present case to examine whether dumped imports caused material injury to Domestic Industry by considering the performance of Domestic Industry over the period of its existence and by undertaking month by month and quarter by quarter analysis. Since the petitioner is a new producer in the country and commenced commercial production in the injury period itself, the performance of the Domestic Industry could have been impacted by the start-up operations and further considering that the petitioner has a short history of existence, it was concerned appropriate to moderate the actual performance of the Domestic Industry in the POI

93. Further, in view of short history of the petitioner, performance of the Domestic Industry has been considered in the period after investigation period based on the available information. Thus, the performance of the Domestic Industry for the period Apr- March 2017 has also being examined and considered in order to determine whether the dumped imports caused injury to the Domestic Industry. It is noted in this regard that some information for post POI was provided by the petitioner in their post hearing written submissions. Further, additional information was called from the petitioner and the same was placed in public file and made available to the interested parties for their comments and defending their interests.

94. As far as existence of a producer in SEZ is concerned, the Authority considers that the presence of an SEZ unit does not disentitle the petitioner to claim the status of a new producer in the country in a situation where there is no other producer of like article in DTA. The petitioner claims that they are the sole producers of PUC for hygiene and sanitary application. The domestic producer should not be denied the opportunity to seek protection under the law only because such unit in SEZ, who is primarily targeting its product in the export market and not willing to file an anti-dumping application.

95. The Authority notes in this regard that the interested parties in general contended that the producers are in the buyer's market where buyers decide the kind of product they wish to buy, the properties in the product they require, the price at which they wish to purchase. Further, it is noted that they are handful of consumers in India and globally who are buying this product and many of these consumers are in fact multinational companies who are having manufacturing operations in India and globally. The petitioner provided information with regard to major consumers of the product to whom petitioner is supplying the product in India. While it is true that the Ahlstrom Fibre Composite is also a manufacturer of the product in the country, and the company has admittedly produced and supplied the product in the Indian market, considering the object and intent of the dumping law, it would be appropriate to consider that the petitioner is in fact a new producer of the product in the country and the petitioner is entitled to seek protection by claiming injury in the form of material retardation to establishment of Domestic Industry. Nevertheless, the authority has examined performance of the Domestic Industry to the extent of its existence and has determined whether the same shows that the Domestic Industry has suffered material injury.

96. PCNs are prescribed in an investigation where distinct models or types are involved for the subject product. PCNs are intended to ensure fair comparison between export price and normal value of distinct models and types. Similarly, PCNs will also be used to ensure fair comparison of non-injurious price with landed value for the purpose of injury margin. There is no exception which states that PCN to PCN comparison or fair comparison need not be ensured for determining 'all others' rate.

Cumulative Assessment

97. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the Anti-dumping Rules provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article and

b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

98. The Authority notes that:

a. The margin of dumping for all imports from Saudi Arabia, Malaysia and Indonesia is less than de-minimis prescribed under the Rules. Margin of dumping for imports from China PR (except one producer) and Thailand are more than the de-minimis limits prescribed under the Rules.

b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.

c. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the Domestic Industry in the Indian market. It is noted that consumers are interchangeably buying from producers in subject countries. Further, consumers have one after approved the petitioner Domestic Industry's product for procurement.

99. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the Domestic Industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.

100. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles….". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-dumping Rules.

Volume Effect of Dumped Imports

Import Volumes

101. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject good from the subject countries has been analyzed as under:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	POI (Annualized)
China PR	MT	753	916	1,597	3,493	3,895
Indonesia	MT	18	547	3,759	3,544	3,483
Malaysia	MT	702	2,186	3,248	5,530	6,348
Saudi Arab	MT	738	83	-	2,388	3,027

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	POI (Annualized)
Thailand	MT	526	1,526	2,347	3,353	3,337
Imports from subject countries	MT	2,737	5,258	10,951	18,309	20,090
Trend	*Indexed*	*100*	*192*	*400*	*669*	*734*
Imports from other countries	MT	390	139	71	316	417
Trend	*Indexed*	*100*	*36*	*18*	*81*	*107*
Total Imports	MT	3,127	5,397	11,023	18,624	20,507
Trend	*Indexed*	*100*	*173*	*353*	*596*	*656*
Domestic Sales of Applicant	MT	-	-	-	1,969	2,626
Trend	*Indexed*	-	-	-	*100*	*133*
Sale of other producers	MT	1,987	1,987	2,157	1,500	2,644
Demand	MT	5,114	7,384	13,180	22,094	25,777
Demand Growth	%	100	144	258	432	504
Share of Domestic Industry in Demand	%	-	-	-	8.91	10.18

102. Demand for the subject goods increased throughout the injury period and this increase in demand has been quite significant.

103. The volume of imports from subject countries is significant in absolute terms as well as in relation to total imports and the overall demand in the country. Primarily this was due to the fact that the Domestic industry commenced commercial production only in July, 2015 and the SEZ units were catering mainly to the export market.

104. It is noted that share of imports from subject countries in total imports of subject goods is around 98%. It is also noted that the demand in India has increased exponentially during the injury period from 100 in 2012-13 to 144 in 2013-14, 258 in 2014-15 and 504 in 2015-16 (A). Since, there was very nominal domestic supply, the entire demand was catered from the import. However, share of import reduced from 84% to 80% (A) of demand in 2014-15 and 2015-16 respectively due to presence of the domestic industry in Indian market. The domestic industry in the first 9 months of its operation has already captured 8.91 % for POI and 10.18% (A) in Indian market.

Share of imports of subject goods from subject countries in total imports

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	POI (Annualised)
Subject Countries	%	87.53	97.43	99.35	98.30	97.96
China PR	%	24.09	16.96	14.49	18.75	18.99
Indonesia	%	0.58	10.14	34.10	19.03	16.98
Malaysia	%	22.44	40.50	29.47	29.69	30.96

Saudi Arab	%	23.60	1.54	-	12.82	14.76
Thailand	%	16.82	28.28	21.29	18.00	16.27
Others	%	12.47	2.57	0.65	1.70	2.04
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

105. The share of un-dumped imports of subject goods from the subject countries has been examined. It is noted that all imports of subject goods from Saudi Arabia, Indonesia and Malaysia (which constitutes 64% of total imports) are un-dumped. It is also noted that share of all imports of subject goods from China PR and Thailand in total imports constitute 35.26 % of the total imports of subject goods during the POI, and within this share, the share of M/s Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co. Ltd, China PR which constitutes ***% of imports from China PR and Thailand are un-dumped. Thus, imports of dumped subject goods from subject countries are not considered significant.

Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

106. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

107. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the Domestic Industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. The analysis for various price parameters has been based on DGCI&S data.

Price Undercutting

108. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the Domestic Industry in the market, the Authority has compared the landed price of imports with the net sales realization of the Domestic Industry. It is observed that price undercutting during POI is negative. Though, the landed price of PUC was substantially higher, the domestic industry was not able to increase its selling price up to the landed price of import as because it might be due to teething problems faced by them in establishing the quality of the product.

Particulars	UOM	China PR	Indonesia	Malaysia	Saudi Arabia	Thailand
Landed price of imports	Rs./MT	1,70,236	1,58,893	1,49,184	1,56,155	1,74,511
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting %	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative

Price suppression/depression

109. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority examined the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the Table below:

Particulars	UOM	2015-16 Q2	2015-16 Q3	2015-16 Q4
Import price from China	Rs./MT	1,91,930	1,74,064	1,30,408
Import price from Indonesia	Rs./MT	1,64,848	1,58,421	1,42,046
Import price from Malaysia	Rs./MT	1,57,091	1,67,448	1,20,568
Import price from Saudi Arabia	Rs./MT	1,65,505	1,77,647	1,19,538
Import price from Thailand	Rs./MT	1,87,727	1,78,834	1,30,919
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***

110. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of cost of production and selling price of the Domestic Industry has been examined. It is noted that landed price of imports and domestic selling price of domestic industry were declining quarter to quarter during the POI. It is further observed that the landed price of subject goods in every quarter from subject countries was more than the selling price of domestic industry excluding the 4th quarter when selling price of domestic industry was more in case of Malaysia and Saudi Arabia. However, their import volumes were un-dumped. It is also observed that cost of sales was also declining quarter to quarter. This shows that the domestic industry was improving in cost management or stabilizing their production process resulting in reduction of cost of sales. However, it is noted that net sales realisation is below the cost of sales throughout the period.

Price Underselling

111. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the Domestic Industry for the PUC during the POI, in accordance with Annexure III of the Antidumping Rules. Non-injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. It is noted that price underselling is positive during the POI.

Particulars	**Unit**	**China PR**	**Indonesia**	**Malaysia**	**Saudi Arabia**	**Thailand**
Import Volume	MT	2,921	2,612	4,761	2,270	2,503
NIP	Rs./MT	***	***	***	***	***
Landed Value of imports	Rs./MT	1,70,236	1,58,893	1,49,184	1,56,155	1,74,511
Price Underselling due to dumped imports	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price Underselling due to dumped imports	%	***	***	***	***	***
Price Underselling due to dumped imports	Range	0-10	10-20	15-25	10-20	0-10

Economic parameters of the Domestic Industry

112. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

113. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed herein below:

i. Capacity, Production, Sales and Capacity Utilization

114. The data relating to the Domestic Industry is shown in the following table:

Particulars	Unit	POI			Post POI			
		July-Sept	Oct.-Dec	Jan-Mar	Apr-June	July-Sept	Oct.-Dec	Jan-Mar
Capacity	MT	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
Production PUC	MT	***	***	***	***	***	***	***
Production NPUC	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*668*	*137*	*279*	*173*	*164*	*133*
Production Plant	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*481*	*262*	*394*	*463*	*498*	*546*
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***	***	***
Plant Utilization	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*481*	*262*	*394*	*463*	*498*	*546*
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***	***	***
Export sales	MT	***	***	***	***	***	***	***
Total	MT	***	***	***	***	***	***	***

115. It is noted that

a. The production of the Domestic Industry improved gradually from *** MT in July-September quarter in POI (2015-16) to *** MT in January-March quarter of 2016-17 in Post-POI. It is noted that the domestic industry was improving its performance continuously during the investigation period and in the post POI.

b. The Capacity utilization of the Domestic Industry improved from 8% capacity utilization in July-September quarter of POI (2015-16) in POI to 59% in January-March quarter of 2016-17 in post POI.

c. Sales of the Domestic Industry improved gradually from *** MT in July-September quarter in POI (2015-16) to *** MT in January-March quarter of 2016-17 in Post-POI. It is noted that the domestic industry was improving its performance continuously during the investigation period and in the post POI.

ii. Profit, cash flow and return on investment

116. The data relating to Domestic Industry is shown below:

Particulars	Unit	POI			Post POI			
		July-Sep	Oct.-Dec	Jan-Mar	Apr-June	July-Sept	Oct.-Dec	Jan-Mar
Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	*100*	*97*	*98*	*75*	*78*	*78*	*79*
Selling Price	₹/Kg	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	*100*	*103*	*95*	*96*	*95*	*93*	*96*
Profit/Loss	₹/Kg	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	*(100)*	*(86)*	*(102)*	*(34)*	*(43)*	*(48)*	*(44)*
Profit/Loss	₹/Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	*(100)*	*(355)*	*(404)*	*(177)*	*(307)*	*(438)*	*(378)*
Cash profit	₹/Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	*(100)*	*(75)*	*(129)*	*(219)*	*(255)*	*(198)*	*(308)*
ROI	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	*(100)*	*(316)*	*(335)*	*(792)*	*(1,154)*	*(968)*	*(2,337)*

117. It is noted that the cost of sales have decreased over the investigation period and also in the post POI as also the selling price. However, it is noted that selling price is below the cost of sales during POI as well as post POI.

118. The Domestic Industry has been suffering losses in the POI and also in the post POI. The losses could have been reduced, if the Domestic Industry was able to increase its selling price to the level of exporters. However, loss per MT has gradually reduced as the domestic industry is stabilizing continuously.

119. Therefore, the Domestic Industry is suffering negative return on capital employed throughout the POI and post POI.

iii. Employment and Productivity

120. The data relating to Domestic Industry shows as follows:

Particulars	Unit	**POI**		
		July-Sep	Oct.-Dec	Jan-Mar
Employee	No	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*107*
Productivity per Employee	MT/No	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*392*	*321*

121. It is noted that employment and productivity has shown improvement within the investigation period.

iv. Inventories

122. The Domestic Industry data is presented below:

Particulars	Unit	POI			Post POI			
		July-Sep	Oct.-Dec	Jan-Mar	Apr-June	July-Sept	Oct.-Dec	Jan-Mar
Opening Inventory	MT	-	***	***	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***	***	***	***

123. Authority observes that inventories with the Domestic Industry increased within the investigation period and even in the past POI period with increase in production.

v. Growth

124. It is seen that growth of the Domestic Industry was positive with regard to volume parameters like production, sales, capacity utilisation and negative with regard to price parameters like profitability, ROCE. However, as majority of the imports coming into India from subject countries are un-dumped imports and not undercutting the prices of domestic industry. It does not seem appropriate that the negative performance on price parameters can be attributed to dumped imports.

vi. Ability to raise capital investment

125. During the investigation, the Domestic Industry submitted that the future investment in this sector is marred by the presence of dumped imports from the subject countries, and in the prevailing situation, it would not be possible for the Domestic Industry to make any further investment for the production and sale of the subject goods. The Domestic Industry submitted that the Domestic Industry is working on a plan to get itself merged into Jindal Poly Film Ltd., the company who is holding majority shareholding in the company in order to prevent itself become totally unviable. During the post-remand proceedings, it is brought to the notice of Authority that fresh investments for the production of subject goods were announced in 2018 and were operationalised by the domestic industry in 2020. Other production plants by separate legal entities have also been established recently in India.

126. From the above analysis, it appears that the investment in the production of subject goods was not affected by the presence of imports into India.

vii. Factors Affecting Domestic Prices

127. Examination of the import prices from the subject countries show that the landed value of imported material from the subject countries is not below the selling price of the domestic industry. Comparison of landed value of dumped imports from China and Thailand and the non-injurious price of the Domestic Industry show that dumped imports are not causing significant price underselling in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices cannot be the dumped imports of subject goods from China PR and Thailand.

viii. Magnitude and Margin of Dumping

128. The imports from the China (except one producer) and Thailand are above the de-minimis level of dumping margin. Imports from all other subject countries are below de-minimis dumping margin.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

129. The non-injurious price of the subject goods produced by the Domestic Industry determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the imports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margin is shown in the table below:

Sr. No.	Producer	Landed Value	NIP	Injury Margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Toray Polytech (Nantong) Company Limited, China	***	***	***	***	0-10
2	Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co., Ltd, China	***	***	***	***	Negative
3	All Other producers/exporters from China PR	***	***	***	***	10-20
4	Toray Polytech Jakarta, Indonesia	***	***	***	***	5-15
5	All Other producers/exporters from Indonesia	***	***	***	***	5-15
6	All producers/exporters from Malaysia	***	***	***	***	10-20
7	Saudi German Co. for Nonwoven Products, Saudi Arabia	***	***	***	***	0-10
8	All Other producers/exporters from Saudi Arabia	***	***	***	***	0-10
9	Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd through Itochu Thailand Limited/ Itochu India Limited	***	***	***	***	Negative
10	All other producers/exporters from Thailand	***	***	***	***	Less than 1%

J. EXAMINATION ON INJURY

130. Having regard to the information on record and after examination of the performance of the Domestic Industry, the Authority notes that:

i. For most of the participating producers/exporters from subject countries the dumping margin is de-minimis or negative except for participating producers/exporters from Thailand and China PR.

ii. In case of Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd. even though dumping margin is positive, but injury margin is negative.

iii. The dumped imports of the subject goods from subject countries are not significant in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India.

iv. Price undercutting is negative for imports from all subject countries.

v. After commencing commercial production in the new plant, the Domestic Industry has increased its production, capacity utilization and sales.

vi. Domestic industry has experienced negative trend in respect of price parameters such as profitability and ROCE. Domestic industry has suffered losses during the POI. However, losses per unit have reduced in the post POI period analyzed by the Authority. This shows that the initial heavy losses suffered by the domestic industry were primarily due to teething problems associated with startup operations.

vii. Due to insignificant volume of dumped imports, and absence of price undercutting, the causal link between the dumped imports from subject countries and injury to domestic industry is not established.

K. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

131. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are causing injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

i. **Volume and value of dumped imports from subject countries**

132. The present investigation covers imports from five countries. Imports from three countries out of the five countries are at un-dumped price as shown in table below.

Country	Total imports in POI (A)	Dumping Margin
Indonesia	3,483	De-minimis (Less than 2%)
Malaysia	6,348	De-minimis (Less than 2%)
Saudi Arabia	3,027	De-minimis (Less than 2%)
Total Un-dumped Imports	12,858	De-minimis (Less than 2%)

133. Un-dumped imports from three subject countries are significant in volumes. The injury, if any, on price parameters caused to the domestic industry from imports from subject countries is attributable to both these dumped and un-dumped imports. However, Authority notes that majority of the imports from subject countries are un-dumped imports from three countries.

ii. **Volume and value of imports from countries other than the Subject Countries** –

134. Imports from countries other than the subject countries are not significant in volumes or at higher prices.

iii. Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption-

135. The Authority notes that there is significant increase in demand for the subject goods in the country, and therefore, contraction of demand cannot cause injury.

iv. Development in Technology-

136. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the Domestic Industry. In fact, petitioner has set up new production facility and has contended that majority producers of the product under consideration in subject countries are using the technology deployed by the petitioner.

v. Trade restrictive practices and competition between supply from various sources-

137. The Authority notes that the subject goods are not subjected to any trade restrictive practices in India. Moreover, apart from the competition that is obvious in any market economy, no inter se competition or competition between supplies from various domestic and international sources exhibit any such impact that could be construed as injurious to the Domestic Industry.

vi. Export performance-

138. Performance of the Domestic Industry has been segregated for domestic and export market. Petitioner has exported the product under consideration during the period. However, the claimed injury to the Domestic Industry is on account of domestic operations. Petitioner has provided costing and injury information for the product under consideration separately for domestic and export market. Other factors: There are two factors other than imports from subject countries which are relevant in the non-attribution analysis:

139. Petitioner has commenced trial production in Feb 2015 and commercial production in July 2015 only. Therefore, increase in trend of volume parameters of domestic industry is normal. However, it is also observed that price undercutting is negative during the POI. It indicates that the Domestic Industry could have increased their selling price to the level of imports. However, they did not increase the price during the POI and Post-POI. Domestic Industry also incurred losses during POI. However, post POI period data shows that losses per MT have reduced. This shows that the domestic industry started recovering from teething problems in setting up a new industry in the post POI period.

140. It was also brought to the notice of the Authority that the ownership structure of the company also changed subsequent to the POI due to merger.

141. The Parameters enumerated above clearly establish that:

i. For most of the participating producers/exporters from subject countries the dumping margin is de-minimis or negative except for participating producers/exporters from Thailand and China PR.

ii. In case of Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd. even though dumping margin is positive, but injury margin is negative.

iii. The dumped imports of the subject goods from subject countries are insignificant in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India.

iv. Price undercutting is negative for imports from all subject countries.

v. It was also brought to the notice of the Authority that the ownership structure of the company also changed subsequent to the POI due to merger.

vi. During the investigation, Authority observed that the performance of DI is likely to improve once initial teething problems are taken care of. Once stabilized, the DI may experience better performance. It is natural that a certain amount of gestation period is reasonable. It is also brought to the notice of the Authority that DI has started new production plant in India for subject product in 2020.

L. POST DISCLOSURE STATEMENT

142. The issues raised at post disclosure stage have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties have been summarised and addressed as below:

I.1 Submissions made by the Interested parties

143. **The following are post disclosure submissions of Government of Indonesia**

i. GOI has acknowledged this finding as the same finding with the final one of original investigation; it has conclusively proven that Indonesian exporters did not dump the export of NWF to Indian market. The fresh Disclosure statement disclosed essential facts under consideration including the issues on which the Hon'ble CESTAT raised concerns and which have been presented before the Authority by various interested parties during the remand proceedings.

ii. It has been determined by the Authority that the injury and the causal link between the dumped imports from subject countries and injury to domestic industry is not clearly established due to insignificant volume of dumped imports, and absence of price undercutting.

iii. The Authority has also determined that the loss of the DI in the POI is due to the high cost in setting up a new industry in the POI and will recover in the near future. This condition shows that the DI started recovering in the post POI.

iv. The inadvertent error in the Final findings with respect to the calculation of dumping margin and injury margin has been corrected by the Authority in the disclosure statement. The fresh disclosure statement has clearly explained the said inadvertent error and how it was corrected.

144. **The following are post disclosure submissions of exporters and related Indian importer from Thailand**

i. There are no changes in the adjustments made for calculating NEP, and the Authority has taken the same adjustments. Therefore, it is understood that the Authority has not proposed any changes in dumping/injury margins calculations in respect of Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., Thailand, Itochu (Thailand) Ltd., Thailand and Itochu India Pvt. Ltd., India. Accordingly, request to the Authority to maintain the same findings as were recommended in the original final findings dated 2nd September 2017, whereby no anti-dumping duty was recommended for Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., Thailand is being made.

ii. Request is also being made to the Authority to maintain and re-affirm their findings in respect of Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., Thailand.

iii. The Authority has fully complied with the orders of Hon'ble CESTAT and provided all the interested parties sufficient time and opportunity to analyse the recommendations of the Authority.

iv. As per our understanding the order of Hon'ble CESTAT's only requires the Authority to provide all the interested parties an opportunity to provide their comments, it does not order the Authority to change the facts or its findings. We fully endorse the conclusions arrived at by the Authority in the Disclosure Statement and humbly request them to notify the same in the Final Findings as well in respect of Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., Thailand, Itochu (Thailand) Ltd., Thailand and Itochu India Pvt. Ltd., India.

v. Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd., Thailand, Itochu (Thailand) Ltd., Thailand and Itochu India Pvt. Ltd. India vide their submissions dated 24th July 2020 (Written Submissions) and 31st July 2020 (Rejoinder Submissions) have raised and filed multiple submissions which have not been acknowledged/addressed in the Disclosure Statement. It is humbly requested that the same may please be addressed or acknowledged in the final findings to be issued by the Authority.

145. **The following are post disclosure submissions of exporter from Malaysia**

i. Questionnaire response filed by producer/exporter from Malaysia should not be rejected because additional information was provided as part of disclosure comments. Information provided by the producer/exporter from Malaysia along with comments on disclosure was clarificatory in nature. Even in absence of such information, there is no mismatch between the information provided regarding sales quantity in the questionnaire response (in square meter) and the sales quantity noted in the actual invoices (in square meter). Moreover, even if information regarding actual quantity in Kg is considered as relevant, the practice of the Authority shows that Authority has accepted information from interested parties after the date of filing of questionnaire response in other anti-dumping investigations.

ii. The Authority has rightly observed that weighted average normal value as per the information provided by domestic industry and weighted average export price based on all export transactions should be considered for determining dumping margin for 'all others' category of producers/exporters from Malaysia. The methodology adopted by the Authority is in accordance with the requirement of 'fair comparison' between normal value and export price provided in paragraph 6 of Annexure I of Anti-dumping Rules.

iii. Rule 14 (c) of the Anti-dumping Rules provide that Authority shall terminate an investigation immediately if it determines that the margin of dumping is less than 2%. Therefore, the Authority should terminate the anti-dumping investigation without recommending imposition of anti-dumping duty on imports from Saudi Arabia, Indonesia & Malaysia.

iv. The Authority has conducted objective assessment of economic parameters of domestic industry while observing that there is improvement in volume parameters like production, sales, and capacity utilisation. The Authority has rightly observed that negative performance of domestic industry with regard to price parameters cannot be attributed to subject imports because majority of the imports coming into India from subject countries are un-dumped imports and are not undercutting the prices of domestic industry.

v. Authority should confirm in the final findings that due to insignificant volume of dumped imports and absence of price undercutting, the causal link between the dumped imports from subject countries and injury to domestic industry is not clearly established.

vi. The disclosure statement recognizes that producers/exporters from Indonesia are not dumping the subject product. In this regard, the disclosure statement has also provided adequate explanation in accordance with the decision of the Hon'ble CESTAT. The finding regarding un-dumped imports from Indonesia should be confirmed in the final findings as well.

vii. Para (iii) of Annexure II of the Anti-dumping Rules provide that cumulative assessment imports can be made only if the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price. Thus, the observation of the Authority is directly in contravention of Para (iii) of Annexure II of the Anti-dumping Rules. It is noted that imports from Saudi Arabia, Malaysia and Indonesia are un-dumped and cannot be clubbed with imports from other subject countries for the purpose of determination of material injury.

viii. The Authority has further observed that there is negative performance in price parameters like profitability and return on capital employed. However, the Authority has also observed that the there is no price undercutting due to imports from subject countries including Malaysia as landed price from subject countries including Malaysia was substantially higher than the domestic selling price. The Authority has also observed that the domestic industry was not able to increase its selling price up to the landed price of import as it may be facing problems in establishing the quality of the product. It is clear from the disclosure of aforementioned essential facts that negative performance of the domestic industry with regard to price parameters cannot be attributed to imports from subject countries including Malaysia.

ix. The Authority has therefore conducted objective assessment of facts and has rightly observed that negative performance of domestic industry cannot be attributed to subject imports because majority of the imports coming into India from subject countries are un-dumped imports and are not undercutting the prices of domestic industry. The Authority has also acknowledged that performance of the domestic industry has improved during post-POI period and it has made substantial new investment for the production of subject goods. The observation by the Authority further substantiates that the domestic industry has been on the path of recovery and is not suffering any injury.

x. India follows a lesser duty rule and injury margin is relevant only to determine the quantum of anti-dumping duty. Existence of injury margin is irrelevant while determining whether the domestic industry is suffering any injury or not because of dumped imports. In fact, the Authority need not even calculate injury margin when there is no material injury to the domestic industry. In any case, as already noted, no anti-dumping duty can be recommended on imports from Malaysia when margin of dumping determined for imports from Malaysia is de-minimis i.e. less than 2%.

L2. Examination by the Authority

146. It is noted that the Domestic Industry has not offered any comments to the Disclosure Statement dated 17th August, 2020 though they were granted time till 23rd August 2020 which was further extended to 28th August 2020 vide e-mail dated 24th August 2020. However, the other interested parties submitted their comments within the given time. It is noted that most of the issues raised by the various interested parties at post disclosure stage have already been examined by the Authority under relevant paragraphs in this final findings. However, wherever required, the same are examined as below.

147. The Domestic Industry, in the submissions made before issuance of disclosure statement and during the hearing in the Hon'ble CESTAT had raised concern about the methodology adopted by the Authority for computation of dumping margin and injury margin and non-disclosure of normal value, export price etc. for "all other" category of exporters (also referred to as "residual") from the subject countries. Therefore, the Authority considers it appropriate to examine the issues once again.

148. From the detailed examination of dumping and injury as mentioned in relevant paragraphs of the final findings, the Authority notes that in case of most of the participating exporters from subject countries the dumping margin is de-minimis or negative except for Toray Polytech (Nantong) Company Limited, China and Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd. However, in some cases though the dumping margin is positive, the injury margin is negative.

149. Accordingly, in the disclosure statement dated 17th August 2020, the Authority has disclosed fully the methodology adopted for determining dumping margin and injury margin for all producers/exporters from subject countries including producers/exporters that are determined to be non-cooperative.

150. Thus, the Authority notes that the methodology adopted for determining dumping margin and injury margin for 'all others' category is different from the 'PCN by PCN analysis' or 'PCN wise analysis' that is applied in case of co-operating producers/exporters and that is alleged as not-permissible by domestic industry in the case of 'all others' category of producers/exporters. For dumping margin of cooperating producers/exporters, the Authority (i) determined all the PCNs exported by the participating producer/exporter (ii) calculated weighted average export price for each PCN (iii) compared export price so determined with normal value determined for corresponding PCN (iv) calculated PCN wise dumping margin by PCN to PCN comparison of normal value and export price and (v) determined final single weighted average dumping margin for the producer/exporter. For calculating dumping margin for 'all others' or residual category for China PR, Indonesia, Thailand and Saudi Arabia, the Authority simply took into consideration PCN with the lowest export price (i.e. adverse inference) and compared it with the normal value for the same PCN.

151. The Authority also notes that in the case of all producers/exporters from Malaysia, the weighted average normal value at ex-factory level for all producers and exporters was calculated based on facts available, and transaction wise data made available by DGCI&S. Similarly, the weighted average export price was calculated for all export transactions for fair comparison. It is the consistent practice of the Authority to rely on weighted average export price for all export transaction and compare it with weighted average normal value for determining dumping margin when there is no cooperation from the subject country.

152. Thus, as has already been made clear in the earlier paragraphs above, normal value and net export price for the " all other" or residual category of exporters from subject countries have been determined under Rule 6(8) of ADD Rule' 1995. The best available information/data includes information as is received from the co-operative exporters on confidential basis and/or from any other source which authority considers authenticated and reasonable, and the same has been considered for construction of normal value and net export price for "all other" or residual categories of exporters. Therefore, information/data considered for above purpose can't be made public or disclosed to all interested parties due to the restrictions imposed under Rule 7(1) of ADD Rule.

M. CONCLUSION

153. After examining the decision of the Hon'ble CESTAT, issues and submissions made in the remand investigation and the original investigation and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

a. Dumping margin is de-minimis for all imports from Saudi Arabia, Indonesia and Malaysia. Therefore, all imports from Saudi Arabia, Indonesia and Malaysia are un-dumped imports.

b. Dumping margin is positive for all imports from Thailand. However, injury margin is negative for Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd. (participating producer/exporter) and less than 1% for "all others" category of producers/exporters from Thailand.

c. Dumping margin for producer/exporter Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co. Ltd., China PR is negative. Thus, exports of Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co. Ltd. from China are -dumped imports. Dumping margin is positive for Toray Polytech (Nantong) Company Limited, China PR and for 'all others' producers/exporters from

China PR. Injury margin is also positive for Toray Polytech (Nantong) Company Limited, China PR and for 'all others' producers/exporters.

d. The dumped imports of the subject goods from subject countries are not significant in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India.

e. The price undercutting from all the subject countries is negative.

f. DI suffering injury during POI could be due to teething problems as examined under respective paragraphs of injury analysis above in the initial stage of setting up a new industry and not due to dumped imports.

g. The landed price of dumped import of the subject goods is higher than the selling price of the Domestic Industry for POI and Post-POI excluding the 4th quarter when selling price of domestic industry was more in case of Malaysia and Saudi Arabia. Therefore, price undercutting for imports from subject countries were negative. It is concluded that though the normal market price of the PUC was more than the selling price of the Domestic Industry and growth of demand in the domestic market is increasing exponentially, the domestic industry was not able to increase its selling price as it might be facing problems in establishing the product. The performance of DI is likely to improve once initial teething problems are taken care of.

h. It was also brought to the notice of the Authority that the ownership structure of the DI changed subsequent to the POI due to merger with parent company. This may have some impact on cost and efficiency of the applicant.

i. Due to insignificant volume of dumped imports, and absence of price undercutting, the causal link between the dumped imports from subject countries and injury to domestic industry is not established in accordance with Section 9B(b)(ii) of the Customs Tariff Act read with Rules 14(b) and 17(i)(iii) of the Anti-dumping Rules.

N. RECOMMENDATIONS

154. The Authority notes that the instant investigation was remanded by the Hon'ble CESTAT vide Final Order No. 50231/2020 dated 12th February 2020 directing the Authority to issue a fresh disclosure with complete details/data/information/methodology which may constitute "essential facts under consideration", to afford an opportunity to the interested parties to submit their comments, after analyzing the disclosure statement and the comments, if any, give fresh final findings; and liberty was also given to the Designated Authority to reconsider the status of the Malaysian exporter and the genuineness of its representation. Accordingly, a fresh disclosure was issued on 17th August, 2020 and after examining the comments received from the interested parties, the Authority notes that there is no causal link between the dumped imports and the material injury to the domestic industry due to reasons given above. Therefore, in terms of Rule 14 (b), (e) and Rule 17(1) (iii) read with Rule 11(2) and para v of Annexure II of the Anti-dumping Rules, the Designated Authority decides to terminate the present investigation which was initiated vide Notification No. 14/23/2015-DGAD dated 15th June, 2016.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.15 23:27:01 +05'30'